कुरुक्षेत्र

मई : 1977
मूल्य : 50 पैसे

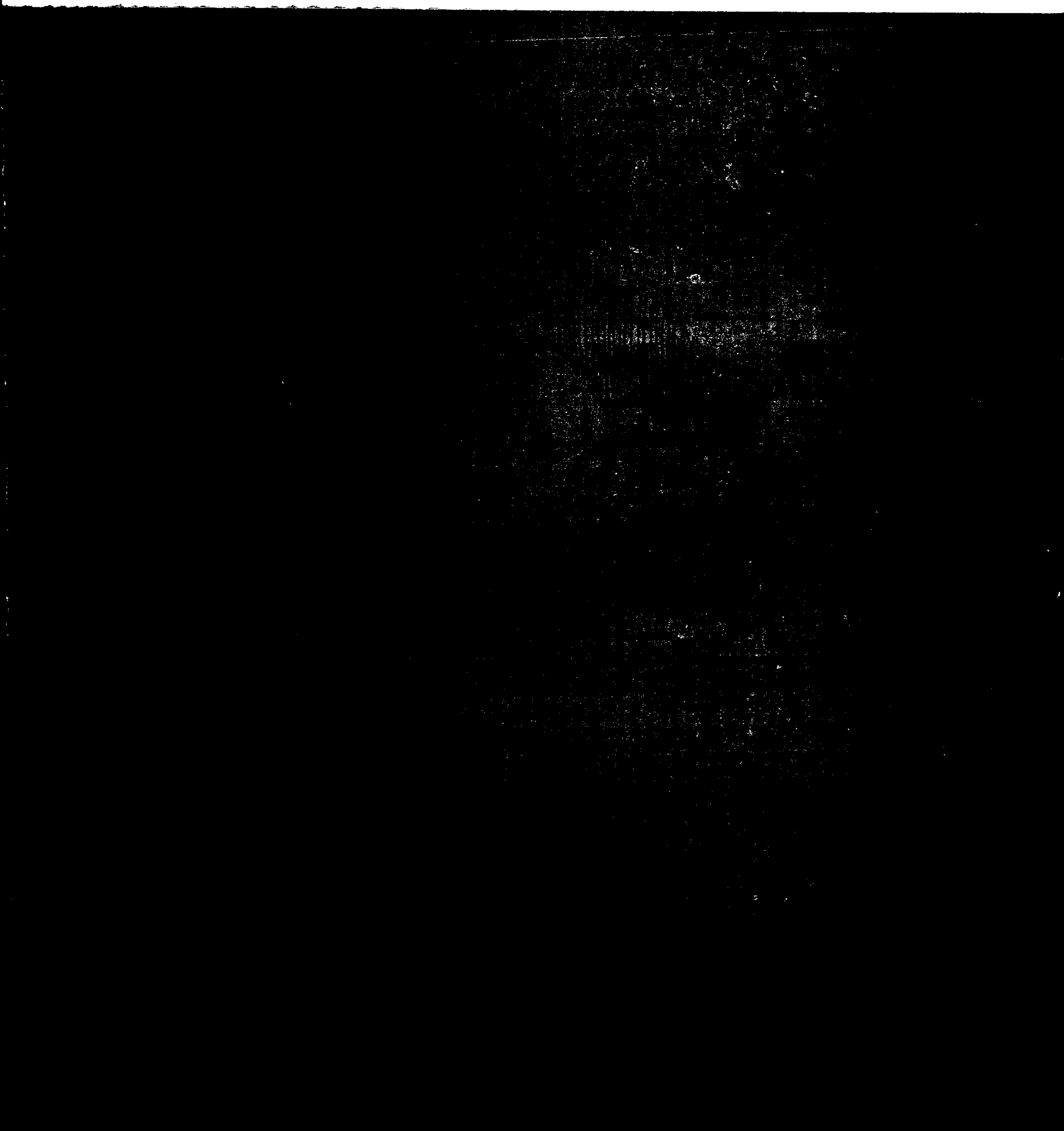

सम्पादकीय

नये वायदे नये संकल्प

चुनावों के बाद देश में अधिकांश लोगों में जहां हर्ष की लहर दौड़ी वहां कुछ लोगों के दिल-दिमागों पर विषाद की काली छाया फैल गई थी पर अब वातावरण सामान्य होता जा रहा है और आशा की जाती है कि चुनावों के दौरान जो वायदे और गरीबी दूर करने के जो संकल्प किए गए उन्हें पूरा किया जाएगा।

इसमें सन्देह नहीं कि स्वतन्त्रता प्राप्ति के पश्चात् 30 वर्ष के शासन काल में देश आर्थिक समृद्धि के पथ पर आरूढ़ हुआ और गांवों की दशा में भी कुछ सुधार हुआ पर जो कुछ हुआ वह ऊंट के मुंह में जीरा के समान है और हमें यह कहने में संकोच नहीं कि आज भी हमारे गांव कूड़े के ढेर हैं और आज भी वहां गरीबी, भुखमरी, बीमारी, निरक्षरता आदि अभिशापों का साम्राज्य है। देहातों की गरीबी का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि हम 1960-61 के भावों को मानक रख कर प्रति व्यक्ति प्रति मास 15 रु० की आय मानें तो यह आय अत्यन्त गरीबी के स्तर से भी नीचे की आय समझी जाएगी और यदि इस मानक को आधार माना जाए तो सन् 1968-69 में गांवों के 54 प्रतिशत से भी अधिक लोग इस भीषण गरीबी के स्तर से भी नीचे थे। इसका अर्थ यह है कि आज भी हमारे 22 करोड़ लोग भीषण गरीबी की चक्की में पिस रहे हैं और जो विकास कार्य हुआ उसका लाभ कुछ इने-गिने लोगों को ही मिला है। इसका एक नतीजा यह हुआ है कि गांवों के गरीब और गरीब होते चले गए और अमीर और अमीर होते चले गए। यही कारण है कि रोजगार की तलाश में गांवों के गरीब शहरों की ओर भागने लगे।

गांवों में हारी-बीमारी का हमेशा ही बोलबाला रहता है और लाखों करोड़ों ग्रामवासी दवा-दारू के अभाव में असमय में ही काल के कराल गाल में चले जाते हैं। जिन डाक्टर-वैद्यों की शिक्षा-दीक्षा पर देश की विशाल धन राशि खर्च होती है वे शहरी सुख-सुविधाओं को छोड़कर गांवों में चिकित्सार्थ जाना पसन्द नहीं करते। शुद्ध पेय जल का अभाव, सफाई स्वच्छता का अभाव आदि ऐसे अनेक कारण हैं जिनसे हमारा ग्रामीण जीवन नारकीय बना हुआ है।

आज से 20-30 वर्ष पहले गांवों में कुश्ती-दंगल, अखाड़े-बाजी आदि का काफी शौक था और उस समय गांवों में बड़े सुन्दर, स्वस्थ और सुडौल जवान देखने को मिल सकते थे पर आज ऐसे सुन्दर, स्वस्थ और सुडौल जवानों का वहां नितान्त अभाव है। गांवों का सारा घी, दूध तो शहरों में खिंचा चला आता है। फिर रूखी-सूखी खाकर वे अच्छे जवान कैसे बन सकते हैं? स्वतन्त्रता प्राप्ति के बाद गांव वालों में मद्यपान की जो लत पड़ गई है वह भी उनके स्वास्थ्य की गिरावट का एक कारण है। मद्यपान से जहां स्वास्थ्य और मनोबल नष्ट होता है, वहां व्यक्ति का नैतिक पतन भी होता है। अतः जरूरी है कि गांवों के लोगों के स्वास्थ्य सुधार की दिशा में समुचित कदम उठाए जाएं क्योंकि ग्रामीण जवान ही हमारी सीमाओं के प्रहरी हैं और युद्ध काल में वे ही शत्रु की सेनाओं के दांत खट्टे करते हैं।

जहां तक गांवों में शिक्षा का सम्बन्ध है, आज भी वहां निरक्षरता का बोलबाला है। गांवों में पुरुषों में केवल 33 प्रतिशत साक्षरता है जबकि शहरों में लोग 61 प्रतिशत साक्षर हैं। ऐसी स्थिति में जबकि गांवों में निरक्षरता का साम्राज्य छाया हुआ है, उनका समुचित विकास भी कैसे हो सकता है? अतः गांवों में जोर-शोर से शिक्षा का प्रसार करना होगा और ऐसी पद्धति को अपनाना होगा जो व्यवसायोन्मुख हो और जिससे छात्र शिक्षा प्राप्ति के साथ-साथ काम-धाम कर अपनी रोजी-रोटी कमा सकें। अब मैकाले की शिक्षा पद्धति अपनाने से काम चलने का नहीं।

गांवों के विकास में परिवहन साधनों की महत्वपूर्ण भूमिका है। कहीं-कहीं तो सड़कों का निर्माण हुआ है पर आज भी हमारे अधिकांश गांव परिवहन सुविधाओं से वंचित हैं। अतः जरूरत है कि देहात में सड़कों का जाल बिछाया जाए।

हमारे देश की आत्मा गांवों में बसती है और गांवों का विकास ही देश का विकास है। हमारे कार्यवाहक राष्ट्रपति ने भी हाल ही में अपने अभिभाषण में कहा था कि 10 वर्ष की अवधि में सरकार गरीबी हटाने के लिए वचनबद्ध है और योजना की प्रक्रिया में फिर से प्राण संचार किया जाएगा जिससे ग्रामीण विकास को प्राथमिकता दी जा सके।

अभी तक हमारे गांव शहरों के उपनिवेश मात्र रहे हैं और खुद भूखे-नंगे रह कर शहरों की आवश्यकताओं को पूरा करते रहे हैं। हमारे कर्णधारों का ध्यान भी अधिकतर शहरों को सुन्दर बनाने, गगनचुम्बी अट्टालिकाएं खड़ी करने, चौड़ी-चौड़ी सड़कें बनाने, उन्हें विद्यालयों, अस्पतालों आदि से सज्जित करने की ओर ही विशेष रहा है और गांवों की अधिकतर उपेक्षा ही रही है। इस तरह देश में दुहरी व्यवस्था का निर्माण होता रहा है। पर अब हमारे प्रधानमन्त्री श्री देसाई इस ओर काफी सजग हैं और उन्होंने राष्ट्र के नाम अपने सन्देश में स्पष्ट रूप से कहा है कि गांवों की आर्थिक स्थिति सुधारने की ओर विशेष ध्यान दिया जाएगा और गरीब और अमीर तथा गांव और शहर की दोहरी समाज व्यवस्था को और अधिक सहन नहीं किया जा सकता।

शेष पृष्ठ 5 पर]

कुरुक्षेत्र

वर्ष 22 बैशाख 1899 अंक 7

इस अंक में **पृष्ठ संख्या**

श्वेत क्रान्ति के लिए गायों की नस्ल सुधारना आवश्यक 4
मनहर चौहान

करते रहे श्रृंगार शहर का, अब मांग भरो देहातों की 6
ब्रजलाल उनियाल

ग्राम और सामुदायिक विकास 9
आई० जे० नायडू

कृषि का आधुनिकीकरण 11
डा० रामगोपाल चतुर्वेदी

बैलगाड़ी के बदलते तेवर 13
योगेशचन्द्र शर्मा

उत्तर प्रदेश की भोक्सा जन-जाति: एक अध्ययन 16
परशुराम शर्मा

सर्वोत्तम ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाएं 18
शशि चावला

ग्रामीण भारत की समृद्धि के लिए टेकनोलाजी का उपयोग जरूरी 20
राधेश्याम शर्मा

मल-मूत्र से खाद 23
महन्त तिवारी

देवनागरी लिपि के प्रयोग में मशीनों का सहयोग 24
श्री जगन्नाथ

पेयजल : मानव जीवन का आवश्यक अंग 26
पारसनाथ तिवारी

रूपक: दोष का मूल 28
भगवान सहाय त्रिवेदी

कहानी: भिण्डी का फूल 31
यशवन्त अरगरे

मरुस्थलों में कलियां खिला रहे हम (कविता) 32
सलीम अश्क

पहला सुख निरोगी काया : आंखों की सुरक्षा 33
सुमन विरमानी

साहित्य समीक्षा 34

कुरुक्षेत्र के बारे में पाठकों की राय 36
चुन्नीलाल सलूजा

सपूत (कविता) 36
इन्द्रराज सिंह

'कुरुक्षेत्र' के लिए मौलिक लेख, कहानी, एकांकी, कविता, संस्मरण, हास्य-व्यंग्य चित्र, फोटो आदि भेजिए। भाषा सरल हो और रचना का आकार 'कुरुक्षेत्र' के दो ढाई पृष्ठ से अधिक न हो।

●

अस्वीकृत रचनाओं की वापसी के लिए टिकट लगा व पता लिखा लिफाफा साथ आना आवश्यक है।

●

'कुरुक्षेत्र' की एजेन्सी लेने, ग्राहक बनाने, पता बदलने या अंक न मिलने की शिकायत बिजनेस मैनेजर, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाऊस, नई दिल्ली-110001 से कीजिए।

●

सम्पादकीय पत्र-व्यवहार : सम्पादक 'कुरुक्षेत्र' (हिन्दी), कृषि मन्त्रालय, 467, कृषि भवन, नई दिल्ली के पते पर करें।

●

दूरभाष : 382406

एक प्रति 50 पैसे ● वार्षिक चन्दा 5.00 रुपये

सम्पादक : **महेन्द्रपाल सिंह**

उपसम्पादक : **पारसनाथ तिवारी**
शशि चावला

आवरण पृष्ठ : **जीवन अडालजा**

सरकार 10 वर्षों में गरीबी हटाने के लिए वचनबद्ध

श्री बी० डी० जत्ती

आम चुनाव के प्रभावपूर्ण तथा निर्णायक ढंग से यह सिद्ध हो गया है कि जनता को अपनी ताकत, लोकतन्त्रात्मक प्रक्रिया की जीवन शक्ति, जिसकी जड़ जमी है, पर कितना भरोसा है। जनता ने प्रशासक के मनमानेपन तथा व्यक्ति-पूजा के अभ्युदय तथा गैर-संवैधानिक शक्ति केन्द्रों के विरुद्ध वैयक्तिक स्वतन्त्रता, लोकतन्त्र तथा विधि-नियम के पक्ष में अपना स्पष्ट निर्णय दिया है। यह चुनाव हमारी लोकतन्त्रात्मक व्यवस्था की एक स्वस्थ दो-दलीय प्रणाली के विकास की दिशा में एक महत्वपूर्ण मील पत्थर है।

आर्थिक क्षेत्र में सरकार 10 वर्षों की अवधि में गरीबी हटाने के लिए वचनबद्ध है। ग्रामीण क्षेत्र की अपेक्षाकृत उपेक्षा से अर्थव्यवस्था में एक भयानक असंतुलन उत्पन्न हुआ, जिससे लोग गांव से शहरों की ओर जाने लगे हैं। किसानों को अपने उत्पादन का उचित दाम नहीं मिला है। कृषि तथा सम्बद्ध विकासों के लिए विनियोजन बहुत ही अपर्याप्त है और गांवों की स्थिति सुधारने की आवश्यकता पर कम ध्यान दिया गया। एक लाख से ज्यादा गांवों में पीने के पानी जैसी प्राथमिक सुविधा भी नहीं है। सरकार रोजगार उन्मुख नीति अपनाएगी, जिसमें कृषि विकास, कृषि उद्योग, छोटे और कुटीर उद्योगों को, विशेषरूप से ग्रामीण इलाकों में प्राथमिकता मिल सके। ग्रामीण क्षेत्रों में न्यूनतम आवश्यकताओं के प्रावधानों तथा समग्र ग्रामीण विकास को भी ऊंची प्राथमिकता दी जाएगी। पंचवर्षीय योजना की यथासम्भव समीक्षा की जाएगी। योजना की प्रक्रिया में फिर से प्राण संचार किया जाएगा और छठी पंचवर्षीय योजना पर अविलंब काम शुरू होगा। इस साल बाद में अंतिम बजट पेश करते समय उन आर्थिक कार्यक्रमों की घोषणा की जाएगी जिन्हें चलाने का प्रस्ताव है। ★

गांवों की गरीबी मिटाने का संकल्प

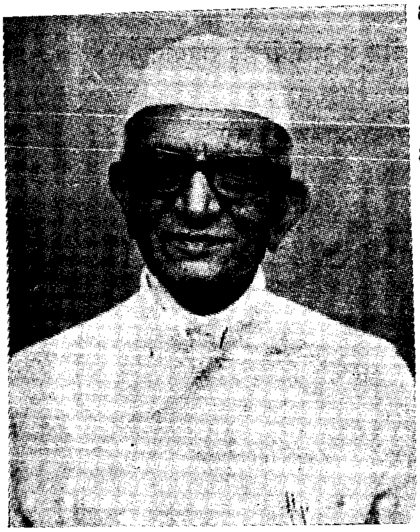

श्री मोरारजी देसाई

विकासशील समाज में भी आजादी और रोटी—में परस्पर विरोध नहीं है। ये दोनों एक दूसरे से जुड़े हुए हैं और इन्हें कभी भी अलग नहीं किया जाना चाहिए। हमें खोई हुई स्वतन्त्रता मिली है और इसके जरिए हमें प्रत्येक व्यक्ति को गरीबी और अभाव से मुक्त करना होगा। जनता पार्टी ने दस वर्षों में गरीबी मिटाने का संकल्प लिया है। यह काम दिल्ली या प्रदेशों की राजधानियों में बैठे मुट्ठी भर लोगों द्वारा सम्भव नहीं है चाहे वे कितने ही विवेकशील क्यों न हों? यह राजनीतिक तथा आर्थिक शक्ति के विकेन्द्रीकरण तथा जनता के सहकार से ही सम्भव है। सत्ता का केन्द्रीयकरण प्रजातन्त्र के लिए अभिशाप है। हमें गांवों को आर्थिक प्रगति का आधार बनाना है। यह जाहिर है कि जिन इलाकों में गरीबी और पिछड़ापन ज्यादा है वहां उन्हें दूर करने के लिए पूरी ताकत लगानी होगी। बहुत पुराने समय से भारत मुख्यत: गांवों में बसता आया है, जहां हमारे देश के अस्सी प्रतिशत लोग रहते हैं। सबसे पहले गांवों और ग्रामवासियों की दशा सुधारनी होगी। रोजगार की तलाश के

लिए नगरों की ओर आने वाले ग्रामवासियों की राह गांवों की ओर मोड़नी होगी। चाहिए तो यह कि शहर के लोग गांवों की ताजी हवा में जाएं, वहां के निवासियों की सेवा करें और ग्रामीण इलाकों की आर्थिक उन्नति में योगदान दें जिससे कि देश प्रगति के पथ पर आगे बढ़ सके।

हमारे देश के लोग, यदि उन्हें सही दिशा में काम पर लगाया जाए तो शक्ति और साधन के प्रभावशाली पुंज सावित होंगे। सरकार की यह मान्यता है कि सबको काम करने का अधिकार है। वह अपनी आर्थिक योजनाओं और प्राथमिकताओं को इस प्रकार निर्धारित करेगी जिससे कि लोगों को अधिक से अधिक रोजगार के अवसर मिलें। कार्यक्रमों को चलाने के लिए हमारे पास अनाज का भरा-पूरा भण्डार है। गांधी जी का 'अन्त्योदय' का सिद्धान्त मात्र एक नैतिक सिद्धान्त नहीं है, बल्कि आर्थिक और सामाजिक अनिवार्यता भी है। घरेलू और छोटे उद्योगों से असीमित धन प्राप्त हो सकता है और उचित तकनीक से लाखों लोगों की उत्पादन क्षमता का इस्तेमाल किया जा सकता है। विशेषरूप से जनसाधारण की रोजमर्रा की चीजों की पूर्ति की जा सकती है। बड़े नगरों, बड़ी मशीनों और बड़े विज्ञान का अपना स्थान है लेकिन ये प्राथमिकता और प्रमुखता का दावा नहीं कर सकते। हमें ऐसी संस्कृति का निर्माण करना होगा जो समतावादी और शोषणवादी न हो। हम गरीब और अमीर, नगर और गांव की दोहरी समाज-व्यवस्था और अधिक बर्दाश्त नहीं कर सकते। हमें गांवों और शहरों को एक दूसरे से अलग और विरोधी संस्कृतियों के रूप में नहीं लेना चाहिए बल्कि सीमित क्षेत्रों में परस्पर आश्रित रूप में समझना चाहिए।

इसलिए मैं आपसे अपील करता हूं कि आप चाहे कृषि में हों या कुटीर उद्योग में, लघु उद्योगों में अथवा भारी उद्योग में, व्यापार कार्यों में हों या चाहे किसी भी क्षेत्र में हों, आप हमें सहयोग दीजिए जिससे हम इस देश का चहुमुखी विकास कर सकें।

★

श्री राजनारायण पद की शपथ ग्रहण करते हुए

नयी स्वास्थ्य योजना

केन्द्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय ग्रामीण स्वास्थ्य सुधार योजना के सम्बन्ध में एक प्रारूप तैयार करने में व्यस्त है। इस सम्बन्ध में राज्यों के स्वास्थ्य मंत्रियों का सम्मेलन 28 अप्रैल को होगा और तब योजना के प्रारूप को अन्तिम रूप दे दिया जाएगा।

स्वास्थ्य योजना पर चार वर्ष में 486 करोड़ रु० खर्च किए जाएंगे और 12 लाख कर्मचारी गांव में काम करने के लिए प्रशिक्षित किए जाएंगे। केन्द्रीय स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मत्री श्री राजनरायण का कथन है कि सरकार भारत की संस्कृति एवं परम्परा के अनुसार छोटे परिवार का प्रचार करेगी और हर व्यक्ति को 25 वर्ष तक ब्रह्मचर्य का पालन करना चाहिए। उनका विचार है कि अनिवार्य नशबंदी अमानवीय कृत्य है, पर जो लोग छोटे परिवार के उद्देश्य से स्वेच्छा से नशबंदी कराना चाहेंगे उन्हें उसके लिए सभी आवश्यक सुविधाएं दी जाएंगी। स्वास्थ्य के सम्बन्ध में उनका कथन है कि शारीरिक स्वास्थ्य के साथ-साथ मानसिक स्वास्थ्य भी जरुरी है और उनकी योजना के अनुसार स्वास्थ्य कार्यक्रमों में आयुर्वेद, यूनानी और होमियोपैथिक चिकित्सा प्रणाली को भी महत्व दिया जाएगा।

श्वेत क्रांति के लिए गायों की नस्ल सुधारना आवश्यक

कोई माई का लाल अब इस सच्चाई से इन्कार नहीं कर सकता कि गाय केवल नारों और मुहावरों में पूज्य रह गई है। भारतीय समाज ने बड़ी कठोरता के साथ यह दृष्टिकोण विकसित कर लिया है कि गाय केवल पूजा के लिए ठीक है ; दूध तो भैंस देती है। पूजा के अलावा भी गाय के-प्रति समाज की कोई जिम्मेदारी है, इस-ओर शायद ही कोई सचेत नजर आता है।

इस आर्थिक युग में गाय सब को महंगी पड़ने लगी है। इस परम उपयोगी जानवर का उद्धार किसी क्रांतिकारी आर्थिक कार्यक्रम से ही हो सकता है। धार्मिकता, पवित्रता आदि की दुहाई से गाय का पेट नहीं भरता। इसीलिए, विश्व की सर्वाधिक गायें यदि भारत में हैं, तो विश्व की सर्वाधिक मरियल गायें भी इसी देश के रास्तों पर डोलती फिरती हैं।

गाय का उद्धार किसी आर्थिक कार्यक्रम से हो सकने की बात, अब महाराष्ट्र सरकार ने स्वीकार कर ली है और कुछेक ऐसे ठोस कदम उठाए हैं कि जिनका अनुसरण पूरे देश में होना चाहिए। महाराष्ट्र के उरुलीकांचन नामक स्थान में 'भारतीय कृषि-उद्योग प्रतिष्ठान' नामक एक जागरूक संस्था है, जिसने भारतीय देहात की तस्वीर बदल देने के लिए अनेक योजनाएं तैयार की हैं और गाय का नवीनीकरण इन योजनाओं के शीर्ष पर है।

आर्थिक आकाश में गाय का सितारा डूबना महात्मा गांधी के जीवन-काल में ही प्रारम्भ हो गया था। भैंस का दूध न केवल गाढ़ेपन, बल्कि परिणाम में भी इतना अधिक होता है कि भैंस की तुलना में गाय भहरा कर बैठ जाने लगी है। महात्मा जी ने पीड़ित होकर जनता से अपील की थी कि गाय का दूध किसी और कारण से नहीं, तो केवल धार्मिक कारणों से ही अधिकाधिक पीया जाना चाहिए। इसकी बजाए, महात्मा जी ने यदि गाय के उद्धार का कोई आर्थिक कार्यक्रम प्रस्तुत किया होता, तो उनकी अपील ने जन-मानस को निस्संदेह आन्दोलित किया होता।

बढ़िया किस्म की संकर गायें

उरुलीकांचन की उपरोक्त संस्था, जिसके निदेशक मणिभाई देसाई हैं, गाय की सामजिक-आर्थिक स्थिति के उन्नयन की अपनी योजनाओं को केवल महाराष्ट्र तक सीमित नहीं रखना चाहती। धुरी अवश्य महाराष्ट्र में है, किन्तु संस्था समग्र देश को प्रभाव में लेना चाहती है। अभी, देशभर में, एक लाख गायों को उद्धार कार्यक्रम में शामिल किया गया है। चार वर्षों में यह संख्या दस लाख को भी पार कर जाएगी, ऐसा अनुमान है।

अपने कार्यक्रम को संस्था ने मुख्यत: तीन सूत्रों में विभाजित किया है :

1. गाय की ऐसी नस्ल पैदा करना, जिसका पालन भैंस-पालन के ही बराबर आर्थिक लाभ दे सके।

2. सरकारी और गैर-सरकारी दुग्धशालाओं में ऐसा वातावरण तैयार करना, जिससे गाय का दूध उचित मूल्य पर नियमित रूप से खरीदा जाने लगे।

3. भैंस और गाय के दूध की तुलना करने की जनता की आदत छुड़वाना और यह स्पष्ट करना कि दोनों प्रकार के दूध अपनी अलग-अलग सत्ता एवं उपयोगिता रखते हैं। उन्हें जबरन होड़ में नहीं उतारा जाना चाहिए।

प्रस्तुत चर्चा को भी हम इन्हीं तीन सूत्रों की धुरी पर घुमाएं।

मनहर चौहान

कुछ राज्यों में गोवध पर प्रतिबन्ध अवश्य है, किन्तु औसत स्थिति यही मानी जानी चाहिए कि भैंस की तुलना में गाय ज्यों ही महंगी पड़ने लगती है, त्यों ही उसे बूचड़खाने में भेज दिया जाता है। ऐसी गायों में से अधिकांश की ब्याने की क्षमताओं का लोप नहीं होता। अधिकांश के थन पूर्णतया सूख नहीं जाते। इन्हें केवल इस मोथरे कारण से बूचड़खाने पहुंचना पड़ता है कि भैंस की तुलना में ये कम लाभप्रद सिद्ध होने लगती हैं।

जबकि ये गायें भी, चाहे वे देखने में अस्थिपंजर जैसी ही क्यों न हों, संकर

पद्धतियों को अपनाने पर पच्चीस-पच्चीस तीस-तीस किलो के बच्चे ब्या सकती हैं। स्मरणीय है कि ये संकर बच्चे, सामान्य से दोगुनी गति से विकसित होते हैं। सवा साल बीतते-बीतते वे वयस्क हो जाते हैं। संकर गाय, जो दो साल की होते-होते दूध देना शुरु कर देती है, सालभर में कोई ढ़ाई हज़ार किलो दूध देती है। ब्याने के केवल 100 दिनों के भीतर वह दुबारा गर्भधारण कर सकती है। सीधा-सा हिसाब है कि साल भर में केवल 60 दिन ऐसे होते हैं, जब वह दूध नहीं देती। संकर गाय को हर दृष्टि से कामधेनु ही कहा जाएगा। उसकी तुलना में भैंस अधिक उपयोगी सिद्ध हो, इसका प्रश्न ही नहीं है। सामान्य गाय, संकर गाय के सामने, कहीं नहीं ठहरती। सामान्य गाय, भारत में उसकी जो दशा है, उसे देखते हुए, सालभर में औसतन 250 किलो दूध देती है। ब्याने की क्षमता भी उसमें 4 से 5 वर्ष की उम्र में आती है। डेढ़-दो साल में ही ब्या सकने वाली और सालभर में लगभग 2500 किलो दूध देने वाली संकर गाय, सामान्य गाय से अनेक गुना श्रेष्ठ है। जिस दौर में सामान्य गाय एक बार ब्याती है, उसी दौर में संकर गाय तीन बार ब्या चुकती है।

अगला मुद्दा गाय के दूध की खरीद का है, जिसकी दरें भैंस की तुलना में हमेशा नीची प्राप्त होती हैं। भारतीयों की आदत है कि वे स्थूल गुणों से बहुत जल्दी प्रभावित हो जाते हैं। भैंस के दूध में गाढ़ेपन का जो स्थूल गुण है, उससे उसकी बोली हमेशा ऊंची बोली गई है। सभी सरकारी और गैर-सरकारी दुग्ध-शालाओं में चर्बी के ही आधार पर दूध का मूल्यांकन करने की नीति अपनाई गई है और अनेक दुग्धशालाओं पर तो बाकायदा इस आशय की तख्तियां लगी हैं कि हमारे यहां गाय का दूध नहीं खरीदा जाता।

इस परम्परा को तोड़ने का क्रांतिकारी कदम, पहली बार, महाराष्ट्र सरकार ने उठाया है। उसने 'भारतीय कृषि-उद्योग प्रतिष्ठान' की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया है कि दूध खरीदते समय उसकी चर्बी और 'सॉलिड नोट' (एस० एन० एफ० फैट), दोनों का मूल्यांकन अलग-अलग किया जाए और गाय के दूध में यदि 4% चर्बी हो, तो उसे भैंस के दूध के 6% 'एस० एन० एफ० फैट' के बराबर मान लिया जाए। इस निर्णय ने राज्य में गौ-क्रांति की लहर दौड़ा दी है। संकर गायों की संख्या दिनोंदिन वृद्धि पर है।

स्थूल गुणों से प्रभावित होने की भारतीय आदत के कारण सांड के मूल्यांकन में भी कम भ्रान्तियां पैदा नहीं हुई हैं। जो सांड देखने में ऊंचा-पूरा और अलमस्त हो, उसके वीर्य का भी श्रेष्ठतर होना अनिवार्य नहीं है। सांड के मूल्यांकन की कसौटी, वास्तव में, केवल एक आधार पर हो सकती ; और वह यह कि उसका वीर्य कितनी श्रेष्ठ सन्तानें उत्पन्न करता है। 'संस्कारित सांड़' अलमस्त सांड से बेहतर है, और इस संदर्भ में बहस की भी कोई गुंजाइश नहीं। इसके बावजूद भारतीय मानस अलमस्त सांड पर मुग्ध रहा है। इसीलिए, हम आज भी श्रेष्ठ 'संस्कारित सांड' पैदा नहीं कर सके हैं ; सांड का श्रेष्ठ वीर्य हमें विदेशों से ही आयात करना पड़ता है। 'भारतीय कृषि-उद्योग प्रतिष्ठान' के निदेशक के एक वक्तव्य के अनुसार, आगामी चार वर्षों में श्रेष्ठ 'संस्कारित सांड', जिसे 'सिद्ध सांड' भी कहा जाता है, भारत में आसानी से उत्पन्न और उपलब्ध हो जाएगा। कौन-से सांड को 'सिद्ध' की श्रेणी दी जाए, इसकी मानक धाराएं भी तब तक स्थिर करके प्रकाशित कर दी जाएंगी। फिलहाल सांड का विदेशों से आयातित वीर्य ही दूर देहात तक पहुंचाया जाता है। गाय की नस्ल के उन्नयन पर इसका बहुत अच्छा प्रभाव पड़ रहा है।

तीसरा मुद्दा जनता की आदत का है। यहां भी समस्या टेढ़ी नजर आती है। भैंस के दूध के गाढ़ेपन पर मुग्ध जनता को धैर्यपूर्वक समझाया जा रहा है कि गाय का दूध सुपाच्य होने के कारण बच्चों के लिए अपेक्षाकृत बेहतर है। अधिकांश परिवारों में दूध का मुख्य उपभोग केवल बच्चे ही करते है, अतः गाय के दूध को पारिवारिक स्वीकृति सहज ही मिल जाएगी, ऐसी आशा रखनी चाहिए।

गाय के उद्धार से गांवों में केवल दुग्ध-क्रांति आएगी, ऐसा नहीं है। अन्य अनेक छोटे-बड़े काम एवं व्यवसाय गाय के आस-पास खड़े किए जा सकते हैं। गाय के नवीनीकरण के साथ उन व्यवसायों का भी नवीनीकरण अपने-आप हो जाएगा। नवीनीकृत कामधेनु का आहवान करने का समय आ गया है।

★

सम्पादकीय........[**आवरण पृष्ठ 2 का शेषांश**]

हमारा देश बहुत प्राचीन है। यहां की अपनी संस्कृति है, अपनी सभ्यता है और अपनी परम्पराएं हैं। ये सब इतनी बद्धमूल हैं कि इनको सहसा उखाड़ फेंकना सम्भव नहीं। नए और पुराने का संघर्ष चालू है और परिवर्तन की बेला है। पर यहां भी हमें जरा विवेक से काम लेने की जरूरत है। नए और पुराने इन दोनों में हमें वही ग्रहण करना चाहिए जो ग्राह्य है। अन्धानुकरण से हम भटक जाएंगे और कुछ हाथ नहीं लगेगा। अतः हमें अपने पुर्ननिर्माण के लिए आधुनिक भौतिक विकास के साथ अपनी प्राचीन नैतिक तथा आध्यात्मिक मान्याताओं का समन्वय करना होगा। तभी हम समग्र भारत के सर्वांगीण विकास का पथ प्रशस्त कर सकते हैं और समाज में सच्ची सामुदायिक भावना को जन्म दे सकते हैं।

महेन्द्रपाल सिंह

करते रहे श्रृंगार शहर का, अब माँग भरो देहातों की

ब्रजलाल उनियाल

मार्च में लोकसभा में अन्तरिम बजट पेश किया गया। इस बजट में अभी बहुत कुछ फेर-बदल किया जाना है, जैसा कि वित्तमन्त्री श्री पटेल ने संसद में बताया है कि वर्तमान सरकार आर्थिक नीतियों और प्राथमिकताओं में ऐसा परिवर्तन चाहती है कि देश की आर्थिक प्रगति, गरीबी दूर करने के प्रयत्नों तथा बेरोजगारी हल करने के उपायों में तेजी लाई जा सके और आय और सम्पत्ति की विषमता को घटाया जा सके।

वित्तमन्त्री ने इस बात पर जोर दिया कि सरकार तड़क-भड़क पर खर्चा कम करेगी। उन्होंने बताया कि चालू वित्त वर्ष की समाप्ति के समय 425 रु० करोड़ रुपये का घाटा रहने का अनुमान है जबकि बजट में केवल 328 करोड़ रु० का घाटा बाताया गया है। स्थिति संतोष-जनक नहीं है। 1977-78 के बजट में 632 करोड़ रु० शुद्ध घाटे का अनुमान है। राज्यों और केन्द्रशासित क्षेत्रों को 1,692 करोड़ की केन्द्रीय सहायता दी जाएगी। मुद्रास्फीति बढ़ाने वाले खर्चों पर रोक लगाई जाएगी। नई योजनाएं फिलहाल शुरू नहीं की जाएंगी बल्कि उनकी पूरी समीक्षा की जाएगी।

यह तो रही बात मोटे तौर पर आम बजट की। भले ही सरकार का उद्देश्य देश की सर्वांगीण प्रगति करना हो पर वास्तविकता यह है कि जहां शहरों का रूप दिन-पर-दिन निखरता जा रहा है, गगनचुम्बी इमारतों, चौड़ी सड़कों भव्य विद्यालयों, शोध-संस्थानों, बड़े अस्पतालों, परिवहन सुविधाओं, आधुनिक सुख-सुविधाओं ने इन शहरों को समृद्ध देशों के शहरों से होड़ लेने के काबिल बना दिया है, वहां अब भी गांव सुख-सुविधाओं के लिए शहरों का मुहं ताकते हैं। बेहद गरीबी, असमानता, निरक्षरता, रोग-व्याधियां आदि विभीषिकाएं गांवों की सम्पदा को लील रही हैं। गांवों में पुरुषों में 33.78 प्रतिशत व महिलाओं में 13.17 प्रतिशत साक्षरता है जबकि शहरों में क्रमश 61.28 तथा 42.27 प्रतिशत है। इस समय साक्षरता प्रतिशत लगभग 30 प्र०श० है जबकि हमारे ही एशियाई पड़ौसी जापान में 98 प्रतिशत है। इतनी भारी निरक्षरता के रहते, देश की प्रगति की कैसे आशा की जा सकती है फिर इन साक्षरों में भी कितने ऐसे हैं जो जागरुक और प्रबुद्ध कहे जा सकते है? खैर, इस समस्या का तो निराकरण हो रहा है पर उस में तेजी लाना जरूरी है और केवल साक्षरता ही उद्देश्य न रहकर, देश के देहाती तबके को जागरूक बनाना हमारा उद्देश्य होना चाहिए।

देहातों की गरीबों का अनुमान इस बात से लगाया जा सकता है कि यदि इस 1960-61 के भावों का मानक रख कर प्रति मास 15 रु० की आय मानें तो यह आय अत्यन्त गरीबी के स्तर से भी नीचे की आय समझी जाएगी और अगर इस मानक को आधार माना जाए तो सन् 1968-69 में गांवों के 54 प्रतिशत से भी अधिक लोग इस भीषण गरीबी के स्तर से भी नीचे थे। कहने का मतलब यह है कि देश में लगभग 22 करोड़ से भी अधिक लोग भीषण गरीबी में पिस रहे हैं।

देहातों की कुछ मुख्य समस्याओं पर सरकार का ध्यान तत्काल जाना चाहिए और उनके हल के लिए अविलम्ब उपाय सोचे जाने चाहिए।

भूमि सुधार

हमारे देश में जैसी जलवायु-विश्व के अन्य भागों में बहुत कम है। पर्याप्त जल, विपुल सौर ऊर्जा (सूरज की गरमी) अच्छी उपजाऊ धरती के होते हुए भी हमारी प्रति इकाई उत्पादन क्षमता कम है। अतः जरूरत इस बात की है कि हम उपायों पर ध्यान दें जिनसे देश की फी-इकाई उपज बढ़ सकें।

सबसे पहले हमें भू-धारण सम्बन्धी कानूनों यानी लगान, नियमन, भूमि स्वा-मित्व, काश्तकारी का पुनर्ग्रहण और काश्तकारों के स्वामित्व के विषय में यह देखना है कि क्या सभी कानूनों का सामुचित लाभ किसानों को मिला है और अगर नहीं तो कहां कमिया हैं और उन्हें दूर करने के क्या उपाय हैं?

पहली योजना के आरम्भ में जमींदार, जागीरदार, इनामदार आदि कई तरह के मध्यस्थ लोग पूरे देश के लगभग 40 प्रतिशत में फैले हुए थे, उसके बाद यथा-सम्भव मुआवजा आदि देकर मध्यस्थों का मोटा मुनाफा समाप्त करने की कोशिश की गई। परन्तु अभी तक बहुत कुछ करना बाकी है।

जोतों का वितरण हमारे देश में बेहद आसमान है। गांवों के लगभग 44 प्रतिशत के पास तो एक एकड़ से भी कम जमीन है और पूरे देश की कुल 1.6 प्रतिशत भूमि उनके पास है जबकि कुछ मुट्ठी भर यानी लगभग 4 प्रतिशत के पास 20 एकड़ या इससे भी अधिक जमीन है। अधिकांश छोटी जोतें अना-र्थिक इकाइयों में बटी हुई हैं तथा कुछ क्षेत्र का काफी बड़ा हिस्सा बड़े किसानों के पास है। अधिकतम सीमा निर्धारण का कार्य विभिन्न राज्यों में किया गया। सीमा निर्धारण से सामाजिक न्याय की स्थापना हुई है। परन्तु यह भी सत्य है कि सीमा निर्धारण से छोटे-छोटे भू-स्वामी बढ़ेंगे और अगर खेत इसी तरह छोटे-छोटे भूखंडों में बंटते गए तो उप-विभाजन व विखंडन की समस्या और जटिल हो जाएगी।

सीमा निर्धारण आय के आधार पर

किया जाए यानि क्षेत्र के आधार पर, यह भी एक समस्या है। सीमा-निर्धारण के बाद बची हुई भूमि का सर्वोत्तम उपयोग होना चाहिए। क्या उसे भूमिहीनों में बांटा जाए या कि छोटे किसानों को यानि जोतों को बढ़ाकर अधिक इकाइयों में परिवर्तित किया जाए? भूमि का अवैध हस्तांतरण बन्द हो। इन सब बातों पर न्यायसंगत और व्यापक जनहित को ध्यान में रखकर विचार किया जाए। चकबन्दी कार्यक्रम व सहकारी खेतों की समीक्षा की जाए। क्षेत्रीय ग्रामीण बैंकों और कृषि सेवा समितियों की कार्य प्रणाली और निर्णय लेने के तौर-तरीकों में सुधार किया जाए। छोटे किसानों को ऋणों की सुविधाएं मिलनी चाहिए।

खेती में सुधार

हमारे देश में अब भी परम्परागत ढंग से खेती की जा रही है पर जहां कहीं लोगों ने वैज्ञानिक तौर-तरीके अपनाएं है, नए चमत्कारी बीजों, रासायनिक खादों, दवाओं, समय पर सिंचाई आदि का इस्तेमाल किया है वहां भरपूर उपज मिली है। हमारे देश में खेती में जो क्रांति हुई है इसमें सन्देह नहीं कि उसका श्रेय न केवल देश के कृषि वैज्ञानिकों को है बल्कि उन किसानों को भी है, जिन्होंने बिना झिझक नए तौर-तरीकों को अपनाया, अपना खून-पसीना एक किया और अपनी उपज को दुगना तिगुना तक बढ़ाया है। खेती में औजारों व मशीनों का भी प्रयोग होने लगा है परन्तु जहां बहुत छोटी-जोतें हैं उनमें कैसे उत्पादन बढ़ाया जाए, इस समस्या पर विशेष ध्यान दिया जाना है।

खेती के नए तौर-तरीकों से ज्यादा लाभ बड़े किसानों को हुआ है। छोटा किसान तो भलेही इन वैज्ञानिक तौर-तरीकों की जानकारी रखता हो पर लाभ पाना उसकी क्षमता के बाहर है। न तो उसके पास बड़े खेत हैं, न वह साधन जुटा पाता है और न नए तौर-तरीके अपना पाता है। इसकी समीक्षा अपेक्षित है।

अब तक के अनुसंधानों से विशेष रूप से गेहूं, मक्का और बाजरा की उपज में नई चमत्कारी संकर क़िस्मों के कारण आशातीत वृद्धि हुई है पर धान की उपज में हम बहुत पिछड़े हुए हैं। जापान की प्रति एकड़ उपज हमारी प्रति एकड़ की पांच गुनी है। इस पर ध्यान देना जरूरी हैं।

बंजर भूमि का पुनरूद्धार किया जाना जरूरी है। मृदा-संरक्षण किया जाना चाहिए। सिंचाई की सुविधाएं अब भी अपर्याप्त हैं, अतः छोटी-सिंचाई योजनाओं पर भी ध्यान दिया जाना चाहिए। ईंधन का अभाव दिन-प्रतिदिन बढ़ रहा है। पैट्रोल, डीजल तेल आदि बाहर से मंगाने पड़ते हैं। बिजली का तो अभाव है ही। अगर आवश्यकता है तो शहरों को बिजली पर अन्धाधुंध होने वाले खर्चों में कटौती करके गांवों में बिजली अधिक से अधिक पहुंचाई जाए।

खेती में लगे बहुत से किसान पूरे साल काम नहीं करते। इसके लिए सहायक उद्योग-धन्धों पर जोर दिया जाए।

निम्नलिखित कामों में यन्त्रों का प्रयोग लाभकारी हो सकता है। ऊसर व बंजर भूमि का सुधार, धरातल को समतल बनाना, मेंडबंदी, दलदली भूमि के जल की निकासी। कांस आदि गहरी जड़ों वाले खरपतवारों को उखाड़ने के लिए, हिमाचल प्रदेश के मंडी में जर्मनी के सहयोग से जैसे छोटे यन्त्रों का इस्तेमाल हो रहा है, उनका प्रयोग अनुकरणीय है। कृषि व फलों के यातायात।

हमारे देश में किस प्रकार की खेती से अधिकतम लाभ उठाया जा सकता है, इसका अध्ययन किया जाना चाहिए। बिना किसी पूर्वाग्रह के पूंजीवादी खेती, सामूहिक खेती, कोलखोज, (रुस में सामूहिक खेती) कम्यून (चीन) कीबुटल (इसराइल) एजीडी (मेक्सिको)। सहकारी खेती, सामूहिक खेती पर उच्च कोटि के कृषि विशेषज्ञ विचार-विमर्श करें और किन-किन जगहों पर कौन-कौन से तरीक अपनाएं जाए इस पर विस्तार से गम्भीरतापूर्वक विचार कर निर्णय लें। अपने देश की विशेष परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही निर्णय लेने होंगे।

आबादी की समस्या

भारत में आबादी बढ़ने के कई कारण हैं। गर्म देशों में वैवाहिक परिपक्कता जल्दी आ जाती है। गरीबी में बाल-विवाह प्रचलित है और 'अधिक व्यक्तियों से अधिक आय के सिद्धान्त पर ज्यादा सन्तान अब भी कहीं-कहीं आवश्यक समझी जाती है। धार्मिक व सामाजिक कारण भी अनुकूल है। परिवार-नियोजन के कार्यक्रमों में बजाय जोर-जबर्दस्ती के, समझा-बुझा कर अधिक आसानी से काम हो सकता है। लेकिन इतना तो निर्विवाद है कि आबादी को बेतहाशा ढंग से बढ़ने में सभी उपाय स्वेच्छा से अपनाएं जाने चाहिए।

कृषि श्रमिक

कृषि श्रमिकों की समस्याओं को हल करने के लिए अनेक उपाय अपनाना आवश्यक हैं। हम जानते हैं कि विश्व के सभी उन्नत देशों में खेती थोड़े लोग करते हैं पर वे थोड़े ही लोग इतना गल्ला पैदा करते हैं कि न केवल उनकी अपनी आवश्यकता पूरी हो जाती है, बल्कि वे निर्यात करने की भी स्थिति में हैं। अतः हमें चाहिए कि खेती को ऐसा उन्नत बना दें कि लोग अधिक उपज ले सकें। इतना ही नहीं हमें उन कृषि श्रमिकों पर भी विचार करना है जो देश के भिन्न-भिन्न भागों में मजदूरी करने पर भी साल भार दो जून रोटी नहीं पाते। इनके लिए कृषि में सहायक उद्योग धन्धों का विकास करना होगा। अतिरिक्त ऐसे क्षेत्र ढूंढ़ने होंगे जहां इनको कारगर ढंग से लगाया जा सके। उद्योगीकरण के अन्तर्गत अभी बहुत से छोटे-बड़े उद्योग-धन्धों को खोलने की गुंजाइश है और छोटे उद्योगों को पढ़ा लिखा तबका शुरू कर सकता है और कृषि श्रमिकों के श्रम का भरपूर इस्तेमाल हो सकता है।

ओद्योगिक बस्तियों का विचार भी अच्छा है। इन बस्तियों में सरकार, कारखाने की जगह, बिजली पानी, यातायात की सुविधा, कच्चा माल आदि के प्रबंध में सहायता देती हैं और लघु उद्योगों को बढ़ावा दिया जाता है।

इसके अलावा, ग्रामीण निर्माण कार्य-

क्रम के अन्तर्गत निर्धन, भूमिहीन व पिछड़ी जाति के श्रमिकों को काम दिया जा सकता है। परन्तु अब भी न्यूनतम मजदूरी कानून का पालन ठीक तरह नहीं किया जा रहा है। जरूरतमन्द मजदूर तो कम लेकर भी अपना शोषण कराने को तैयार रहता है।

बेरोजगारी

शहरी बेरोजगारी का अनुमान तो रोजगार कार्यलयों से मिलने वाले आंकड़ों से लगाया जा सकता है पर गांवों में कितने लोग बेरोजगार हैं या पूरे साल काम नहीं कर पाते, इसका अनुमान लगाना कठिन है। हमारे देश में गांवों की बेरोजगारी कई प्रकार की है।

कुछ लोगों के पास खेती-बाड़ी नहीं है और काम करने की इच्छा होने पर भी उन्हें काम नहीं मिल पाता। भारत की लगभग 70 प्रतिशत जनसंख्या कृषि पर आधारित है। अधिकांश क्षेत्रों में किसान एक ही फसल लेते हैं और बाकी समय बेकार रहते हैं। न तो उनके पास कोई कुटीर उद्योग हैं और न सहायक धन्धे। श्री जैक के अनुसार बंगाल में पटसन की खेती करने वाले लगभग नौ महीने व धान की खेती करने वाले लगभग साढ़े सात माह खाली बैठते हैं। डा० राधाकमल मुखर्जी के अनुसार उत्तर प्रदेश में सघन कृषि क्षेत्रों में किसान को साल भर में लगभग 200 दिन ही काम मिलता है। दक्षिण भारत में किसान को केवल पांच माह काम मिलता है। इन सब बातों को हमें सोचना है और इनके निराकरण का उपाय करना है।

शिक्षिति लोगों में बेरोजगारी की समस्या दिन-प्रतिदिन जटिल होती जा रही है क्योंकि गांव के बहुत से पढ़े-लिखे लोग शहरों की तरफ भागते नजर आते हैं। हालांकि शहरों में आकर कई व्यक्ति अपनी मानसिक शांति व स्वास्थ्य दोनों ही खो बैठते हैं। पर कुर्सी पर बैठकर सुन्दर वस्त्रों से सुसज्जित, काम करने का चस्का इतना बड़ा है कि वे गांवों में अपनी खेती-बाड़ी को तिलांजलि दे बैठते हैं। इसका कारण हमारे देश की शिक्षा प्रणाली का दोषयुक्त होना है। लोग श्रम के महत्व को नहीं समझते। अतः गांवों में ही रोजगार अधिक अवसर प्रदान करने के उपायों पर बढ़ा देना होगा और शिक्षा पद्धतियों में श्रम पर ज्यादा जोर देने की आवश्यकया है। साहिरियक शिक्षा के स्थान पर व्यावसायिक और औद्योगिक शिक्षा ज्यादा जरूरी है।

कुपोषण

हमारे देश में कुपोषण की भी एक गंभीर समस्या है। हजारों बच्चे, प्रौढ़ व वृद्ध कुपोषण के शिकार हैं और उन्हें पता ही नहीं है कि उनके साधनों से ही इसका हल ढूंढ़ सकते हैं। इसके लिए जहां शिक्षा जरूरी है वहां सरकार प्रचार-साधनों से पोषण व आहार संबधी जानकारी देहातों तक पहुंचा सकती है। देश की आबादी के 15 प्रतिशत बच्चे हैं और उनमें 40 प्रतिशत मौत के शिकार होते हैं। अधिकांश बच्चे कुपोषण के शिकार हैं।

जनता व सरकार

हमारे लक्ष्य कितने ही महान क्यों न हों पर उनमें सफलता दो बातों पर निर्भर करती हैं। एक तो वह पूरा सरकारी तंत्र, जो सरकारी योजनाओं को अमल में लाने के लिए उत्तरदायी हैं, भ्रष्ट नहीं होना चाहिए। भला वह तंत्र कैसे चल सकेगा, जिसके पुर्जे कमजोर व अविश्वसनीय होंगे? नैतिकता की भावना से लोग काम करें। लोग यह समझें कि सरकार हम से अलग नहीं हैं। अगर हम ईमानदारी से काम करते हैं तो पूरे देश को लाभ होगा। व्यक्तिगत संबंधों से ऊपर उठना चाहिए। दूसरी आवश्यक बात यह है कि कानून ऐसे बनें कि बेईमानी और नकारा सरकारी कर्मचारियों पर अंकुश रखा जा सके। इस समय अनुत्पादक कार्यों पर तो सरकारी कर्मचारियों की फौज लगी हुई है और दवादब नौकरियां उन क्षेत्रों में और निकाली जा रही हैं पर उत्पादक क्षेत्रों पर उतना ध्यान नहीं दिया जा रहा है। कितने सरकारी कर्मचारी पूरे समय ईमानदारी से काम करते हैं? और अगर शहरों के अनुत्पादक कार्यों में लगी पूंजी को देहातों की ओर मोड़ दिया जाए तो क्या हमारे गांव भी शहरों से होड़ नहीं ले सकते?

हमारी योजना का उद्देश्य यह होना चाहिए कि अगर देश की आय बढ़ती है, सम्पदा बढ़ती है और उसका लाभ निचले तबके को पहुंचे, गरीब को पहुंचे और अधिक से अधिक रोजगार लोगों को मिल सकें न कि चन्द ऊपर के धन्ना सेठों की पूंजी की वृद्धि होती रहे। समाजवादी व्यवस्था का आदर्श तो यही है। इसलिए कथनी और करनी का भेद मिटना चाहिए।

अन्त में इतना कहना असत्य न होगा कि हम जब कभी किसी गहरी राष्ट्रीय समस्या पर विचार करें तो युग प्रर्वतक महात्मा गांधी के विचारों को न भूलें। हमारी बहुत-सी असफलताओं और बुराइयों का कारण गांधी के सिद्धांतों की अवहेलना करना है। गांधी जी ने बुनियादी शिक्षा, विकेन्द्रीकरण, स्वदेशी, नैतिकता, श्रम के प्रति गौरव, छोटे उद्योग, ट्रस्टीशिप आदि के बारे में जो कुछ कहा था, क्या हमारे आयोजनकर्ता उन बातों के संदर्भ में अपनी योजनाओं को संवारेंगे? यदि वे ऐसा कर पायें तो शहर और देहात की खाई पटती जाएगी और देहात अधिक समृद्ध हो सकेंगे। ★

ग्राम और सामुदायिक विकास*

आई० जे० नायडु

[ग्राम और सामुदायिक विकास पर पहला पाठ्यक्रम विशेष रूप से भारतीय विदेश सेवा परिवीक्षार्थियों (प्रोवेश्नर) के लिए आयोजित किया गया। इसका उद्देश्य इन लोगों को सामुदायिक विकास कार्यक्रमों के आदर्शों तथा क्रिया पद्धति की उचित पृष्ठ भूमि से अवगत कराना था ताकि ये लोग विदेशों में कार्य भार संभालने पर ग्रामीण भारत की ठीक तस्वीर पेश कर सकें।]

यह आवश्यक है कि ये लोग अपने देश की सांस्कृतिक धरोहर तथा देश में ग्रामीण विकास की वर्तमान संरचना, आधार, पंचायत राज संस्थानों तथा ग्राम विकास में उनके योगदान को भली-भांति समझ सकें और जब ये लोग भविष्य में अपने देश के राजनयिक बन कर विदेशों में जाएं तो अपने राष्ट्र की सही तस्वीर उनके सामने रख सकें। अतः इस पाठ्यक्रम का मुख्य उद्देश्य प्रोवेशनरों को विभिन्न ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के विभिन्न पहलुओं पर प्रत्यक्ष जानकारी देना है। ये कार्यक्रम विभिन्न जन सांख्यकीय तथा पारिस्थितिक पहलुओं से सम्बन्धित हैं और समूचे देश में चलाए जा रहे हैं। इस तरह के ज्ञान प्राप्त होने पर विदेशों में भारत के विषय में समझाने में सहायता मिलेगी।

हमारी सभ्यता संसार की प्राचीनतम सभ्यताओं में है जो कि 3000 वर्ष पहले भी उच्च शिखर पर थी। विश्व के सभी महान धर्म भारत के धार्मिक संगम में घुल-मिल गए। भारत के लोगों के जीवन, रीतिरिवाज तथा तौर-तरीकों को वनाने में कई पहलुओं का हाथ था। विश्व भर में इतनी विषमता के बावजूद इतनी बुनियादी एकता की अन्तः सलिला अन्यत्र बहती दृष्टिगत नहीं होती। वास्तव में हमारी सांस्कृतिक परम्परा की निरन्तरता में कुछ अनोखापन अवश्य है। यह परम्परा हड़प्पा, मोहनजोदारों के काल खण्ड से आरम्भ होती है और महान सिन्धु घाटी सभ्यता का प्रतिनिधित्व करती है जो कि भारतीय इतिहास में व्याप्त है और जिस इतिहास ने अनेक उतार-चढ़ाव देखे हैं। विजय-गौरव की गरिमा देखी और परामव का क्लेश भी सहा।

प्रो० गोर्डन चिल्डे लिखते हैं :— 'सिन्धु घाटी सभ्यता मानव जीवन के सर्वांगीण समन्वय का प्रतिनिधित्व करती है और यह समन्वय केवल ऐसे विशेष वातावरण से प्रादुर्भूत हो सकता है जो कि वर्षों के अनवरत प्रयत्नों का फल है। और यह सभ्यता बनी रही, यह पहले से ही विशेष रूप से भारतीय है और हमारे लिए वर्तमान भारतीय संस्कृति का आधार है।' उन्होंने आगे लिखा है, 'सुनियोजित सड़कें, नालियों से जल निकासी की उत्कृष्ठ व्यवस्था, जो कि बराबर साफ की जाती थी, ये सब इस बात का प्रमाण हैं कि कोई नियमित नगर पालिका जैसा तंत्र इनकी देखरेख करता होगा। इस तंत्र का अधिकार काफी मजबूत रहा होगा ताकि नगर के उपनियमों का पालन किया जा सके। कई बाढ़ों के फलस्वरूप अनेक बार निर्माण के वाद भी गलियों और सड़कों का ठीक रख रखाव उक्त तथ्य का द्योतक है।'

यदि भारतीय लोग स्थायी और शक्तिशाली गुणों के धनी न होते, तो निश्चय ही हजारों सालों तक उनकी इतनी उत्कृष्ट सांस्कृतिक जीवन अविरल गति से न चलता। हमारा प्राचीन साहित्य, कवि कालीदास और भवमूर्ति की रचनाएं, सांची, एलोरा, महावली पुरम या मुदुराई की कलाकृतियां, अजन्ता की गुफाएं —कुछ ऐसे उदाहरण हैं जो कि विचारों की शक्ति, दृष्टि की स्पष्टता और मानसिक समृद्धि के परिचायक हैं और इन स्मारकों के पीछे इन्हीं का योगदान है। यह सांस्कृतिक धरोहर लोगों में घर कर गई और उन पर इसका बड़ा जोरदार प्रभाव पडा। हमारे देश का इतिहास पुर्नजागरण के जाज्वल्यमान काल खण्डों से ज्योतित है जो कि लोगों को 'चरैवेति चरैवेति' से प्रेरित होने का साक्षी है।

मैक्समूलर ने इस बात पर जोर देते हुए कहा है :—'हिन्दू विचार धारा तीन हजार साल के विस्तृत अवधि से भी अधिक समय में फैली हुई है और वास्तव में आधुनिकतम और प्राचीनतम हिन्दू विचार धारा में एक अटूट निरन्तरता है।' वे लिखते हैं : 'यदि कोई मुझसे पूछे कि कौन-सी वह भूमि है जहां मानव मन

* भारतीय विदेश सेवा के परिवीक्षार्थियों के लिए 'ग्राम तथा सामुदायिक विकास' पर आयोजित प्रथम पाठ्यक्रम की समाप्ति पर श्री आई० जे० नायडू, सचिव, ग्राम विकास विभाग, कृषि तथा सिंचाई मंत्रालय, द्वारा 16 अप्रैल, 1977 को दिए गए विदाई भाषण से उद्धृत।

ने अपनी कुछ उत्कृष्ठ देनों का पूर्णरूपेण विकास किया है, जीवन की जटिलतम समस्याओं पर अत्यन्त गंभीररूप से विचार किया है और उनमें से कुछ के समाधान ढूंढे है जिन पर कि प्लोटो और कैंट जैसे दार्शनिकों के अध्येता भी सोचने को मजबूर हैं—तो मेरा उत्तर होगा वह भूमि है भारत। इतना ही नहीं, यूरोप में हम लोगों के विचार तो केवल यूनान और रोमन विचारधाराओं या सेमिटिक जाति के यहूदियों से पोषित हुए हैं, अगर मुझसे कोई पूछ बैठे कौन-सा ऐसा साहित्य है जो हमारी उक्त विचारधाराओं का सही दिशानिर्देश कर सकता है, जो कि हमारे आन्तरिक जीवन को अधिक पूर्ण बनाने के लिए सर्वाधिक अपेक्षित है, जो अधिक व्यापक है, अधिक सार्वभौमि है, वस्तुतः अधिक सच्चे मानव जीवन के लिए है—न केवल ऐहिक जीवन के लिए अपितु पारलौकिक जीवन के लिए भी तो फिर मैं उसी भारत देश की ओर इशारा करूंगा।'

जब आर्य लोग भारत की शश्यश्यामल तथा समृद्ध सिंधु गंगा के मैदानों में उतरे तो उनकी अभिव्यक्ति वेदों के स्वतः स्पूर्त मन्त्रों में हुई। वेद मानव मन के प्राचीनतम वाङ्मय हैं। मैक्समूलर ने उन्हें आर्यों द्वारा उच्चरित प्रथम शब्द कहा है, जिसे कि हमने उत्तराधिकार में पाया है।'

आर्य-विचार धारा में उपनिषद् हमें एक कदम आगे ले जाते हैं—उनमें सत्य को पाने के लिए एक जिज्ञासा लक्षित होती है। उसका उद्देश्य है आत्मानुभूति, वह आत्मा जो कि पूर्ण का एक अंग है। 'असतो मा सद्गमय, तमसो मा ज्योतिर्गमय, मृत्योर्माम् तगमय—मुझे असद् से सदकी ओर अंधकार से प्रकाश की ओर, मृत्यु से अमरत्व की ओर ले जाओ। 'मनुष्य को अपने कर्तव्य और दायित्व निलिप्त भाव से निभाने हैं, उसे सामाजिक दायित्वों और आध्यात्मिक उपलब्धियों के बीच तालमेल बैठाना है। उपनिषदों के विषय में श्री राजगोपालाचार्य ने जो कहा है उसके आगे कुछ कहने को और नहीं रह जाता। विराट कल्पना, विचारों की ऊंचाई, सत्य को पाने के लिए अन्वेषण की अदम्य जिज्ञासा में ही और इन्हीं को लेकर उपनिषद् के गुरु तथा शिष्य ब्रह्माण्ड रहस्यों का उद्घाटन करते लक्षित होते हैं। इन्हीं के कारण विश्व की ये पवित्र पुस्तकें प्राचीनतम होते हुए भी आज भी आधुनिकतम तथा सन्तोषदायिनी हैं।

ऐसी पुस्तकें तो नगण्य हैं जिन्होंने जनमानस पर रामायण, महाभारत, और गीता से अधिक प्रभाव डाला है। अत्यन्त पुरातन होने पर भी वे वर्तमान जीवन की जीवन्त शक्ति हैं, उन्हें वीरोचित परम्परा तथा नैतिक जीवन की प्रेरणा देती हैं। महाभारत भारत की मौलिक एकता पर जोर देता है। भारत वर्ष शब्द की व्युत्पत्ति भरत से हुई। भरत इस राष्ट्र के संस्थापक बताए जाते हैं। जब कभी हमारे मन में शंकाएं उठती हैं हम अपने कर्तव्य के प्रति संघर्ष में डगमगाते हैं, तब गीता हमें प्रकाश देती है, हमारा मार्गदर्शन करती है।

भारत राजनीतिक और आर्थिक रूप से समन्वय के माध्यम से बढ़ रहा है। विचारों में क्रांतियां आई, जिनके परिणामस्वरूप बौद्ध और जैन धर्म का आविर्भाव हुआ। वर्ण-भेद का आधार तो पहले-पहल श्रम विभाजन था पर कालान्तर में संकीर्ण और कठोर मनोवृत्तियों के कारण वर्ण व्यवस्था में अनेक ग्रन्थियां पैदा हो गई, हम अपने देश में उनसे जूझ रहे हैं ताकि हम बिना किसी जाति भेद के समानता पर आधारित समाज का निर्माण कर सकते हैं।

जब आज के ये लोग विदेशों में जाएं तो इन्हें अपने यहां की कई तथा कथित कमियों और बुराइयों की व्याख्या करनी होगी जिन का उल्लेख विदेशी इतिहासकारों ने अपने साम्राज्यवादी उद्देश्यों की पूर्ति के लिए भारत का इतिहास लिखते समय किया है। हमें किसी बात के लिए हीनता नहीं प्रदर्शित करनी हैं। हम एक महती तथा शानदार सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं और इस बात का एहसास होने पर हम अपने देश की तस्वीर ठीक परिप्रेक्ष्य में रख सकेंगे।

अतीत का अध्ययन, अपनी प्राचीन संस्कृति को जानकारी और धरोहर द्वारा हम वर्तमान भारतीय जनमानस तथा जीवन की खोज में अग्रसर हो सकते हैं। हमारे ग्रामीण बंधुओं में जो कि अब भी प्राचीन परम्पराओं को संजोये हुए हैं कुछ स्थायी और सूक्ष्म शक्ति मोजूद हैं। भले ही हमारे सभी लोग साक्षर न हों, वे सुसंस्कृत हैं और उनमें बुरे-भले का भेद करने की विवेक बुद्धि हैं। लोकप्रिय दर्शन, नैतिकता, सभी इतिहास, पौराणिक मान्यताएं किंवदन्तियां तथा लोकगीत प्राचीन काल से ही उनके जीवन के ताने-बाने रहे हैं और इनका मनोहारी समन्वय है हमारी परम्परा। हमारे यहां के लोगों की विपुल शक्ति और इनके आन्तरिक स्रोत ने ही उन्हें इस योग्य बनाया कि वे उनके जीवन में होने वाली गडबड़ी और अस्तव्यस्तता के विरोध में वे अविचल डटे रह सकें।

महात्मा गांधी ने बहुत पहले कहा था: 'हम एक ग्रामीण सभ्यता के उत्तराधिकारी हैं। हमारे देश की विशालता, जनसंख्या की बहुलता, देश की स्थिति एवं जलवायु ने, मेरे विचार में, हमारी सभ्यता को एक ग्राम्य सभ्यता बनाया है। इसकी कमियां तो जानी-मानी हैं पर उनमें एक भी ऐसी नहीं है कि जिनका इलाज न हो सके।' भारतीय ग्राम्य जीवन के पुनरुद्धार और पुनरुत्थान के लिए सामुदायिक विकास का कार्यक्रम को महात्मा गांधी के जन्म दिवस, 2 अक्तूबर 1952 को श्रीगणेश किया गया। इसके बाद पंचायतीराज की प्रणाली का सूत्रपात हुआ। सर्वांगीण विकास के लिए मजबूत आधार तैयार किया गया। विस्तार सेवा के माध्यम से अनिवार्य विशेषज्ञ सेवाएं मुहैया की गई। जब एक बार निश्चित आधार जमा लिया गया तो कमजोर वर्गों के हितों के लिए विशेष सघन कार्यक्रम हाथ में लिए गए। इनमें कुछ चुनीदा कार्यक्रम में बाढ़ग्रस्त क्षेत्र कार्यक्रम, छोटे व सीमान्त कृषक विकास प्राधिकरण, जनजाति तथा पर्वतीय क्षेत्र परियोजनाएं कृषि ऋण आदि योजनाएं हैं।

शेष पृष्ठ 27 पर]

कृषि का आधुनिकीकरण ★ डा० रामगोपाल चतुर्वेदी

हमारे देश में कृषि के क्षेत्र में आज जो आधुनिकीकरण दिखाई पड़ता है वह पिछले दशक में तेजी से शुरू हुआ था। सन् 1965-66 में और सन् 1966-67 में लगातार दो साल तक देश में सूखा पड़ा था। उस समय देश में जो अन्न का अभाव महसूस किया गया, इसके बाद से ही खाद्य मोर्चे को सुनियोजित ढंग से शुरू किया गया और खाद्यान्न के मामले में देश को आत्मनिर्भर बनाने का दृढ़ संकल्प किया गया।

इस योजना के कई व्यापक पहलू थे। इसके अनुसार कृषि के क्षेत्रफल में विस्तार किया गया और सिंचाई की सुविधाओं को निरन्तर बढ़ाने की ओर ध्यान दिया गया। गांव-गांव बिजली पहुंचाई गई और ऐसी व्यवस्था की गई जिससे किसानों को सिंचाई की सुविधा के लिए बिजली मिल सके। दूसरा प्रमुख पहलू था प्रति इकाई उपज बढ़ाने का। इन दोनों दृष्टियों से जो प्रयत्न आरम्भ किए गए, उसमें देश को आशातीत सफलता मिली है। इसका श्रेय किसान भाइयों को ही जाता है। उन्होंने कृषि की नई विधियां अपनाकर यह साबित कर दिया कि हमारे देश का किसान जागरूक है और खेती की नई-नई जानकारी को अमल में लाकर अपनी उपज बढ़ाने में तत्पर है। खेती करने के पुराने घिसे-पिटे तौर-तरीकों से चिपटे न रह कर किसानों खेती की नई विधियों को साहस से काम में लाए है। नए बीज, खाद और उर्वरक का प्रयोग, रोगों और कीड़ों की रोकथाम के उपाय आदि क्षेत्रों में सभी प्रकार से किसानों ने खेती के नए तरीकों को अपनाया है और कृषि वैज्ञानिकों ने इस दिशा में भरपूर योग दिया है। इस योजना में भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद् ने सराहनीय काम किया है।

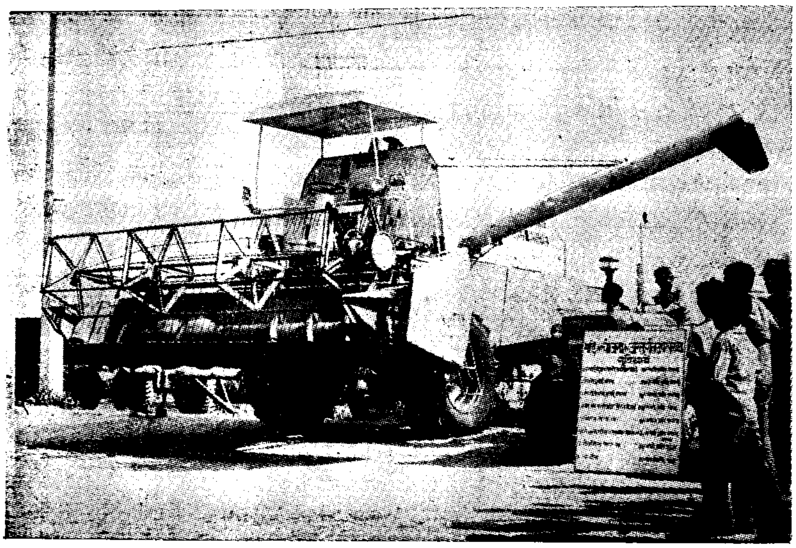

इस दशक के शुरू में मैक्सिको से बौने गेहूं के बीज मंगाए गए थे। पर इन किस्मों में गेहूं के दाने का रंग लाल था जो हमारे देशवासियों को पसन्द नहीं आया। लिहाजा, देशी गेहुंओं के साथ संकरण करके और परमाणु-विकिरण द्वारा गेहूं की ऐसी नई किस्में विकसित की गईं, जो शरबती रंग की थी और अधिक उपज देने वाली थी। इनकी चपाती भी अच्छी बनती थी। जैसे शरबती सोनारा, कल्याण सोना, हीरा, मोती, अर्जुन तथा जनक आदि किस्में। इनकी प्रति हैक्टर उपज को आशातीत पाकर किसानों को बहुत प्रोत्साहन मिला और इसी कारण किसानों ने व्यापक पैमाने पर अपनाया। इससे देश की उपज में बहुत बढ़ोतरी हुई। पंजाब और हरियाणा ही नहीं दूसरे राज्यों में भी जहां सिंचाई की सुविधा थीं इन किस्मों की वजह से पैदावार में काफी इजाफा हुआ। गेहूं के अलावा अन्य फसलों में भी आधुनिकीकरण का यह दौर चल निकला। चावल की उपज भी पहले से बढ़ी और धान की ऐसी किस्में विकसित की गईं जो प्रति हैक्टर अधिक पैदावार देने में समर्थ हुईं। इस समय देश के हर कृषि क्षेत्र के उपयुक्त धान की किस्में विकसित की गई हैं। इनमें जया, पद्मा के नाम विशेषरूप से लोकप्रिय हुए हैं। गेहूं और चावल ही नहीं अन्य अनाजों की पैदावार में भी काफी उन्नित हुई है।

कृषि के आधुनिकीकरण के फलस्वरूप अनाज के उत्पादन में कितनी तेजी से हम आगे बढ़े हैं, इसका अन्दाज़ा इसी तथ्य से लगाया जा सकता है कि जहां 1960-61 में अनाज का उत्पादन 8 करोड़ 23 लाख टन था, वहां सन् 1975-76 तक 11 करोड़ 60 लाख टन हो गया, इसी वर्ष के दौरान कहीं-कहीं बाढ़ें भी आईं और जहां-तहां सूखा भी पड़ा तो भी अनुमान है कि अनाज का उत्पादन पिछले वर्ष से कम नहीं होगा और सम्भावना इस बात की है कि अनाज का उत्पादन 12 करोड़ टन तक हो सकता है। इस सफलता के पीछे योजनाबद्ध कृषि विकास का बड़ा हाथ है। कृषि के उपयोगी यन्त्रों का निर्माण किया गया है और सहकारी आधार पर इन यन्त्रों का लाभ किसानों ने उठाया है। अनेक राज्यों में ट्रैक्टरों के जरिए परती भूमि तोड़ी गई है। हल बैल परम्परागत साधन तो इस्तेमाल किए

ही जाते हैं, लेकिन बड़े-बड़े फार्मों पर ट्रैक्टर थ्रैशर आदि यन्त्रों से भूमि की जुताई, फसल की कटाई, मड़ाई आदि की जाती है। इसी तरह अनाज भण्डारण के लिए पूसाकोठी, आदि सुधरे साधनों का काफी प्रचलन किसानों में हो गया है। कीटनाशी दवाओं का छिड़काव व्यापक पैमाने पर किया जाता है।

कृषि के साधनों में भी बहुत प्रगति हुई है। सन् 1950 में कुल सिंचित क्षेत्र 2 करोड़ 20 लाख हैक्टर था। सन् 1974 में यह बढ़कर 4 करोड़ 40 लाख हैक्टर हो गया यानी एकदम दुगना। सन् 1950-51 में एक लाख मीट्रिक टन उर्वरक इस्तेमाल किया गया था। अब यह मात्रा 30 लाख मीट्रिक टन तक पहुंच गई है। बीज और कीटनाशी दवाओं के उत्पादन और प्रसार में भी बहुत उन्नति हुई है। अधिक उपज देने वाली किस्मों की खेती का प्रसार इसका उदाहरण है। सन् 1965 में ये किस्में चार हैक्टर क्षेत्र में उगाई गई थीं। सन् 1972 में इनका क्षेत्रफल बढ़कर 40 लाख हैक्टर हो गया। इससे यह जाहिर होता है कि हमारे देश के किसान खेती की नई जानकारी को अमल में लाने में किसी से पीछे नहीं हैं। धान पैदा करने वाले परम्परागत क्षेत्रों में जैसे पश्चिमी बंगाल और असम में भी अब काफी मात्रा में गेहूं पैदा होने लगा है। इसी प्रकार पंजाब और हरियाणा में काफी मात्रा में धान पैदा होने लगा है। हर क्षेत्र के लिए उपयुक्त-फसल-चक्र को अपनाकर किसान अब साल में पहले से कहीं ज्यादा फसलें उगा लेते हैं।

किसानों की लगन और उत्साह को बनाए रखने के लिए खेती करने वालों की अन्य समस्याओं को भी हल किया गया है। किसानों के सामने एक समस्या समय पर ऋण पाने की थी, ताकि वे उर्वरक, कीटनाशी दवाएं, नए बीज, आदि खरीद सकें और सिंचाई के नए साधन जैसे नलकूप और पम्प वगैरह लगा सकें। बैंकों का राष्ट्रीकरण किया गया और उसके बाद से बैंकों की अनेक शाखाएं ग्रामक्षेत्रों के पास भी खोली जा रही हैं। इससे किसानों को कर्जा मिलने की सुविधा आसान शर्तों पर हो गई है। अब प्रगतिशील किसान बीज, खाद, पम्प, ट्रैक्टर आदि भी खरीद सकते हैं। भूमि-हीनों को व्यापक पैमाने पर भूमि दी गई है और आवश्यक कृषि साधन सुलभ कराने के लिए विभिन्न राज्यों द्वारा तकावी बांटी गई है। इन सब प्रयत्नों के फलस्वरूप खेती को नई दिशा में आगे बढ़ने में सफलता मिली है।

अब एक ऐसी कृषि तकनीक का विकास किया जा रहा है जो पूंजी के बजाय श्रम पर आधारित होगी। ऐसी कृषि तकनीक को अमलीजामा पहनाने के लिए देश में आजकल लगभग 40 अखिल भारतीय समन्वित परियोजनाएं चालू हैं। 21 कृषि विश्वविद्यालय और 30 केन्द्रीय अनुसन्धान संस्थान काम कर रहे हैं। इन सभी जगहों पर जो अनुसंधान कार्य हो रहा है वह धीरे-धीरे किसानों तक पहुंच रहा है। इसीलिए समय-समय पर किसान मेला और राष्ट्रीय प्रदर्शन के कार्यक्रमों का आयोजन किया जाता है।

यहां पर एक बात और कहनी है कि कृषि का आधुनिकीकरण उन्हीं क्षेत्रों में हो सका है जहां सिंचाई की सुविधा मौजूद है। आज भी हमारे देश में ऐसा बहुत बड़ा क्षेत्रफल है जहां सिंचाई की पर्याप्त सुविधा नहीं है। नए बीज, उर्वरक आदि का लाभ उन्हीं क्षेत्रों को मिल सकता है जहां सिंचाई की सुविधाएं मुहैया की गई हैं। आमतौर पर हमारे देश की खेती मानसून पर निर्भर रहती है। बारानी क्षेत्रों की उपज तभी अच्छी होती है जब समय पर वर्षा हो जाए। यदि मानसून समय पर कृपा न करे तो बारानी क्षेत्रों में अधिक उपज नहीं हो पाती है। अतः आने वाले समय में सिंचाई की सुविधाओं का निरन्तर विस्तार करना लाजमी है। इसके लिए जरूरी है कि छोटी-छोटी सिंचाई योजनाओं को अमल में लाया जाए जिन्हें पूरा करने में अधिक समय न लगे। इसलिए देश की योजना में सिंचाई के काम को सबसे अधिक महत्व दिया जाना चाहिए। हमें सिंचाई साधनों का तेजी से विस्तार करना होगा। अभी लगभग 70 प्रतिशत भूमि के लिए सिंचाई की सुविधाएं उपलब्ध कराना बाकी है। आशा है कि योजना के अनुसार सिंचाई का काम आगे बढ़ेगा और हमारा देश खाद्यान्न के मामले में पूरी तरह निर्भर हो सकेगा, और तब कृषि के आधुनिक तरीकों से और अधिक सम्पन्नता हो सकेगी। सच बात तो यह है कि सिंचाई के साधनों का विस्तार ही कृषि के आधुनिकीकरण की कुंजी है।

वैसे आज स्थिति यह है कि अनाज का उत्पादन दिनों-दिन बढ़ रहा है। अब समस्या यह है कि अनाज की पैदावार और वृद्धि के कारण भण्डारण की व्यवस्था का विस्तार करना लाजमी हो गया है। आज अनाज के सुरक्षित भण्डार में 1 करोड़ 80 लाख टन अन्न हमारे पास मौजूद है। भविष्य के लिए अनाज को सुरक्षित रखने के लिए ऐसे उपाय किए जा रहे हैं कि भण्डार की क्षमता बढ़ाकर करीब 2 करोड़ टन तक की जा सके।

यहां दो बातों की ओर ध्यान दिलाना जरूरी है। उत्पादन बढ़ाने के अलावा सरकार ने अनाज की समुचित वितरण व्यवस्था लागू की है और अनाज की सरकार द्वारा खरीद होती है। इससे व्यापारी वर्ग किसानों का शोषण नहीं कर पाता। किसानों को अपनी पैदावार का उचित मूल्य मिले और पैदावार बढ़ने से अनाजों के मूल्य में गिरावट न आने पाये इसका सरकार ने उचित प्रबन्ध किया है। सरकारी खरीद से किसानों को लाभ पहुंचा है। बिचौलियों का खात्मा करके किसानों के हितों की रक्षा की गई है। समुचित वितरण व्यवस्था से आम आदमी को अनाज पर्याप्त मात्रा में मिल रहा है और इस तरह जन-साधारण और किसान दोनों वर्गों के हितों में तालमेल बैठाया गया है। ये सब बातें आज इसलिए संभव हो सकी हैं क्योंकि कृषि को आधुनिक रूप देने की ओर प्रशासन, कृषि वैज्ञानिक और किसानों ने मिल कर योगदान किया है।

★

बैलगाड़ी के बदलते तेवर

योगेशचन्द्र शर्मा

पं० जवाहर लाल नेहरू ने एक बार कहा था कि हमारी अर्थव्यवस्था बैलगाड़ी की अर्थव्यवस्था है। मूलत: हमारी स्थिति में आज भी कोई बहुत बड़ा परिवर्तन नहीं आया। हमारा देश आज भी कृषिप्रधान देश है और इस तथ्य को बदलना न तो सम्भव ही है और न आवश्यक। कुछ समय पूर्व बंगलौर स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्थान द्वारा, देश के विभिन्न क्षेत्रों में फैले हुए चालीस जिलों के सर्वेक्षण से यह ज्ञात हुआ था कि हमारे कृषि उत्पादन का साठ प्रतिशत से भी अधिक भाग, बैलगाड़ियों के द्वारा ही शहर की मण्डियों में पहुंचता है। वहां से लौटते हुए किसान, अपनी आवश्यकता की जो वस्तुएं इन बैलगाड़ियों में डाल लाते हैं, वह इससे अलग है। ग्रामवासियों को एक स्थान से दूसरे स्थान पर पहुंचाने में भी इन बैलगाड़ियों का प्रमुख सहयोग होता है। यात्री और सामान ढोने के अतिरिक्त शादी ब्याह में भी, यही बैलगाड़ियां सज-धज कर और घंटियों की मधुर आवाज करते हुए बारात की शोभा वृद्धि करती हैं। यद्यपि कृषि कार्य के लिए अब बड़ी मात्रा में ट्रैक्टर भी खेतों में पहुंचने लगे हैं और सामाजिक कार्यों में वे अपना योगदान करने लगे हैं मगर उनके द्वारा की गई सेवा का प्रतिशत बहुत कम है। वहां पर बैल ही किसान का प्रमुख सहयोगी है। घानी में तेल निकालने या कुएं से पानी निकालने जैसे अनेक कार्यों में भी बैल की भूमिका उल्लेखनीय हैं। बैल का कार्यक्षेत्र बहुव्यापी है। बैल जब अन्य कार्यों में होता है तो गाड़ी घर के आंगन के किसी कोने में निष्क्रिय पड़ी रहती है और बैल के संसर्ग में आकर वही गाड़ी पुनः सक्रिय होकर सेवाकार्य में जुट जाती है।

बैलगाड़ी के इस महत्व के कारण ही इन दिनों, ग्रामीण क्षेत्रों में तकनीकी ज्ञान के प्रचार प्रसार की दृष्टि से जिन दो बातों की चर्चा सर्वाधिक हो रही है, उनमें एक बैलगाड़ी है और दूसरी गोबर गैस। पिछले कुछ समय से अन्तर्राष्ट्रीय बाजार में तेल के मूल्यों में जो निरन्तर वृद्धि होती रही है और उससे हमारी राष्ट्रीय अर्थव्यवस्था को जो बड़ा धक्का पहुंचा है, उसने भी हमें बैलगाड़ी के विकास की तरफ ध्यान देने को विवश किया है।

बैलगाड़ी का जन्म कब और किस प्रकार से हुआ, कहना कठिन है। सिन्धु घाटी की सभ्यता में भी हमें इसके अस्तित्व के प्रमाण मिले हैं। अनुमान है कि जब से मनुष्य ने कृषि कार्य प्रारम्भ किया और जब से उसे घूमने वाले पहिए के महत्व का ज्ञान हुआ, तभी से बैलगाड़ी का अस्तित्व है। तब से लेकर आज तक यह कृषि उत्पादन की धुरी बनी हुई है और हमारे ग्रामीण किसान के अस्तित्व का यही प्रमुख आधार है। अकाल के समय किसान अपना सब कुछ बेचकर पेट पालने की कोशिश करता है लेकिन उस वक्त भी वह अपनी बैलगाड़ी को और मुख्यत: बैलों को बचाकर रखना चाहता है। बैलगाड़ी विहीन किसी भारतीय गांव की कल्पना करना कठिन है। यह किसान की आवश्यकता है और उसकी गौरवशाली सम्पत्ति भी। गाड़िया लुहार जैसी कुछ जनजातियां तो अपना सम्पूर्ण घर ही बैलगाड़ी में बसा लेती हैं। उसी में उनका परिवार होता है और उसी में चल सम्पत्ति भी। बैलगाड़ी की गोद या उसकी छांह में ही उनका जन्म होता है, शैशव बीतता है, यौवन की रंगरलियां मनती हैं और वही उन्हें चिरनिद्रा भी घेर लेती है। उनके जीवन का अथ और अन्त बैलगाड़ी तक सीमित है। शहरी क्षेत्रों में भी कम वजन के सामान को थोड़ी दूर लाने ले जाने में बैलगाड़ी महत्वपूर्ण भूमिका अदा करती है। पैट्रोल के अन्तर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि हो जाने से इस महत्व में और अधिक वृद्धि हुई है। हमारी चीनी मिलें भी खेतों में से गन्ना लाने के लिए मुख्यत: बैलगाड़ियों पर ही निर्भर करती हैं। रामायण और महाभारत के समय तथा उसके उपरान्त अन्य अनेक युद्धों में भी बैलगाड़ी का योगदान उल्लेखनीय रहा है।

हमारे देश में इस समय लगभग एक करोड़ तीस लाख बैलगाड़ियां हैं और उन पर तीन अरब रुपये की पूंजी लगी हुई है। यदि इस धनराशि में गाड़ी खींचने वाले बैलों या अन्य पशुओं का मूल्य भी शामिल कर दिया जाए तो यह बढ़कर लगभग पचपन अरब रुपये हो जाएगी। इसकी तुलना में रेलवे पर हमारे यहां पिछले एक सौ वर्षों में केवल चालीस अरब रुपये ही व्यय हुए हैं। सड़क परिवहन पर यह व्यय और भी कम केवल 25 अरब रुपये है। इससे यह स्पष्ट है कि बैलगाड़ियों के स्थान पर परिवहन के अन्य साधनों की व्यवस्था सरल नहीं। इस कार्य हेतु उन साधनों पर हमें अत्यधिक व्यय करना पड़ेगा। सड़क निर्माण के लिए भी बड़ी धनराशि की आवश्यकता पड़ेगी। फिर रेल या ट्रक आदि हर किसान के खेत तक तो पहुचेंगे नहीं। अतएव बैलगाड़ी उसके लिए अपरिहार्य ही बनी रहेगी। इन अन्य साधनों की, परिवहन के लिए अधिक भार की भी मांग रहेगी। गांव के छोटे-छोटे सामान को इधर से उधर ले जाना, इनके लिए बड़ा मंहगा सिद्ध होगा। तेल मूल्यों में वृद्धि के बाद ऊर्जा सम्बन्धी संकट के कारण, इन अन्य साधनों का प्रयोग वैसे भी सरल नहीं रहा। इसके अतिरिक्त, इस समय बैलगाड़ी के रोजगार में लगभग दो करोड़ व्यक्ति लगे हुए हैं। बैलगाड़ी से मुक्ति प्राप्त करने के प्रयत्न में इन दो करोड़ व्यक्तियों के रोजगार की समस्या भी हमारे सामने उपस्थित हो जाएगी। निष्कर्ष के रूप में यही कहा जा सकता है कि हमारे गांव कभी भी बैलगाड़ी विहीन हो सकेंगे, इसकी कोई संभावना दृष्टिगत नहीं होती। कम से कम निकट भविष्य में तो

तनिक भी नहीं। हमारे 'आयोजना आयोग' का 'कार्यक्रम-मूल्यांकन-संगठन' भी इसी निष्कर्ष पर पहुंचा है कि 'ग्रामीण अर्थ व्यवस्था में बैलगाड़ी का अपरिहार्य स्थान बना रहेगा।'

इस प्रकार की परिस्थितियों में हमारे लिए यही अपेक्षित है कि बैलगाड़ी में आवश्यक सुधार हो और उसे जन-जीवन के लिए अधिक उपयोगी बनाया जाए।

देश के अलग-अलग क्षेत्रों में बैलगाड़ी के ऊपरी ढांचे में अनेक प्रकार के अन्तर हो सकते हैं, मगर उसके पहियों का मूल स्वरूप अधिकांश गांवों में एक समान है। वह है तेल से भीगी सन लिपटी धुरी के चारों तरफ घूमता लकड़ी का गोल पहिया। बनाने में आसान और समझने में सरल। गांव का एक साधारण कारीगर भी उसकी मरम्मत कर सकता है या उसे नए सिरे से बना सकता है। यह पहिया, धूल, मिट्टी, पत्थर, पानी, कीचड़ सब कहीं भी घूम सकता है। बेढब रास्तों पर जब ट्रक या कार आगे बढ़ने से जवाब देने लगते हैं, तब अपने इन्हीं पहियों के सहारे मन्थर गति से चलने वाली बैलगाड़ी हंसती झूमती आगे निकल जाती है। सम्भवतः इसलिए ग्रामवासी अपनी बैलगाड़ी को पसन्द करते हैं और उस पर गर्व करते हैं।

बैलगाड़ी को कोलतार और कंकरीट से बनी या सीमेंट से निर्मित पक्की शहरी सड़कों पर चलने में भी कोई संकोच या शिकायत नहीं। हां उन सड़कों को इसके चलने से शिकायत हो, सो बात अलग है। अनुमान है कि बैलगाड़ियों के कारण जिन सड़कों को क्षति होती है, उन पर देश को प्रतिवर्ष लगभग पचास करोड़ रुपये व्यय करने पड़ते हैं। इससे देश में अनेक स्थानों पर बैलगाड़ी के पहियों के नीचे रबड़ लगाना आवश्यक कर दिया है। फिर भी यह प्रतिबन्ध है अपवाद स्वरूप ही।

बैलगाड़ी के सुधार के संबंध में हमारे सामने प्रमुख समस्यायें है :—

(1) इस समय एक बैलगाड़ी में लगभग 15-20 मन के आसपास ही सामान ढोया जा सकता है। शहरों में चलने वाली और सुधरी हुई बैलगाड़ियों की क्षमता इससे कुछ अधिक है। आवश्यकताओं को देखते हुए यह बहुत कम है। इस क्षमता को बढ़ाया जाना चाहिए।

(2) इस समय बैलों को गाड़ी खींचने में काफी अधिक जोर लगाना पड़ता है। आवश्यकता इस बात की है कि बैल की गर्दन पर गाड़ी का बहुत कम वजन पड़े ताकि उसे खींचने में अधिक कठिनाई न हो।

(3) बैलगाड़ी में इस प्रकार के कोई ब्रेक की व्यवस्था हो, जिससे उसे अचानक रोककर आने वाले खतरे से बचाया जा सके। इस समय रस्सी खींचकर गाड़ी रोकने की प्रथा, बैलों के लिए बड़ी कष्टकर होती है।

(4) इस समय बैलगाड़ी की सामान्य आयु भी बहुत कम है। परम्परागत बैलगाड़ी मुश्किल से 10-12 वर्ष ही ठीक प्रकार से काम कर पाती है। उसके बाद उसका क्षरण प्रारम्भ हो जाता है। इससे, उसकी आयु में वृद्धि करना भी आवश्यक है, ताकि किसान कुछ राहत महसूस कर सके।

(5) सुधार के लिए योजना बनाते समय उसके लागत मूल्यों पर भी दृष्टि रखनी होगी। इस समय एक बैलगाड़ी पर लगभग तीन साढ़े तीन हजार रुपये का व्यय होता है। आवश्यकता इस बात की है कि नए किस्म की बैलगाड़ी का लागत मूल्य इससे बहुत अधिक न हो जाए।

(6) बैलगाड़ी के पुर्जे या दूसरे उपकरण इस प्रकार के हों कि उन्हें अधिकांशतः गांव में ही बनाया जा सके और आवश्यकता पड़ने पर उनकी मरम्मत भी की जा सके।

इन समस्याओं को दृष्टिगत रखते हुए, बैलगाड़ी के सुधार के लिए अनेक प्रकार के प्रयत्न किए गए हैं। सन् 1950 में परम्परागत पहियों के स्थान पर छरेदार पहियों का प्रचलन शुरू हुआ और हाल के वर्षो में लकड़ी के पहियों के स्थान पर हवादार टायर प्रारम्भ किए गए। बैलगाड़ी में दो की जगह चार पहिए लगाये जाने लगे। ये सुधार मुख्यतः शहरों तक ही सीमित रहे और गांवों की लगभग 96 प्रतिशत बैलगाड़ियां इन सुधारों से अछूती ही बनी रही। मुख्य कारण यह रहा कि तथाकथित सुधरी हुई गाड़ियां, न तो ग्रामीणों की आवश्यकताओं की ही पूर्ति करती हैं और न वे ऊबड़-खावड़ कच्ची सड़कों के लिए ही उपयुक्त हैं। इनका मरम्मत कार्य भी ग्रामवासियों के लिए एक विदेशी वस्तु बन गया। वस्तुस्थिति को देखते हुए कभी-कभी कुछ विशेषज्ञों की यह मान्यता भी बनने लगती है कि हमारे गांवों की सड़कों और अन्य तथ्यों के परिप्रेक्ष्य में बैलगाड़ी का वर्तमान स्वरूप ही सर्वश्रेष्ठ है। बंगलौर स्थित भारतीय विज्ञान संस्थान के कुछ विशेषज्ञों ने अपनी राय कुछ इसी प्रकार की बनाई थी। 'फायर स्टोन फैक्टरी' के संचालक ने भी कुछ समय पूर्व एक पत्रकार सम्मेलन में यह सूचना देते हुए बतलाया कि लगभग तीन दशाब्दी पूर्व उस कम्पनी ने दो बैलगाड़ियां खरीद कर अमरीका और इंग्लैंड के विशेषज्ञों के पास भेजी थी। वे विशेषज्ञ काफी सोच विचार के बाद भी ऐसा कोई नमूना तैयार नहीं कर पाए, जो उपलब्ध बैलगाड़ी से अधि कश्रेष्ठ हो और जो हमारी ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुकूल भी हो।

इन सभी तथ्यों के बावजूद यह निर्विवाद सत्य है कि विकास की कोई सीमा नहीं होती और इसलिए ढूंढने पर बैलगाड़ी में भी विकास के लिए पर्याप्त संभावनायें प्राप्त होती हैं। इस दृष्टि से अनेक क्षेत्रों में इसके लिए प्रयत्न किए जा रहे हैं।

नागपुर स्थित कृषि फार्म ने एक ऐसी बैलगाड़ी बनायी, जिसमें बैलों के जुते हुए ही, उसे एक ओर से तिरछा करके सामान उतारा जा सकता है। कर्नाटक के एक किसान देवेन्द्र रामन्ना प्रफुल्लचन्द्र ने एक त्रिभुजाकार बहूद्देशीय बैलगाड़ी बनाई है, जिसे आवश्यकता-

नुसार ट्रैक्टर से भी जोड़ा जा सकता है। कलकत्ता के एक 15 वर्षीय छात्र सुमित सेन के द्वारा निर्मित बैलगाड़ी में ब्रेक की भी व्यवस्था है। इसे दो भागों में बांटा गया है। अग्रभाग चालक के लिए है और पीछे वाला भाग सामान रखने के लिए। बंगलौर स्थित भारतीय प्रबन्ध संस्थान और कोयम्बटूर के इंजिनीयरिंग कॉलेज ने मिलकर, गांव और शहरों के लिए बैलगाड़ी के दो अलग-अलग नमूने तैयार किए हैं। ग्रामीण क्षेत्रों के लिए निर्मित नमूने में यह प्रयत्न किया गया है कि बैल की गर्दन पर कम बोझ पड़ने के साथ ही वह गांवों के ऊबड़-खाबड़ रास्तों के लिए भी उपयुक्त हो। शहरी क्षेत्रों के लिए नमूने में बैलों की सुविधा के अतिरिक्त विशेष ध्यान इस बात पर दिया गया है कि वह अधिक से अधिक बोझ ढो सके। बनाए गए नमूने से तीन टन तक बोझ ढोया जा सकता है। केन्द्रीय सड़क अनुसंधान एक ऐसा पहिया बनाने का प्रयत्न कर रहा है जो ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों के लिए उपयुक्त हो।

बम्बइ की एक संस्था 'रत्नगिरि फोरम' ने एक ऐसी बैलगाड़ी बनाने में सफलता प्राप्त की है, जो ग्रामीण क्षेत्रों की आवश्यकताओं के अनुरूप हो। इसका ढांचा इस्पात का बनाया गया है तथा इसमें हवादार टायर लगाए गए हैं। इसमें ब्रेक की भी व्यवस्था है। इसकी भार ढोने की क्षमता भी पारम्परिक गाड़ी से लगभग दुगनी है।

ग्रामीण आवश्यकताओं के अनुरूप बैलगाड़ी के विकास के लिए प्रयत्न जारी है। सफलतायें उत्साहवर्द्धक हैं। शहरी क्षेत्रों में तो बैलगाड़ी का सुधरा हुआ रूप धड़ल्ले से काम कर रहा है। ग्रामीण क्षेत्र भी अब उपेक्षित नहीं रहे।

अनुमानतः अब तक लगभग पांच लाख बैलगाड़ियों का उपलब्ध ज्ञान के आधार पर आधुनिकीकरण किया जा चुका है। उपयुक्त और सर्व स्वीकृत ढांचा मिल जाने के बाद भी देश की सभी बैलगाड़ियों का तत्काल आधुनिकीकरण सरल नहीं है। एक अनुमान के अनुसार इस कार्य परह में लगभग तेरह अर रुपये की धनराशि की आवश्यकता होगी। स्पष्ट ही यह कार्य शनैः शनैः और क्रमिक रूप में ही हो सकेगा। तब, वह दिन दूर नहीं रहेगा, जब हमारी पारम्परिक बैलगाड़ियां अपने नए और निखरे रूप में, आज कहीं अधिक गति और क्षमता के साथ सक्रिय होकर, गांव और शहरों के फासलों को कम करने में अपना और भी अधिक उल्लेखनीय योगदान कर सकेंगी।

योगेशचन्द्र शर्मा
प्राध्यापक राजनीतिशास्त्र
राजकीय कॉलेज
दौसा (राज०)
३०३३०३

विश्वसनीय एवं असली
पन्तनगर बीज
खरीदते समय कृपया निम्न तथ्यों को अवश्य देखें

● बीज सही प्रकार के थैलों में है, जिस पर
1. सील 2. प्रमाणी करण टैग तथा
3. दो बाली एक चक्र का निशान है.

असली बीज ही खरीदें
नकली बीज न खरीदें

● कि थैलों पर हमारे निगम का निशान दो बाली और चक्र देखें.

उत्तम बीजों की पहचान
दो बाली एक चक्र निशान

● कि आप हमारे अधिकृत वितरक एवं विक्रेताओं से, जिनके पास तराई विकास निगम का साइनबोर्ड व प्रमाण पत्र है, बीज प्राप्त कर रहे हैं.

केवल अधिकृत विक्रेताओं से ही खरीदें।
अधिक दाम न दें, गलत स्थान से बीज न खरीदें,
पंतनगर के बढ़िया बीज सही समय पर
निर्धारित कीमत से खरीदें और ज्यादा लाभ कमायें।

अधिक जानकारी के लिये कृपया संपर्क करें अथवा लिखें :—
मैनेजिंग डाइरेक्टर
तराई डवलपमेंट कार्पोरेशन लि०
पन्तनगर, पो०आ० हल्दी, जिला नेनीताल

IMPACT

उत्तरप्रदेश की भोक्सा जन-जाति : एक अध्ययन ★ परशुराम शर्मा

भारत में सामान्य रूप से जन-जातियों का पर्वतों और जंगलों से विशेष सम्बन्ध माना गया है। जन-जातियां राष्ट्रीय जीवन की मूल धारा से प्रथक सी रहीं। इनकी आर्थिक और सामाजिक स्थिति चिन्ताजनक रही है और सामाजिक तथा सांस्कृतिक दृष्टि से इन्होंने अपना जीवन अपनी 2 प्रादेशिक परिस्थितियों में अपनी समझबूझ और आवश्यकता के अनुसार निर्मित किया है। जब जन-जातियां ऐसे प्रदेशों में रहीं, जहां उनका जीवन अपने ढंग से चल सकता था और जहां वे प्रादेशिक जन संख्या का अधिकतम भाग थी, विशेष समस्याएं सामने नहीं आयीं। जहां जन-जातियां कुछ मैदानी अथवा तराई क्षेत्रों में पाई जाती हैं, वे अन्य जातियों के अधिक सम्पर्क में आती हैं, उन्हें उन से सामाजिक सम्बन्ध बनाने होते हैं।

उत्तर प्रदेश की भोक्सा जन-जाति की समस्याएं किसी बहु संख्यक जन-जाति की समस्याएं नहीं। राज्य के हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग के 12 अगस्त 1974 के पत्र के अनुसार उत्तर प्रदेश के तीन उत्तरी-पश्चिमी जिलों में इनकी कुल संख्या 8,368 है। स्पष्ट है कि इनकी समस्या एक अल्प संख्यक कम-विकसित समूह की है। समाज का एक वर्ग भी पिछड़ा हो जाता है तो सार्वजनिक उत्थान नहीं होता है। अतः जन जाति के उत्थान के लिए प्रशासन की पूर्ण जिम्मेदारी समझी जाती है। उत्तर प्रदेश में जन-जातियों का वर्गीकरण कुछ ही वर्ष पूर्व हुआ है।

भौगोलिक स्थिति

भोक्सा जन-जाति उत्तर प्रदेश के बिजनौर, पौडी गढ़वाल, देहरादून एवं नैनीताल जिलों में निवास कर रही हैं। उपरोक्त सर्वेक्षण बिजनौर जिले के चार गांवों के अवलोकन पर आधारित है। इन गांवों के नाम क्रमशः इस प्रकार हैं। (1) ढ़किया (2) बगनेला (3) बावन सराय (4) कालोनी। इन चारों गांव की जनसंख्या लगभग 1100 है।

यह चारों गांव एक दूसरे से 2-3 मील के फासले से बसे हुए हैं एवं चारों गांवों में भोक्सा जन-जाति ही निवास कर रही है। यह चारो गांव बसावट एवं सामाजिक एवं आर्थिक दृष्टि से एक ही तरह के लगते हैं।

ये चारों गांव पौडी गढ़वाल एवं बिजनौर जिले की सीमा के पास हिमालय की श्रेणियों से करीब दो-दो मील दूर मैदानी इलाके में बसे हुए हैं। इन गांवों में पहुंचने के लिए तीन रास्ते हैं। वाया कोटद्वार, नजीबाबाद एवं नगीना लेकिन गांव में जाने के लिए 6 मील पहले से ही कोई भी साधन नहीं है, वहां पैदल जाना पड़ता है। ये गांव बिजनौर जिले में, नगीना तहसील, थाना-बढ़ापुर, पोस्ट आफिस कोटकादर एवं कोतवाली विकास खण्ड के अन्तर्गत आते हैं। तहसील की दूरी 20 मील, थाने की 30 मील, पोस्ट आफिस की 8-9 मील, एवं विकास खण्ड की दूरी 25 मील है। दो नदियां, सुक्रो एवं खो भी इन गांवों से 1 से 1½ मील की दूरी पर हैं और गांव में जाने के लिए इन्हें भी पार करना पड़ता है। बाकी रास्ते में कुछ जंगल भी पड़ता है। यह इलाका जंगली, पहाडी दोनों प्रकार का है। मैदानी इलाके में भूमि दोमट है जिसमें चावल एवं गेहूं की खेती होती है।

आर्थिक स्थिति

मकान कच्चे बने हुए हैं, दीवार कीचड़ से बनी हुई हैं और दीवारों के ऊपर झोपड़ियां हैं। मकानों के पीछे व आगे दो दरवाजे हैं, सामने बरामदा है और सभी मकान एक ही तरीके के बने हुए हैं। पूरे गांव में मकानों की सिर्फ दो ही पक्तियां है जो आमने-सामने होती हैं। प्रत्येक परिवार में पशु अवश्य पाले जाते हैं जैसे भैंस, गाय, बैल, भैंसा, इत्यादि, बैलों को यह लोग अपनी कृषि के काम में लाते हैं और गाय भैंस का दूध अपने उपभोग के लिए काम में लाते हैं और बेच भी देते हैं। सुक्रो एवं खो नदी से यह लोग मछली पकड़ते हैं और जिन्हें अपने उपभोग के लिए काम में लाते है। जंगलात से यह लोग शहद तोड़ते हैं। इसे अपने उपभोग के काम में लाते हैं और जंगल से ही लकडी, बांस भी लाते हैं जिन्हें घर बनाने एवं जलाने के काम में लाते हैं।

इस जन-जाति के लोगों का मुख्य पेशा कृषि है एवं मुख्य फसल चावल, (मुन्जी), एवं गेहूं की होती है।

ज्यादा से ज्यादा एक या दो परिवारों के पास 100 या 80 बीघा जमीन है बाकी 60 बीघा से लेकर 10 बीघा तक करीब सभी के पास जमीन है। दो-तीन घर बिना भूमि वालों के हैं जो या तो मजदूरी करते हैं या फिर बटाई पर जमीन करते हैं। हाली का काम भी करते हैं। उनके पास अपने हल व बैल होते हैं। इस प्रकार उनका हिस्सा या पारिश्रमिक उन्हें रुपया या अनाज के रूप में मिल जाता है। कृषि के लिए सिंचाई साधनों की कमी है, कुआं भी एक गांव में एक-एक ही है। ये लोग नदी से अपनी सिंचाई करते हैं। इन लोगों ने अपने आप नदी से नहरें बना रखी हैं जो भी कमाई इन लोगों को खेती से होती है वह सिर्फ जीवन निर्वाह के साधनों में ही लग जाती है। ये लोग अपनी जमीन लगान पर भी देते हैं जो वार्षिक या प्रति फसल के ठेके पर प्रति बीघा के हिसाब से देते हैं। इन गांवों में बढ़ई, लुहार भी नहीं है और वे लोग कभी-कभी गांव में आते हैं और अपना काम करके अनाज या नकद पैसा लेकर चले जाते हैं। नाई भी इन गांवों में 3-4 दिन के बाद चक्कर लगाता रहता है और यह नाई टांडा गांव

का है जोकि जन-जातीय गांव न होकर जातीय गांव है। इसे ये लोग हर फसल पर अनाज देते हैं। यह करीब 4-5 सेर होता है। सुनार भी इन गांवों में नहीं है। न ही ज्यादा जेवरों का प्रचलन इस जन-जाति के लोगों में है। इस प्रकार इस जन-जाति के लोगों में आपस में कृषकों, श्रमिकों एवं शिल्पकारों के सीमित सम्बन्धी भी देखने को मिलते हैं।

इन गांवों में कोई भी बाजार नहीं है एक वैश्य, (बनिया) इस जन-जातियों द्वारा बसाया हुआ है जोकि नगीने कस्बे का है। जीवन निर्वाह की वस्तुएं इन लोगों को देता है और उसके बदले पैसा या अनाज लेता है। जीवन निर्वाह की जो वस्तुएं दुकानदार रखता है वह है नमक, तेल, बीड़ी, गुड़, दाल, चावल, कपड़ा तथा माचिस। फसल जब होती है तो यह दुकानदार भोक्साओं से अनाज भी खरीद लेता है या फिर और वैश्य, पंजाबी, दुकानदार लोग टांडा एवं कोटद्वार से फसल के समय गांव में आ-कर अनाज खरीद लेते हैं। फसल के समय यह लोग अनाज मण्डियों में भी ले जाते हैं, ये मण्डी गांव से 6-8 मील की दूरी पर हैं। जैसे कोटद्वार, नजीबाबाद की अनाज मण्डियां। चूंकि जन-जातीय गांवों में बाजार पूर्ण विकसित नहीं हैं तो ये लोग अपनी जरूरत की चीजें भी कोटद्वार एवं नजीबाबाद से ही लाते हैं।

ये लोग जन-जातीय गांव के पास गैर जनजातीय गांवों में हाट या पेठ जोकि साप्ताहिक होती हैं, अपनी जरूरत की चीजें खरीदते हैं। ये चीजें मुख्यतः नमक, मिट्टी का तेल, कपड़ा, बीड़ी, सिगरेट, माचिस, कपड़ा, जूते, बर्तन, मसाले आदि होती हैं। यह साप्ताहिक पेठ गैर जन-जातीय गांव टांडा में लगती है जोकि इन गांवों से करीब 5-6 मील की दूरी पर है और पैदल जाने में करीब 1 घण्टा लग जाता है।

सामाजिक स्थिति

परिवार संयुक्त एवं केन्द्रक दोनों प्रकार के हैं। एक संयुक्त परिवार की संख्या ज्यादा से ज्यादा 15-20 आदमी तक है। संयुक्त परिवार में लोग कार्य सामूहिक रूप से भी करते हैं जैसा कि इन लोगों का मुख्य पेशा कृषि है। अतः कृषि में ही व्यस्त रहते हैं। परिवार में सभी पुरुष जो 15 वर्ष या इससे ज्यादा हैं, खेत पर काम करते हैं, हल जोतते हैं, खेतों में पानी देते हैं। स्त्रियां घर में ही खाना बनाती हैं और समय बचने पर खेतों में भी काम करती हैं। स्त्रियां मछली भी पकड़ती हैं और ये मछली पकड़ने में पुरुषों से फूर्तीली भी हैं। खेतों में निराई व फसल तैयार होने के समय स्त्री व पुरुष दोनों ही कटाई एवं मढ़ाई का काम करते हैं। जानवरों एवं बैलों को चारा पुरुष, स्त्री कोई भी डाल देता है। छोटे बच्चे भी इस काम को कर लेते हैं। छोटे बच्चे खेत की रखवाली भी करते हैं। यह सब काम घर की बहू व बेटी सभी करती हैं।

विवाह यह लोग अपनी ही जन-जाति के लोगों में करते हैं और बाहर दूसरे गांवों में भी और अपने ही गांव में शादी हो जाती है। शादी के लिए मुख्य बात जो है वह गोत्र का बचाव यानी कि अपने ही गोत्र में यह शादी नहीं करते हैं। बाकी किसी भी गोत्र में कर देते हैं। विवाह की पूरी रस्म होती है। ब्राह्मण फेरे डलवाते हैं और बराती भी जाते हैं। अगर किसी के बड़े भाई की मृत्यु हो जाए तो उसकी स्त्री छोटे भाई को ब्याह दी जाती है। विवाह यह दूसरी जाति के लोगों में भी कर देते हैं।

शिक्षा के मामले में ये लोग बिल्कुल अनपढ़ हैं। चारों गांवों के बीच दो प्राईमरी स्कूल हैं। ऐसा देखा गया है कि इनके बच्चे पढ़ने में ज्यादा रूचि नहीं लेते हैं और स्कूल नहीं जाते हैं। न ही मां-बाप इसके बारे में ज्यादा रूचि लेते हैं। 4-5 लोग 4-5 क्लास पढ़े हैं। सिर्फ चारों गांवों में एक लड़का नवीं क्लास में बिजनौर पढ़ रहा है। न ही किसी प्रकार की प्रौढ़ पाठशाला एवं प्रशिक्षण केन्द्र है।

ये लोग हिन्दू धर्म को मानते हैं। देवी के उपासक हैं। ये देवी को भेंट रूप में मुर्गा, बकरा, हलवा-पूरी चढ़ाते हैं। अक्सर हिन्दू त्यौहारों को मानते हैं सबसे ज्यादा महत्व शिव रात्रि को देते हैं। इस दिन प्रत्येक घर में हलवा-पूरी बनते हैं और ये लोग व्रत रखते हैं। साथ ही सभी लोग आपस में एक दूसरे के घर में हलवा पूरी का आदान-प्रदान करते हैं। बच्चे के जन्म के समय, विवाह के समय, किसी की मृत्यु के समय यह सारी रस्म पूरी करते हैं। मृत्यु के बाद अस्थियां गंगा जी ले जाते हैं और पगड़ी की रस्म भी होती है जो बड़े लड़के को बंधती है। गांव में फैसला करने के लिए ये अपना एक जन-जातीय प्रधान रखते हैं। यह प्रधान का पद वंशानुग है।

सरकार द्वारा इन लोगों को बैलों के लिए मदद, सिलाई की मशीन, मकानों के लिए पैसा, सिंचाई के लिए आयल इन्जन्स सहायता रूप में दिए गए लेकिन इससे जन-जाति के लोग सन्तुष्ट नहीं हैं। जिस गांव में सिर्फ एक ही कुआं है वहां पांच-आयल इन्जन्स भेज दिए गए हैं। ना ही इन लोगों को किसी प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। क्योंकि ये लोग जब तक इन्हें प्रशिक्षण न दिया जाए तब तक इन चीजों को इस्तेमाल नहीं कर सकते जैसे सिलाई की मशीन, आयल इन्जन्स उनके लिए व्यर्थ हैं। यह सब मदद उन्हें हरिजन एवं समाज कल्याण विभाग से मिली है। ★

सर्वोत्तम ग्राम-सेवक और ग्राम-सेविकाएं

शशि चावला

राष्ट्रीय स्तर पर 1974-75 के सर्वोत्तम ग्राम सेवक और ग्राम सेविकाओं एवं ग्रामों की घोषणा की गई है। राष्ट्रीय स्तर की इन प्रतियोगिताओं में 17 राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों ने भाग लिया। प्रतियोगिता में भाग लेने वाले 10 ग्राम सेवक, 15 ग्राम सेविकाएं और 16 ग्राम थे। इस प्रतियोगिता में पंजाब राज्य के श्री सुखदेव सिंह, विकास खण्ड, बसी पठाना, जिला पटियाला को 5,000 रु० का प्रथम पुरस्कार देने की घोषणा की गई। इसी तरह सर्वोत्तम ग्राम सेविका का प्रथम पुरस्कार 5,000 रु० तमिलनाडु राज्य की कुमारी एम०

सर्वोत्तम ग्राम सेवक
श्री सुख देव सिह

मनीचम, ब्लाक कांचीपुरम, जिला चिंगलापुट को देने की घोषणा की गई है। सर्वोत्तम ग्राम का प्रथम पुरस्कार 7,000 रु० तमिलनाडु के गांव थोट्टी पलायम, जिला कोयम्बटूर को दिया जाएगा। संघ राज्य क्षेत्र के लिए सर्वोत्तम ग्राम सेविका का पुरस्कार पाण्डिचेरी की श्रीमती एस० ए० मारग्रेट को दिया जाएगा। इसी तरह संघ राज्य क्षेत्र के सर्वोत्तम ग्राम सेवक का पुरस्कार दिल्ली में अलीपुर विकास खण्ड स्थित बांकनेर क्षेत्र के ग्राम सेवक श्री रामकृष्ण दहिया को राष्ट्रय स्तर पर 1500 रु० और राज्य-स्तर पर 500 रु० का पुरस्कार घोषित कर संघ राज्य क्षेत्रों का 1974-75 का सर्वोत्तम ग्राम सेवक घोषित किया गया। अलीपुर विकास खण्ड में लगभग 56 गांव हैं और 15 ग्राम सेवक

संघ क्षेत्र की सर्वोत्तम ग्राम सेविका
श्रीमती एस० ए० मारग्रेट

कार्य कर रहे हैं। कुल मिलाकर विकास खण्ड की जनसंख्या 91350 है।

मेरे यह पूछने पर कि इतने बड़े क्षेत्र

संघ क्षेत्र का सर्वोत्तम ग्राम सेवक
श्री रामकृष्ण दहिया

में जहां 15 ग्राम सेवक कार्य करते हैं आपको ही यह सम्मान क्यों मिला तो श्री रामकृष्ण जी ने बताया : पहली बात तो यह है कि इस बांकनेर क्षेत्र की जनता की मैंने तहेदिल से सेवा की है। हारी

संघ क्षेत्र के द्वितीय सर्वोत्तम ग्राम सेवक
श्री के० ए० चौधरी

बीमारी में उनके दवा-दारु की व्यवस्था करता हूं। दौड़-भाग कर डाक्टर-वैद्यों को उनके घर लाता हूं। जिनके पास पैसा नहीं होता उनके लिए पैसे की भी व्यवस्था करता हूं। शादी-विवाहों के अवसर पर जहां एक ओर लोगों को

चीनी-चावल आदि उपलब्ध कराकर उनके कार्य में सहायक होता है, वहां दूसरी ओर उनकी परिवहन तथा शामियाने आदि की व्यवस्था भी करता हूं। गांवों में जाकर पहले खुद सफाई करता हूं और लोगों को सफाई-स्वच्छता रखने के लिए प्रेरित करता हूं। जो माता-पिता अपने बच्चों को स्कूल भेजने से कतराते हैं, उन्हें बच्चों को स्कूल भेजने के लिए प्रेरित करता हूं। लोगों के आपसी झगड़ों को पंचायत के माध्यम से सुलझवाता हूं। क्षेत्र में गांवों के सब लोग मुझे अपना आदमी समझते हैं। सभी तरह की सेवा-सुश्रषा से मैंने उनका दिल जीता है।

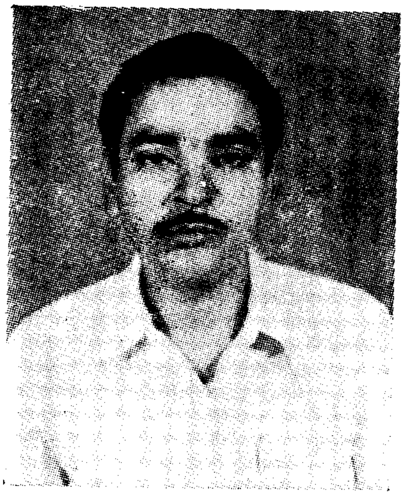

तृतीय पुरस्कार विजेता
श्री धीरेन्द्र नाथ राय

मैंने उनसे जब यह पूछा कि आपने खेती-बाड़ी के सम्बन्ध में क्या कुछ करके दिखाया तो उन्होंने बताया : मेरे प्रयास से इस अवधि में दो नलकूप लगाए गए जिससे 25 एकड़ भूमि में सिंचाई अधिक होने लगी। लोग सब्जी की खेती करने से कतराते थे पर मेरे प्रयास से उनमें सब्जी की खेती करने की भावना जागी और वे अब 1052 एकड़ भूमि में सब्जी की खेती करने लगे हैं। अपने क्षेत्र के किसानों के लिए मैंने अधिक उपज देने वाले 1888 किलोग्राम बीजों की उपलब्धि कराई। उन्हें उर्वरक, कीटाणु नाशक दवाइयां तथा कृषि उपकरण उपलब्ध करवाए। दो कृषि प्रशिक्षण शिवर लगवाए जिसमें 65 किसानों ने भाग लिया। कुछ खेतों में कृषि प्रदर्शन के लिए खेती करवाई, जिसे देखकर किसानों ने लाभ उठाया। मैंने अपने क्षेत्र में तीन एकड़ में बाग लगवाया जिसमें 350 फलदार वृक्ष लगे हुए हैं।

1974-75 के पुरस्कार प्राप्त करने वालों की सूची इस प्रकार है :—

ग्राम सेवक

		पुरस्कार की राशि
1. श्री सुखदेव सिंह, ब्लाक बसी पठाना: जिला पटियाला (पंजाब)	प्रथम पुरस्कार	5,000 रुपए
2. श्री वेंकटेशैया, ब्लाक गोरीबिदानूर, जिला-कोलार (कर्नाटक)	द्वितीय पुरस्कार	3,000 रुपए
3. श्री धीरेन्द्रनाथ राय, ब्लाक देबरा, जिला मिदनापुर (पश्चिमी बंगाल)	तृतीय पुरस्कार	2,000 रुपए

संघ राज्य क्षेत्र

1. श्री रामकृष्ण दहिया, ब्लाक अलीपुर, जिला-दिल्ली (दिल्ली)	प्रथम पुरस्कार	1,500 रुपए
2. श्री के० ए० चौधरी, दादरा एवं नगर हवेली, जिला-दादरा एवं नगर हवेली, (हवेली)	द्वितीय पुरस्कार	1,000 रुपए

ग्राम सेविकाएं

1. कु० एम० मनीचम, ब्लाक कांचीपुरम, जिला-चिंगलापुट, तामिलनाडु	प्रथम पुरस्कार	5,000 रुपए
2. श्रीमती रक्षा कुमारी, ब्लाक पटियाला, जिला-पटियाला (पंजाब)	द्वितीय पुरस्कार	3,000 रुपए
3. श्रीमती सुखदीप कौर, ब्लाक ऊना, जिला-ऊना, (हिमाचल प्रदेश)	तृतीय पुरस्कार	2,000 रुपए

संघ राज्य क्षेत्र

1. श्रीमती एस० ए० मारग्रेट, ब्लाक पांडिचेरी, जिला-पांडिचेरी, (पांडिचेरी)	प्रथम पुरस्कार	1,500 रुपए
2. श्रीमती टी० एन० देसाई, ब्लाक तिसवड़ी, गोआ, दमन व दयु	द्वितीय पुरस्कार	1,000 रुपए

ग्राम—

1. थोट्टीपलायाम, जिला-कोयम्बटूर (तामिलनाडु)	प्रथम पुरस्कार	7,000 रुपए
2. रामपट्टी ग्राम, जिला-सरासा (बिहार)	द्वितीय पुरस्कार	5,000 रुपए

संघ राज्य क्षेत्र

1. कोलम ग्राम, जिला-गोआ, दमन व द्यू	प्रथम पुरस्कार	3,000 रुपए

—

★ उप-संपादक (कुरुक्षेत्र हिंदी)

ग्रामीण भारत की समृद्धि के लिए टैक्नालाजी का उपयोग जरूरी

राधेश्याम शर्मा

उड़ीसा के हीराकुड क्षेत्र में नई तकनीक से कपड़ा बुनते हुए

मानव शक्ति एवं प्राकृतिक संपदा की दृष्टि से हमारा देश विश्व में तीसरे स्थान पर आता है। यदि हम किसी मोर्चे पर पिछड़े नजर आते हैं तो सिर्फ यही कि हमारे यहां के लोग उतने चैतन्य नहीं हैं जितने कि होने चाहिएं। यही कारण है कि देश का एक बहुत बड़ा भाग अभी भी तकनीकी से कोरा अनभिज्ञ नजर आता है जिसके परिणाम-स्वरूप वह गरीबी की चक्की में पिसता चला जा रहा है।

उक्त स्थिति को सुधारने की दृष्टि से गत वर्ष जुलाई में राजधानी में 'ग्रामीण भारत के लिए टैक्नालाजी का रूपांतर' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी हुई जिसमें ग्रामीण भारत के लोगों ने भारी संख्या में भाग लिया। अभी इस दिशा में बहुत कुछ किया जाना है। कृषि, उद्योग, शिल्पकारी, आवास, स्वास्थ्य आदि सभी दिशाओं में तकनीकी के सहयोग से वर्तमान तरीकों में क्रांतिकारी परिवर्तन लाने हैं।

ग्राम्य टैक्नालाजी पर ग्रामीण भारत के मानव संसाधनों और जैविक संसाधनों के वैज्ञानिक उपयोग का उत्तरदायित्व है। स्वभावतः ऐसी टैक्नालाजी के विकास को प्राथमिकता दी जानी चाहिए जो ग्रामीण निर्धनों जैसे-छोटे किसानों भूमि-हीन मजदूरों, शिल्पियों, और ग्रामीण औरतों को फौरन लाभ पहुंचा सके। गैर सरकारी कर्मचारियों को, जिनके कंधों पर ग्रामीण क्षेत्रों के विकास करने का उत्तरदायित्व है, स्वयं को ढाल कर ऐसे माध्यम के रूप में कार्य करना चाहिए जिससे विशेषज्ञ और जनता आपस में संपर्क बनाए रख सकें। इस तरह से सरकार ने अपनी ओर से ग्रामीण विकास के लिए स्पष्ट कार्यक्रम का बीड़ा उठा लिया है।

ग्राम टैक्नालाजी परिषद् ने यह निर्णय लिया है कि समग्र विकास के लिए एक जिले, एक ब्लाक अथवा एक गांव को अपनाने से ग्रामीण निर्धनों की जरूरतों को पूरा नहीं किया जा सकता। हमें देश के प्रत्येक जिले में तुरन्त यह कार्यक्रम आरंभ कर देना होगा और वहां पर यह कार्य सामाजिक कार्यकारी दलों द्वारा संगठित किया जाएगा। इस प्रकार के दलों के लिए मार्गदर्शक सिद्धांत बना दिए जाएंगे जिनका संघटन निम्न प्रकार होगा :

1. ग्राम टैक्नालाजी के विकास के लिए कम से कम जिला स्तर पर सलाहकार समिति संघटित की जाए। इन समितियों की सहायता से ग्रामीण क्षेत्रों में उद्योगों के विकेन्द्रीकरण और देहात के लिए ही कुछ उपभोक्ता वस्तु उद्योगों को नियत करने के लिए जनमत बनाया जा सकता है।

2. इन जिला समितियों के मार्ग दर्शन में प्रत्येक जिले के कम से कम एक ब्लाक के निर्धन ग्रामीणों के जीवनस्तर को ऊंचा उठाने का कार्यक्रम चालू किया जाए।

3. ग्रामीण टैक्नालाजी सूचना सेवा का सूत्रपात किया जाए जो जन-संचार के साधनों जैसे-रेडियो, टेलीविजन, समाचार-पत्र के माध्यम से ग्रामीण टैक्नालाजी के विकास के बारे में जागृति पैदा करने में सहायक हो। इससे सामाजिक कार्य-कर्ताओं को भी इस विषय पर अद्यतन ज्ञान प्राप्त करने में सहायता मिलेगी।

4. ब्लाक स्तर पर जहां केन्द्रीय सरकार, राज्य सरकार और स्वयं सेवा संगठन इसी लक्ष्य की प्राप्ति के लिए आमतौर पर भिन्न-भिन्न दिशाओं में बिना एक दूसरे के क्रिया-कलापों की जानकारी

के कार्य कर रहे हैं, उनमें समन्वय किया जाए। इससे इन एजेंसियों के कार्यों में जहां कहीं भी दोहरापन होगा, उसका निवारण करने में सहायता मिलेगी।

5. (क) ग्रामीण भारत में ग्रामीण और कुटीर उद्योगों के विकास के लिए टैक्नालाजी के प्रयोग के लिए सक्रिय कार्यक्रम लागू किया जाए।

(ख) ग्रामीण शिल्पविदों के उत्पादन को सुगम बनाने के लिए साधन और ढंग सुझाना।

(ग) ग्रामीण भारत में उच्चतर माध्यमिक स्तर पर शिक्षा का व्यवसायीकरण

(घ) ग्रामीण उद्योगों के विपणन की समस्याएं :

इस दशा में पर्याप्त आधारभूत कार्य किया जा चुका है और समग्र ग्राम विकास के प्रस्ताव को क्रियान्वित करने के लिए एक दल संघटित किया जा चुका है। बहुत-सी संस्थाओं ने इस कार्य का शुभारंभ पहले से ही किया हुआ है और इस लक्ष्य के लिए जिले, ब्लाक और गांवों को अपनाया है। लेकिन इस समय स्थिति यह है कि ग्रामीण भारत के समग्र विकास के लिए उत्तरदायी स्थापित संस्थाओं के पृथक्-पृथक् कार्य हैं और इन सब में आपस में कोई समन्वय नहीं है। उनके प्रयत्नों में दोहरापन हो सकता है। टैक्नालाजी के प्रयोग और प्रसार की परिषद् के तथा अन्य संस्थाओं के प्रयत्नों में समन्वय करने और संगोष्ठी एवं प्रदर्शनी के माध्यम से जहां कहीं भी दोहरापन हो, उसे हटाने के लिए पहल की गई है।

राष्ट्रीय स्तर पर हाथ और दिमाग से काम करने वालों के बीच परस्पर वाद-विवाद होना चाहिए और एक तरफ कारीगरों, शिल्पकारों और शिल्पविदों और दूसरी तरफ वैज्ञानिक, टैक्नालाजिस्ट और चिकित्सा कार्मिक आदि को भाग लेना चाहिए। इसके लिए आवश्यक है कि वैज्ञानिक और टैक्नालाजिस्ट ग्रामीण क्षेत्रों की तरफ अभिमुख हों और ग्रामीण कार्यकर्ताओं को नियमित रूप से प्रशिक्षण और अनुसंधान संस्थाओं में जाते रहना चाहिए ताकि उनके औजार बेहतर रहें और उनकी कारीगरी का विकास हो सके। सौभाग्य से, खादी और ग्रामोद्योग आयोग के तत्वाधान में देश के एक छोर से दूसरे छोर तक स्वयं सेवी संस्थाओं का जाल बिछा हुआ है जोकि इस दोतरफा संपर्क का आधार बिन्दु हो सकता है। इन संस्थाओं के माध्यम से ग्रामीण भारत के समुचित पिछड़े क्षेत्रों को रोशनी में लाया जा सकता है जहां वैज्ञानिक टैक्नालाजिस्ट और अन्य व्यक्ति ग्रामीण भारत के काम की वास्तविक हालत का प्रत्यक्ष अनुभव प्राप्त कर सकें।

इन प्रशिक्षण संस्थाओं का निरीक्षण करने के लिए समझदार और उत्साही निपुण कार्यकर्ताओं को प्रेरित किया जाय जहां पर वे अपने औजारों में सुधार कर सकें और उनके हुनर का पूर्ण विकास हो सके। विशेषज्ञों के साथ लेखक और पत्रकार भी जा सकते हैं जो विशेषज्ञों द्वारा प्राप्त प्रत्यक्ष अनुभव के ज्ञान को लेखबद्ध भी कर सकें ताकि वह जानकारी दूसरे विशेषज्ञों के लिए मुद्रित रूप में उपलब्ध कराई जा सके। आधारभूत लेख पर विचार विमर्श करने के लिए जिन बातों पर विचार किया जा सकता है उनमें से निम्न महत्वपूर्ण सैद्धांतिक पक्ष है :

1. गाँव और शहर के बीच पुराना विरोध है जो आधुनिक उद्योग के उदय से नित्य चर्चा का विषय बना हुआ है। विकासमान देशों में शहरी उद्योग तैयार माल को गांव पर थोप देता है। मात्रा और कीमत के बारे में यह अपनी मर्जी से चलता है। इतना ही नहीं उन्हें कच्चा माल उसी कीमत और मात्रा में तैयार करने और देने को बाध्य करता है जिस पर उद्योगपति चाहता है।

2. सिद्धांत रूप में सभी इस बात को स्वीकार करते हैं कि भारत ग्राम प्रधान देश है इसलिए गांवों को देश का प्रथम और सर्वाधिक महत्वपूर्ण अंग समझना चाहिए। इस स्वीकारोक्ति का स्वाभाविक परिणाम यह होना चाहिए कि गांवों के हितों की रक्षार्थ शहरों को उस तरह लाभ उठाने से रोका जाय और इसके बाद (ख) निश्चित परिणाम यह होना चाहिए कि जनता का धन गांवों पर उसी अनुपात से खर्च किया जाए जिस अनुपात में वह वहां से बटोरा जाता है। इसे यों भी कहा जा सकता है कि जिन चीजों का उत्पादन गांव भली प्रकार कर सकने में समर्थ हों उनका उत्पादन शहर में करने पर रोक होनी चाहिए। शहरों को गांवों में निर्मित वस्तुओं के वितरण केन्द्र के रूप में कार्य करना चाहिए। गांवों को जहां तक संभव हो सके आत्मनिर्भर बनाना चाहिए।

3. यह जरूरी है कि ग्रामीण कारीगरी और तकनीकी कौशल को केवल परिरक्षित ही न रखा जाए बलिक और अधिक उन्नत बनाते हुए टैक्नालाजी के प्रसार के माध्यम से इन पुराने व पिछड़े शिल्पों व कौशलों को ग्रामीण भारत की अर्थ व्यवस्था में उचित स्थान दिया जाए।

(4) जब किसी किसान को प्रतिकूल मौसम का सामाना करना पड़ता है तो उसके पेशे की संपूर्ति करने की कुछ न कुछ व्यवस्था अवश्य होनी चाहिए और ऐसे संपूरक कार्य केवल ग्राम शिल्प और उद्योग ही हो सकते हैं। विशेष रूप से उन किसान कारीगरों को इस तरह समझाया जाना चाहिए कि वे ग्रामीण शिल्पों से सम्बन्धित कृषि- कर्म करें।

(5) भारत जैसे विकासमान देश में लोगों को यह बतलाया जाना चाहिए कि वे खुशहाली की थोथी विधियों को न अपनाएं और अनावश्यक भौतिक इच्छाओं पर नियंत्रण रखें।

(6) स्थायी अर्थव्यवस्था की बुनियाद केवल क्षेत्रीय आत्म-निर्भरता, या जो गांधी जी के शब्दों में 'स्वदेशी' कहलाती है, की कड़ी चट्टान पर ही डाली जा सकती है जिनमें मानव और भौतिक साधनों का सम्पूर्ण उपयोग अनिवार्य है। जब तक एक क्षेत्र में उत्पन्न किए गए खाद्य पदार्थ व कच्चे माल का उपयोग

दूसरे क्षेत्र में भारी मात्रा में होता रहेगा तब तक प्रकृति का सन्तुलन नहीं बनाया रखा जा सकता है।

(7) ग्रामीण उद्योग और संतुलित व सार्थक कृषि का चोली-दामन का साथ होना चाहिए ताकि इनकी स्थायी खुशहाली पर शहरों का भाग्य निर्भर हो। ग्रामीण क्षेत्र में उद्योगों का परिरक्षण अनिवार्य है और यह निम्नलिखित चरणों में किया जा सकता है :

(क) बड़ी उद्योग इकाईयों को छोटी इकाईयों में तोड़कर उन्हें गांवों में ले जाया जाए।

(ख) जहां तक हो सके गांवों में अधिक उत्पादन वाले उद्योगों को बढ़ावा नहीं देना चाहिए।

(ग) शहरों में फैले टैक्नोलाजिस्टों और वैज्ञानिकों को, जो गांवों की दशा सुधारना चाहते हैं उन्हें लाभकारी रोजगार दिया जाना चाहिए। लेकिन इन शहरी वैज्ञानिकों और टैक्नोलाजिस्टों को अपने जीवन तरीकों में परिवर्तन लाना होगा और अपनी शहरी प्रवृत्ति को निकाल देना होगा।

(घ) ग्रामीण जनता को शहरी जीवन की सुख-सुविधाएं पहुंचाकर देहाती युवावर्ग को वहीं पर रहने के लिए प्रेरित किया जा सकेगा। इसके फलस्वरूप शहरों की ओर पलायन हो सकेगा।

(8) वह अर्थव्यवस्था गलत अर्थव्यवस्था है जिसमें संपत्ति का संचय होता है किन्तु मनुष्य का क्षय होता है।

(9) ग्रामीण कामगार का दैनिक जीवन अत्यधिक शिक्षित होना चाहिए। उसे मौसम, ऋतुओं, पौधों, पालतू और जंगली जानवरों की जानकारी होनी चाहिए। दस्तकारों को लकड़ियों, धातुओं मिट्टी और सूत कातने का ज्ञान होना चाहिए। उसका दिन प्रतिदिन का जीवन ऐसा होना चाहिए जो उसे बुनियादी तौर पर बुद्धिमान, साहसी-पटु, आत्मनिर्भर और स्वतंत्र बना सकें।

(10) टैक्नोलाजी के ग्रामीकरण की प्रक्रिया में यदि वैज्ञानिकों और टैक्नालाजिस्टों को कुछ अधिक शारीरिक श्रम करना पड़े अथवा जिन शहरी सुख साधनों के वे आदी हैं उनमें से कुछ का त्याग करना पड़े तो इससे उन्हें इतना अन्तर नहीं पड़ेगा क्योंकि इससे गांवों के करोड़ों गरीब लोगों को सुखी जीवन, स्वास्थ्य और प्रसन्नता हासिल हो सकेगी।

(11) प्रो० सौरोकिन ने गांव की जनता को उत्पादक और शहर को उपभोक्ता कहा है। उन्हें पूरी जानकारी है।

(12) गांधीजी ने कहा था कि यह सच है कि जो लोग जीवन की मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रहते हैं उनके लिए स्वतंत्रता का कोई अर्थ नहीं है। किन्तु यह भी सही है कि और अधिक धन पाने की लालसा लोकतंत्र के ही लिए बाधा बन जाती है।

(13) बार-बार कहा गया है कि भारत का वास्तविक रूप उसके शहरों में नहीं बल्कि उसके छः लाख गांवों में मिलता है। बुद्धिजीवी वर्ग ने अतीत में गांवों की उपेक्षा करके जो भयंकर भूल की है उसके प्रायश्चित का एक मात्र उपाय यह है कि ग्रामवासियों के उद्योगों और कलाओं का टैक्नोलाजी के जरिए और शहरों में उनके माल के लिए उचित बिक्री की व्यवस्था के जरिए पुनरुद्धार करके उनको बढ़ावा दिया जाए। इससे गांव और शहर के बीच स्वस्थ और नैतिक सम्बन्ध स्थापित करने में मदद मिलेगी।

(14) भारत में टैक्नोलाजी के ग्रामीकरण के संदर्भ में यह भी ध्यान में रखा जाना चाहिए कि भारत के गांवों के लाखों लोगों के खाली समय का सदुपयोग कैसे किया जाए।

(15) टैक्नोलाजी का ग्रामीकरण एक ऐसा पौधा है जो धीरे-धीरे बढ़ता है। इसको धीरज, शांति, स्थिरता और दम की जरूरत है। गांधीजी के अनुसार भारत के गांवों की अधिकांश जनता को रोटी-रोजी देने और स्वस्थ रखने का सबसे अधिक विश्वसनीय और कारगर तरीका है ग्रामोद्योगों के साथ-साथ श्रम-प्रधान छोटी-छोटी विविध प्रकार की जोतें, क्योंकि ग्रामीण कामगार के लिए छोटी जोत स्वतः पूर्ण व्यवसाय नहीं हैं और कृषक और उसके परिवार को पूरे साल काम नहीं दे सकती।

(16) भारत एक गरीब देश है, अतएव हमें ऐसी मशीनें मुहया करनी हैं जिनसे ग्रामीण कामगारों के सारे खाली समय का सदुपयोग हो सके और इस प्रयोजन के लिए गांवों के उपेक्षित क्षेत्रों का भी सदुपयोग हो सकें। हमें ग्रामीण कामगारों को ऐसे आवश्यक उपकरण और तकनीकें देनी हैं जिनसे वे टैक्नोलाजी के ग्रामीकरण के लिए अपने संसाधनों का उपयोग कर सकें, विशेष रूप से ऐसी सरल मशीनें जिनसे अनाज को फटका और पीसा जा सकें, तेल निकालने के कोल्हू चलाए जा सकें, जमीन के नीचे से पानी निकाला जा सके और उनके खेतों की उपज तैयार की जा सकें।

(17) टैक्नालाजी के ग्रामीकरण का कार्यक्रम ग्रामीण भारत के उद्धार के लिए शहरी रूपरेखा नहीं बन जाना चाहिए। ग्रामीण भारत की संपत्ति टैक्नोलाजी बैंकों, श्रम बैंकों, सूचना बैंकों के रूप में संचित की जानी चाहिए क्योंकि ग्रामीण क्षेत्रों में मनुष्यों की बहुतायत होती है और धन की कमी। इन क्षेत्रों में, श्रम ही उनकी पूंजी है और इसी लिए टैक्नोलाजी के ग्रामीकरण के जरिए ग्रामवासी अपनी सारी श्रमशक्ति को पूंजी में परिवर्तित कर सकेंगे। टैक्नोलाजिस्टों का विशेष ज्ञान और कौशल का दान, ग्रामीण कामगारों का श्रमदान और वैज्ञानिकों का सूचना सम्बन्धी दान—ये सब मिलाकर टैक्नोलाजी बैंकों, श्रम बैंकों और सूचना बैंकों के लिए जानकारी और नींव का काम देंगे। शहरी और ग्रामीण आमदनियों के स्तर के बीच सुस्पष्ट और वैषम्य को दूर करने का यही एक उपाय है। गांवों में लाखों देहाती कामगारों के लिए आज जीवन का अर्थ है केवल अभाव-ग्रस्तता, कड़ी मेहनत और आधा पेट खाना। टैक्नोलाजी के ग्रामीकरण के प्रयोग और विस्तार से इसे दूर करना होगा।

—एफ-7/21 कृष्णानगर,
दिल्ली-110051

मल-मूत्र से खाद

महन्त तिवारी

भारत एक कृषि-प्रधान देश होने के साथ ही साथ अत्यधिक जनसंख्या वाला देश है। प्रकृति के तत्वों में रासायनिक परिवर्तनों द्वारा एक नियमित चक्र चलता है, अर्थात् भूमि से अन्न य अन्य खाद्य सामग्री पैदा होती है और यही खाद्य सामग्री मानव उपयोग के बाद मल-मूत्र के रूप में पुन: पौधों को प्राप्त हो जाती है। किन्तु खेती के आधुनिक तरीकों व बढ़ती हुई जनसंख्या के कारण यह क्रम टूट गया है जबकि हरित क्रांति लाने के लिए भूमि उर्वरक संरक्षण के लिए प्रचुर मात्रा में खाद की आवश्यकता है।

मनुष्य व पशुओं के मल-मूत्र में विभिन्न रासायनिक उपयोगी उर्वरक तत्व पाए जाते हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मल-मूत्र द्वारा तैयार की गई खादों में विभिन्न रासायनिक तत्व पाए जाते हैं।

65 करोड़ की आबादी के मल-मूत्र में 3·15 करोड़ टन नाइट्रोजन विद्यमान रहता है। परन्तु अशिक्षा व संकुचित विचारों के कारण इतनी बड़ी मात्रा में उपलब्ध खाद बेकार चली जाती है।

देश की प्रगति व कल्याण के लिए जनता को कदम उठाना होगा, तभी हमारी अर्थ-व्यवस्था में सुधार आएगा और हरित-क्रांति सार्थक होगी।

विदेशों में मल-मूत्र का उपयोग

चीन, जापान तथा इंग्लैंड में मल-मूत्र के उपयोग की ओर विशेष ध्यान दिया गया है। चीन में मैला उठाने का टेण्डर (ठेका) प्रति वर्ष 60 हजार पौंड का दिया जाता है। चीन तथा जापान में प्रत्येक नर-नारी अपने घरों का मल-मूत्र बाल्टियों में भरकर खेतों तक ले जाने में गर्व समझते हैं। अगर जरा सोचें तो पता चलेगा कि इस तरह का मल-मूत्र हमारे यहां बेकार ही चला जाता है।

भारत की स्थिति

हमारे देश के नगरों तथा कस्बों में जहां मल-मूत्र सुगमतापूर्वक इकट्ठा हो जाता है वहां 'टाऊन-कम्पोस्ट' की योजना लागू की गई है और इन मल मूत्रों का उपयोग माली कृषक आदि लोग करते हैं। मैले की 6 टन प्रति एकड़ खाद डालने से प्रति एकड़ 500 से एक हजार पौंड मक्का तथा 4000 से 6000 पौंड तक गेहूं की अधिक उपज प्राप्त हो सकती है। मैले की खाद के प्रयोग से कपास, गेहूं, चावल, गन्ना, आलू, मिर्च आदि की पैदावार में काफी वृद्धि हुई है।

किन्तु शहरों की आबादी केवल 25% है। शेष 75% जनता गांवों में रहती है, जहां उनके मल-मूत्र का सही उपयोग नहीं हो पाता है। ग्रामीण क्षेत्र की आबादी से उत्पन्न मल-मूत्र की 2·07 करोड़ टन के लगभग नाइट्रोजन अब भी बेकार हो जाती है। अगर इस मल-मूत्र का लाभ उठाया जा सके, तो देश के अन्दर 10·00 करोड़ टन अधिक अनाज पैदा हो सकता है। कृषकों को उचित लाभ प्राप्त करने के लिए निम्न तरीके अपनाने चाहिए।

उपयोग की सही विधि

1. किसानों को चाहिए कि वह अपने गांव के करीब वाले खेतों में अरहर, अण्डी, कपास, गन्ना सब्जी, आदि को पंक्तियों में बोएं, और पंक्ति की दूरी एक फुट तथा छह इंच गहरी व छह इंच चौड़ी लाइन फावड़े व हल से बना दें। शौच जाने वाले लोग नालियों में मल डालें और ढक दें, जिससे मल अच्छी तरह सड़ कर खाद बन सके। इस तरह नालियां बनाने में बहुत कम खर्च होगा परन्तु इस खर्च को देखते हुए आपको लाभ कई गुना अधिक होगा।

2. शौच जाने वालों को इस बात की आदत होनी चाहिए कि वे शौच जाने के बाद नालियों पर पड़ी हुई मिट्टी को पैर से गिराकर अच्छी तरह से ढक दें, इससे कृषकों को लाभ तथा अन्य लोगों को सुविधा मिलेगी। इसके लिए खर्च की आवश्यकता नहीं है, बल्कि आदत डालने की बात है।

3· किसानों को सुबह उठते ही शौच क्रिया के लिए चले जाना चाहिए। जब आदत पड़ जाएगी तो यह कार्य सुविधाजनक हो जाएगा और यह काम एक आदर्श रूप में परिवर्तित होकर देश के आर्थिक विकास व खाद्य सामग्री को सुलभ करने में बेजोड़ साधन होगा।

मूत्र का उपयोग

मल की अपेक्षा मूत्र में नत्रजन की मात्रा लगभग दुगुनी होती है। इसको उपयोग में लाने की एक सरल विधि इस प्रकार है।

मकान के निकट अपनी इच्छानुसार एक 3 फुट चौकोर गड्ढा खोद कर उसमें सूखी घास फूस आदि की 6 इंच मोटी तह बिछा कर, उसके ऊपर आधा इंच मोटी मिट्टी डाल दें। फिर जमीन से लगभग 3-4 इंच नीचे खाली जगह छोड़कर उसके ऊपर लकड़ी के दो तख्ते रख दें तथा ओट के लिए घास-फूस की टटिया बांध दें। जब लोग मूत्र त्याग करेंगे तो मिट्टी-मूत्र को सोख कर घास-फूस तक पहुंचा देंगी। इस प्रकार लगभग दो महीने में नीचे की घास भीग जाएगी और उसमें से अमोनिया की गंध निकलने लगेगी। उस पर ऊपर से थोड़ी मिट्टी और डालें। उसके बाद कुछ समय तक उसको छोड़कर दूसरे गड्ढे में अपना मूत्र त्याग करें। फिर जब आवश्यकता पड़े तो उसके अन्दर की खाद उपयोग में लानी चाहिए।

पांच व्यक्तियों के परिवार में इस प्रकार साल भर में मूत्र के 6 गड्ढों से लगभग 20 मन खाद प्राप्त होती है।

शेष पृष्ठ 25 पर]

पेय जल: मानव जीवन का आवश्यक अंग ★ पारस नाथ तिवारी

प्रश्न मुश्किल नहीं, आसान है। हम सभी जानते हैं कि मनुष्य को जीवित रहने, स्वस्थ रहने तथा नीरोग रहने के लिए कुछ वस्तुएं अत्यन्त आवश्यक होती हैं। उनमें से शुद्ध वायु, स्वच्छ भोजन, तथा शुद्ध जल का मानव जीवन में विशेष महत्व है। ये तीनों वस्तुएं जीवन के अंग समझे जाते हैं। इनमें से किसी के बगैर हम ज्यादा दिन जीवित नहीं रह सकते।

जहां तक पेयजल की बात है, पेय-जल का शुद्ध व स्वच्छ होना नितान्त आवश्यक है। देश में 70 प्रतिशत अधिक बीमारियां दूषित पेयजल व खाद्य के कारण उत्पन्न होती हैं। दु:ख बात है कि बहुत कम लोगों को इस बात का एहसास होता है कि पानी से भी अनेक प्रकार के रोग फैलते हैं। अगर चिकित्सक रोगी को यह बताए कि उसकी बीमारी दूषित पानी पीने के कारण पैदा हुई है तो रोगी शायद ही विश्वास करें।

पानी को एक राष्ट्रीय साधन मान कर उसके उपयोग की उचित व्यवस्था तथा उसके शुद्धीकरण की व्यवस्था करने की बात काफी दिनों से चल रही है। फिर भी देश में लगभग एक लाख गांव ऐसे हैं, जहां पेयजल की दिक्कत है। जब कभी प्रकृति प्रकोप के कारण कहीं सूखा पड़ जाता है तो पानी की कठिनाई पैदा हो जात ी

पानी केवल भारत की ही समस्या नहीं है। विकसित और समृद्ध देशों में भी लोग पेयजल की कमी से पीड़ित हैं और आने वाले दशकों में बढ़ने वाली इसकी कमी से निपटने के लिए अभी से तैयारी कर रहे हैं। आमतौर पर देखा यह जाता है कि जहां पानी ज्यादा, वहां आबादी कम होती है और ज्यादा आबादी वाले क्षेत्रों में पानी कम होता है। यदि एक क्षेत्र का पानी दूसरे क्षेत्र में ले जाया जा

सके और वर्षा के पानी को साल भर के उपयोग के लिए समेट-बटोरकर रखा जा सके और समय-समय पर इसे स्वच्छ व शुद्ध करके समुचित रूप से वितरित किया जाय तो पेयजल की दिक्कत दूर हो सकती है।

पूर्वकाल में पानी के मामले में अनेक प्रकार की सावधानी रखी जाती थी, क्योंकि उन लोगों को इस बात का एहसास था कि स्वच्छ पानी की कितनी आवश्यकता तथा कितना महत्व है। 2000 वर्षों से पूर्व लिखी संस्कृत की एक पुस्तक में सलाह दी गई है कि पेयजल को तांबे के बर्तन में रखा जाना चाहिए। इस पानी को धूप भी लगाना आवश्यक होता है।

देश में एक और बड़ी समस्या है, पानी के स्रोतों को साफ रखने की। नदी, नाले, झरने, तालाब, पोखर, कुएं, बावड़ी—सभी के पानी को साफ व शुद्ध रखने की आवश्यकता प्रत्येक नागरिक को समझाने की हर सम्भव कोशिश होनी चाहिए। साथ ही साथ, उसकी अनावश्यक बरबादी रोकने का भी प्रयत्न होना चाहिए। जल राष्ट्रीय साधन है, ऐसा न हो कि समृद्ध लोग शुद्ध पानी पाते रहें और गरीब जनता उसके लिए भटकती व तरसती रहे।

एक अन्य पुस्तक में कहा गया है कि गन्दे पानी को साफ करने के लिए उसे उबालना चाहिए धूप में गर्म करना चाहिए, या गर्म लोहे को उस पानी में डुबा लेना चाहिए।

पेयजल को स्वच्छ करने का एक तरीका यह भी है कि मोटी रेत में इस पानी को गुजारा जाए। वैसे तो ये पुस्तक सैकड़ों वर्ष पूर्व लिखी गई हैं और सामान्य लोगों को न तो इन पुस्तकों का ज्ञान है और न ही ये जानते हैं कि पेय-जल को कैसे स्वच्छ करना चाहिए।

सिर्फ भारतवर्ष में ही नहीं बल्कि कई विकासशील देशों में गन्दगी स्वास्थ्य के लिए एक बहुत बड़ी समस्या बन गई है। आंकड़े बताते कि हैं भारत में तीन-चौथाई लोग ऐसे जल का पान करते हैं जो पीने योग्य नहीं होता। परिणाम

स्वरूप प्रति वर्ष 5 करोड़ व्यक्ति ऐसी बीमारियों के शिकार हो जाते हैं जो गन्दा पानी पीने से पैदा होती हैं। इनमें से 20 लाख लोगों की मृत्यु भी हो जाती है।

इस समय सरकारी व्यवस्था के आधार पर मुख्य-मुख्य शहरों में पेयजल का उचित प्रबन्ध है। लगभग शहर के सभी मुख्य स्थानों व सड़कों पर सरकारी प्याऊ लगी हैं। पानी के भण्डार में पानी के वितरण से पूर्व उसे शुद्ध करने का समुचित प्रबन्ध होता है। परन्तु देहाती क्षेत्रों में, गांवों में अभी भी स्वच्छ पेयजल का अभाव है। 1970 में भारत की आबादी का केवल 15 प्रतिशत भाग ऐसा था जिसे पीने का शुद्ध पानी उपलब्ध था, शेष सभी लोग गंदा पानी पीते थे। ये लोग या तो नदी-नालों या झील और तालाबों से या कुओं से पानी प्राप्त करते थे।

शुद्ध जल पूर्ति की समुचित व्यवस्थ न होने के कारण ये लोग गन्दे पानी का उपयोग कर नाना प्रकार की बीमारियों के शिकार बनते रहते हैं।

तालाबों में जहां न सिर्फ इन्सान बल्कि शशु भी नहाते हैं, जहां पर धोबी कपड़े धोते हैं और गृहणियों द्वारा बर्तन साफ किए जाते हैं वहां से ग्रामीण लोग पीने का पानी भी प्राप्त करते हैं। उपनगरों में जहां पर अधिक संख्या में लोग गांवों से आकर बस गए हैं, पेयजल की स्थिति और भी बिगड़ गई है।

सच तो यह है कि इस प्रकार गन्दे पानी की निकासी का भी उचित प्रबन्ध नहीं है।

सर्व विदित है कि जब शुद्ध पानी का वितरण प्रचुर मात्रा में न हो तो लोग विवश हो जाते हैं और परिस्थिति वश अच्छा-बुरा जैसा भी पानी मिले वे उसका प्रयोग करते हैं। यही नाना प्रकार की बीमारियों का कारण बनता है। राजस्थान जैसे प्रदेश में तो पेयजल की समस्या अत्यन्त जटिल है। वहां की ग्रामीण महिलाएं मीलों दूर पानी के तलाब की ओर सिर पर घड़े लिए जाते और आते देखी जा सकती हैं।

जहां तक गांवों में पेयजल पूर्ति का सम्बन्ध है, सरकार इस ओर काफी सजग है। ग्राग्रीण विकास विभाग निरन्तर गांवों में शुच्छ पेच जल की उपलब्धि पर भारी धनराशि खर्च करता रहा है। सन् 1974-75 में गांवों में 19 हजार कुएं बन बाए गए जबकि 23 हजार कुओं की मरम्मत की गई। राजस्थान के गांवों में, जहां गर्मियों में पानी की काफी दिक्कत रहती है, रेलों द्वारा पानी मुहैया किया जाता है। सरकार के प्रयास से वाडमेर जैसे जल कष्ट वाले क्षेत्रों में भी नल कूप लगाकर पीने के शुद्ध पानी की व्यवस्था की जा चुकी है।

जीवन में पेयजल की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए प्रत्येक नागरिक का कर्त्तव्य है कि सफाई पर पूर्ण ध्यान रखें। जहां पेयजल की दुर्लभता है वहां सामूहिक तथा सरकार के सहयोग से प्रबन्ध करना चाहिए।

उपसंपादक कुरुक्षेत्र (हिन्दी)

[ग्राम और सामुदायिक............पृष्ठ 10 का शेषांश]

ये सब ग्राम विकास गतिविधियों के अन्तर्गत हैं।

मौटे तौर पर ग्राम विकास उन सभी गतिविधियों की मिलीजुली योजना है जिसके अन्तर्गत कृषि विकास, आर्थिक सामाजिक ढांचे का आधार तैयार करना, ग्राम योजना, सार्वजनिक स्वास्थ्य, शिक्षा, साक्षरता, तथा संचार व्यवस्था आदि शामिल हैं। इस बहुपक्षीय प्रयत्नों में भूमि जल और मानव संसाधनों का विकास और संरक्षण है। इनका उद्देश्य गांव के लोगों के जीवन स्तर को ऊंचा उठाना और अच्छा बनाना हैं। इस प्रकार ग्राम विकास के अन्तर्गत सभी सबंधित कार्यक्रमों का समन्वय है। इनका सम्बन्ध खेती की उपज बढ़ाना, गांव के लोगों में बेरीजगारी कम करना, रोजगार में थोड़े समय के लिए लगे लोगों की संख्या कम करना और उन्हें कारगर रोजगार देना हैं।

उक्त बातें संक्षेप में ग्राम और सामुदायिक विकास कार्यक्रम की झांकी है क्योंकि इस विषय पर प्रावेशनर काफी चर्चा सुन और कर चुके हैं। हमारे देश की लोकतांत्रिक परम्पराओं के अनुरूप ही लोगों पर कुछ भी लादा नहीं जाता। इस कार्यक्रम ने जड़ पकड़ ली है और परिणाम सामने आने लगे हैं। देश की इस सर्वांगीण प्रगति की प्रवृत्ति से इन लोगों से उपरिचित नहीं रहना है। प्रोवेशनरों में इन चर्चाओं से और अधिक जानने की इच्छा जागेगी और वे अपने व्यस्त कार्यक्रम से कुछ समय निकालकर ग्राम विकास की धारणाओं, क्रियान्वयन तथा सफलताओं के बारे में अद्यतन जानकारी रखने का यत्न करेंगे। ग्राम-विकास कार्यक्रम ग्रामीण भारत के विशेषरूप से गरीव और कमजोर वर्ग के सर्वांगीण सुधार के लिए हाथ में लिया गया एक मिलाजुला प्रयत्न है।

अनु०- राहुल

रूपक

दोष का मूल ★ भगवान सहाय त्रिवेदी

पात्र :

[सेवकराम : एक समाज सेवी विचारक, उम्र 40 वर्ष, सुशीला : सेवकराम की पत्नी उम्र 36 वर्ष, दीवान जी : सेवकराम के मित्र उम्र 45 वर्ष, मोहन : सेवकराम का पुत्र उम्र 11 वर्ष, चन्दा : सेवकराम की पुत्री उम्र 7 वर्ष

मंच सज्जा :

एक साधारण घर का बड़ा कमरा। कोने में छोटी मेज पर प्लास्टिक के फूलों से सजा गुलदस्ता रखा है। दीवारों पर पुराने कलेण्डर टंगे है, बांई ओर दीवार से सटी एक मेज पर कुछ किताबें व पुराने अखबार तरतीब बिखरे हुए हैं। दाहिनी ओर का एक दरवाजा बाहर की ओर खुलता है। मंच पर पीछे की तरफ भी एक दरवाजा खुला दिखाई दे रहा है जिसके भीतर रसोई का सामान अंगीठी बर्तन आदि पड़े है। कमरे में तीन-चार मूढ़े पड़े हैं। सेवकराम गुनगुनाते हुए कमरे में टहल रहे हैं और पुराने कलेण्डरों की धूल झाड़ रहे हैं।]

सेवकराम : (गुनगुनाते हुए) जिस देश में गंगा बहती है जिस देश में गंगा बहती है उस देश का यारो क्या होगा ? जिस देश में·········

श्रीमती सुशीला : (रसोई से बाहर निकलकर) अजी मैं कहती हूं आपका क्या होगा। देश का तो होगा सो होगा लेकिन मुझे फिकर है आपकी। सूरज ऊपर चढ़ आया है, आठ बज चुके हैं और आपको अभी गुन-गुनाने से ही फुरसत नहीं। कुछ काम धन्धा भी करना है कि नहीं ?

सेवक : हां यही तो मैंने कहा यह काम धन्धा ही तो कर रहा हूं। नहीं तो क्या मैं सो रहा हूं या गप्प लगा रहा हूं या गुलछर्रे उड़ा रहा हूं (एक मूढ़े पर बैठ जाता है) सेवक राम हमेशा काम करता है वह कभी निठल्ला नहीं रहता, हां यही तो मैंने कहा, सपने में भी नहीं आखिर देश के लिए सोचना भी तो देश की सेवा करना ही है। और मैं तो कहूंगा बहुत बड़ी सेवा करना है।

श्रीमती : हुंः हो गई सेवा। यूं बैठे बैठे अगर सभी सोचा करें तो खेत में हल कौन चलाए, कारखानों में मशीनें कौन चलाए और यहां पर चूल्हा कौन फूकें। मैं भी कह दूं, मैं तो चूल्हा जलाने का ध्यान कर रही हूं। बस, बन गई रोटी और लगा लिया आपने भोग।

सेवक : बस तुम्हारा सारा विचार घूम फिरकर रोटी पर केन्द्रित हो जाता है। मैंने कहा दुनिया में बस एक रोटी ही तो सब कुछ नहीं हैं और फिर इंसान के लिए तो इसको इतना महत्व देना और भी बेकार है। दुनिया बहुत बड़ी है श्रीमती सुशीला देवी जी और रोटी के घेरे के अलावा भी उसमें बहुत कुछ हैं।

श्रीमती : सोचने को ! क्यों ठीक है न।

सेवक : हां यही तो मैंने कहा सोचने की शक्ति महान है। विचार शक्ति सबसे बड़ी शक्ति है। हमारे ऋषि महर्षि चिन्तन ही तो किया करते थे और चिन्तन के सहारे आत्मा को ऊपर पहुंचाकर परमात्मा के बरा-बर बिठा देते थे।

श्रीमती : उनको दुनिया से कोई वास्ता नहीं रहता था। हिमालय की गुफाओं में बैठे शांति से ध्यान में लीन रहा करते थे। न ऊधो का लेना, न माधो का देना। अपने हरिभजन से काम। पर अब तो हिमालय की गुफाओं में शांति नहीं रही। कहते हैं वहां मिट्टी का तेल निकाला जाएगा।

सेवक : बिल्कुल देश तरक्की कर रहा है, यही तो मैंने कहा। मुझे खुशी है देवी जी कि आप रोटी के चक्कर से निकल कर जरा बाहर की बातें भी सोचने लगी हैं।

श्रीमती : अरे राम याद आया। मैं तो भूल ही गई थी। मैं आई तो यही कहने थी कि मिट्टी का तेल बिल्कुल खतम हो गया है। इन्तजाम कीजिए।

सेवक : अरे इन्तजाम तो सरकार कर ही रही है। इधर समुद्र से तेल निकाला जा रहा है उधर हिमालय से तेल निकालने की तजवीज हो रही है। तेल पैदा करने वाले पश्चिम के देशों से हमारी दोस्ती है ही और पूरब में भी तेल निकल ही रहा है यानी कि चारों तरफ से तो मिट्टी का तेल निकल रहा है। कमी किस बात की है।

श्रीमती : कमी यह है कि तेल घर में नहीं है आपको इन्तजाम करना है।

सेवक : इन्तजाम ! यही मैंने कहा। इन्तजाम तो हो ही जाएगा। सरकार पांच साला योजना इसीलिए तो बनाती है।

श्रीमती : हरे राम ! आप पांच साला योजना बना रहे हैं

और मिट्टी का तेल अभी चाहिए। बच्चों को स्कूल जाना है उनको कुछ खिलापिलाकर भेजना है कि यूंही बातों से पेट भर दिया जाए उनका भी······

सेवक : बस आगयी उसी पेट और रोटी के चक्कर में। यही तो मैंने कहा आजादी और देश पेट से भी बड़ा है। लड़के लड़कियों से भी बड़ा है, महगा है। जिस आजादी के लिए भारत माता के सैकड़ों हजारों सपूत बलिवेदी पर कुर्बान हो गए। भगतसिंह और चन्द्रशेखर आजाद जैसे वीर हंसते हंसते फांसी के तख्ते पर झूल गए, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई जैसी सैकड़ों ललनाएं खून की होली खेलने से न चूकीं। वह आजादी सचमुच पेट से बड़ी है।

श्रीमती : हां हां, इसमें दो राय है ही कब। सभी मानते हैं। लेकिन भूखे पेट रहकर न तो आजादी की रक्षा हो सकती है और न देश की सेवा।

सेवक : बिल्कुल ! यही तो मैंने कहा कि भूखे भजन न होय गोपाला। यह लो अपनी कंठी माला। लेकिन अब एक दो आदमियों का तो सवाल नहीं, पूरे साठ करोड़ का सवाल है। इतने लोगों को खाना कपड़ा और दूसरी जरूरत की चीजें देने का सवाल है।

श्रीमती : लेकिन आपको साठ करोड़ से क्या मतलब ? आपको अपने घर की बात सोचनी है या दुनिया की ?

सेवक : मतलब ? मतलब क्या ? यही तो मैंने कहा, क्या इस दुनिया में बस मतलब ही सब कुछ है। देखिए देवी जी। मैं स्वार्थ को तो अपने पास ही नहीं फटकने देता समझी न। ओफ ओ। हे परमात्मा। इस दुनिया को बनाते वक्त क्या तुमने मतलब का ही बीज बोया था। जिसे देखो वही मतलव के अलावा और कुछ सोचता ही नहीं। मैं कहता हूं भई स्वार्थ और सेवा इन दोनों में रात और दिन का अन्तर है। यानी जहां सेवा होगी वहां स्वार्थ आ ही कैसे सकता है—समझी न। और सेवकराम के तो जीवन का व्रत ही सेवा······

श्रीमती : लेकिन सेवा का व्रत लेने को तो एक आप ही बहुत है। सब तो ऐसा कर नहीं सकते।

सेवक : यही तो मैंने कहा, सब ऐसा नहीं कर सकते लेकिन सभी को सेवा का जामा पहनकर इस संसार सागर में उतरना चाहिए। कहने का मतलब यह कि सब आदमी मिल जुल कर सहकारिता की भावना से अपनी समस्याओं का हल निकालें तो कोई कारण नहीं कि देश की प्रगति न हो सके।

श्रीमती : अजी लो रहने दो। एक घर में दो आदमी तो मिल जुलकर रह ही नहीं सकते आज के जमाने में और देश के सारे लोग मिल जुलकर काम करेंगे। कभी ऐसा हुआ भी है ?

सेवक : (उसी प्रश्न को दोहराते हुए) कभी ऐसा हुआ भी है ? फिर वही पहले का पचड़ा लेकर बैठ गई। (तेश में आकर खड़ा हो जाता है) पहले की क्या बात है। एटम बम कभी पहले भी बने थे। कभी पहले भी यूं आदमी ऊपर आसमान में गया था।

श्रीमती : नहीं तो ?

सेवक : वही तो मैंने कहा, श्रीमती जी कि जो काम पहले कभी नहीं हुए वो अब हो सकते हैं, होते हैं और होने चाहिएं।

श्रीमती : मुझे तो···लो वो दीवान जी आ गए।

सेवक : दीवान जी भी मेरे कहे की ताईद करेंगे, देख लेना (दीवान जी का प्रवेश) क्यों दीवान जी। आज की दुनिया के सारे सवाल सहकारिता की भावना से ही हल किए जा सकते हैं। क्यों है न ठीक।

दीवान : (थोड़ा खांस कर) देखो साहब ! मैं सहकारिता वहकारिता तो जानता नहीं। मिलजुल कर काम की बात और है। वो पुरानी कहावत भी तो एक है न कि मिलजुल कर काम करने से आसान जरूर हो जाता है लेकिन सीर की होली होती है जिसे जलने पर ही शान्ति होती है।

सेवक : आप भी वही पुराना राग अलापने लगे हैं दीवान जी। अब जमाना बहुत बदल गया है और बदलता जा रहा है। उसके मुताबिक आप नहीं बदले तो पिछड़ जाओगे। यही तो मैंने कहा, ये बाबा आदम की एक कहावत हाथ लग गई आपके। सो बस नकली सिक्के की तरह चलाने लगे इसे सभी जगह दीवान जी। आज के जमाने में सहकारी ढंग से खेती होती है, कारखाने चलते हैं, सरकारें चलती हैं फिर हमारे घर या गांव का काम क्यों नहीं चल सकता ?

दीवान : गई दफा सहकारी समिति की बैठक में देखा नहीं आपने, कैसी दुर्गती हुई थी।

सेवक : यह सब आप भूल जाइए। यही तो मैंने कहा कि सेवा के मार्ग में इस तरह बाधाएं तो आती ही रहती हैं और मुझे इसी बात की सबसे अधिक चिन्ता है। मुझे इस बात की चिन्ता नहीं कि आज घर में मिटठी का तेल नहीं है और बच्चे स्कूल जाएंगे तो नाश्ता क्या करके जाएंगे। लेकिन मुझे ज्यादा चिन्ता इस बात की है कि देश के साठ करोड़ का क्या होगा ?

लड़का : मां ! टाइम हो गया, हमें स्कूल जाना है।

सेवक : आओ बेटा ! यहां आओ, तुम दोनों भी इधर आओ। आखिर तुम्हें ही कल इस देश का भाग्य संवारना है। तुम भावी नागरिक हो, इस देश की नैया की पतवार तुम्हारे ही हाथ में आने वाली है। हां तो दीवान जी, आज हमें इस प्रश्न का हल

ढूंढ ही निकालना चाहिए और मैं तो कहता हूं जैसे भगवान् ने गीता में कर्म पर ज्यादा जोर दिया है वैसे हमें भी अपने सारे सुझावों को कार्य रूप में बदल देना चाहिए। कोरी बातों से कुछ नहीं हो सकता क्यों दीवानजी ?

दीवान : हां जी। बातों से तो रात गुजर सकती है और तो कुछ होते देखा नहीं।

सेवक : यही तो मैंने कहा कि आज ही हमें सहकारी समिति बना लेनी चाहिए। सबसे पहले हमें अपने घर में ही सहकारी भावना का प्रसार करना चाहिए। इस देश की हालत इसीलिए तो नहीं सुधरती कि सब लोग दूसरों को उपदेश झाड़ने में लगे रहते हैं। खुद पर उन उपदेशों का कोई असर नहीं होता। और मैं कहता हूं जब तक हममें से हर एक व्यक्ति हरेक परिवार और हरेक गांव खुद अपने आपको सुधारने और आगे बढ़ाने की कोशिश नहीं करेगा तब तक इस देश का उद्धार नहीं होने का।

श्रीमती : आखिर आप कहना क्या चाहते हैं। मैं आपके इन तख्त तोड़ भाषणों से तंग आ गई हूं।

सेवक : मैं क्या चाहता हूं मैं कोई अपने लिए थोड़े ही चाहता हूं, कुछ। ना, ना, मुझे अपने लिए कुछ नहीं चाहिए। मैं तो यही देश के लिए, देश के साठ करोड़ लोगों के लिए, उनकी भलाई के लिए कह रहा था।

श्रीमती : हां, हां, मगर कह क्या रहे थे ? यही तो मैं पूछ रही हूं।

सेवक : अच्छा यूं। हां तो मैं कह रहा था कि हमें भी अपने घर में सारा काम सहकारी ढंग से करना चाहिए और सबसे पहले रसोई घर से यह काम शुरु किया जाए। शुभस्य शीघ्रम्, शुभ काम में देर नहीं होनी चाहिए। आज से बल्कि अभी से ही हमें जुट जाना चाहिए। क्यों देवीजी, आपको कोई आपत्ति तो नहीं ?

श्रीमती : मुझे बड़ी खुशी है। मेरे काम में हाथ बटाने वाले अभी चार और हुए।

लड़का : हां बाबूजी। स्कूल में भी सहकारी समिति है। लेकिन उसमें तो अध्यक्ष और मंत्री और खजांची ये भी होते हैं।

सेवक : हां, हां, अच्छी याद दिलाई तूने। नहीं तो कहीं हम बिना समिति का गठन किए काम चालू कर देते तो सब किया कराया कानूनी तौर से गुड़ गोबर हो जाता।

श्रीमती : लेकिन रसोई बनाने में कानूनी व गैर कानूनी बातें कहां अटकती हैं।

सेवक : देखिए देवीजी। मैं हर काम कायदे से करने का कायल हूं। यह नहीं कि गाड़ी आगे और घोड़ा पीछे। समझी न ! इस देश के और लोगों पर मुझे इसलिए तो तरस आता है कि वे जीवन में कायदे को, कोई महत्व नहीं देते। आगे का काम पीछे और पीछे का आगे। देश इसी तरह तो तरक्की नहीं करता।

श्रीमती : हाय राम ! तो क्या यहां भी चुनावों का अखाड़ा चालू होगा ?

सेवक : देखो भाई कायदा तो कायदा ही होता है। उसमें किसी का लिहाज मोहब्बत नहीं बरती जा सकती।

श्रीमती : लेकिन यहां चुनाव योग्यता और कार्य क्षमता के अनुसार होने चाहिए। समिति के जिस सदस्य को जो काम सौंपा जाए उसमें उसकी पूरी जानकारी तो होनी ही चाहिए। यह तो आप भी मानेंगे।

सेवक : बिल्कुल ! यही तो मैंने कहा इसमें क्या शक है। अच्छा रसोईघर में चल कर सबकी योग्यता की परीक्षा ली जाए।

(दृश्य परिवर्तन रसोईघर का दृश्य)

(बरतनों की आवाज)

लड़का : राम राम ! देखो तो रोटी तो खारी पड़ी है।

सेवक : मैंने तो नमक थोड़ा ही डाला था भई। देखूं तो।

श्रीमती : क्या आपने भी आटे में नमक डाल दिया था। हाय राम। तब तो खारी होगी ही। मैं भी तो डाल चुकी हूं।

लड़की : अरे यह दाल जल कर खाक हो गई है। देखो तो कैसी कड़वी लग रही है। हाय हाय थू थू। मैं तो खाने से रही।

श्रीमती : ओफ ओ ! यह क्या आपने दाल चूल्हे पर ही छोड़ दी उतारी भी नहीं।

सेवक : भई मुझे क्या खबर। चढ़ाई मैंने थी उसे चूल्हे पर तो अब उतारने का ठेका भी क्या मेरा ही था। यही तो कमी है हम लोगों में। सब काम बस एक आदमी पर छोड़कर अपने उत्तरदायित्व से सब बरी हो जाते हैं।

लड़का : बाबूजी हम सबको क्यों शामिल करते हैं आप।

सेवक : अरे हम से मतलब है सब देशवासियों से कि बस एक दूसरे पर काम का भार छोड़कर अलग हो जाते हैं। अच्छा काम हुआ तो सब आगे। काम बिगड़ गया तो सब पीछे। कहेंगे मैं नहीं मैं नहीं।

लड़की : लेकिन अब खाओगे क्या। हमें तो स्कूल जाना है।

श्रीमती : हाय राम यह लो दूध तो फट गया। किसी ने जामन भी नहीं डाला था क्या। बाज आए आपकी समिति से। अच्छा तो अध्यक्ष होने के नाते मैं इस रसोईघर समिति को भंग करने की घोषणा करती हूं। ★

कहानी

भिण्डी का फूल ★ यशवंत अरगरे

ठक् ठक् ठक............ठक् ठक् ठक् दरवाजे पर दस्तक पड़ रही थी।

पहले तो ठाकुर विक्रमसिंह बैठे रहे, आंगन से अपने छोटे से बंगले की छोटी सी बगिया के फूलों को अलस भाव से निहारते रहे, देखते रहे कि नरगिस के पीले फूल और बगल की ही क्यारी में लगी भिण्डी के हल्के पीले फूलों की संगत डूबते सूरज की नरम, सुनहली किरणों में कैसी लग रही है, सोचते रहे कि जीवन में सार्थकता भिण्डी की ज्यादा है या नरगिस की, पर जब दस्तक जारी रही और अन्दर से कोई बच्चा दरवाजा खोलने न आया, तो अनमने भाव से उठे और एक उबासी भरी 'कौन ?' की आवाज लगाते-लगाते सिटकनी सरका कर दरवाजा खोल दिया।

ये कौन आया है ? ठाकुर साहब ने याददाश्त पर जोर डाला, लेकिन याद न आया कि आगन्तुक कौन है, एक असंमजस-भरी आवाज में' आइये, अन्दर आ जाइए, कहते हुए दरवाजे से एक कदम पीछे हटे कि अपरिचित को अन्दर आने के लिए रास्ता दें......

पर ये क्या ?

आगन्तुक अन्दर तो आया, पर सोफे की ओर बढ़ने के बजाय ठाकुर साहब के पैरों से लिपट गया, फूट-फूट कर रोने लगा।

ठाकुर साहब हक्का-बक्का थे कि आखिर ये क्या हो रहा है—ये शख्स कौन है जो आते ही पैरों से लिपट गया और जार-जार रोये जा रहा है ?

'कक्का ठाकुर साहब, आपने अपने पुराने खादिम को नहीं चीन्हा।' आगन्तुक का रुदन मिश्रित स्वर सुबकियों के बीच उठा।

'अरे तू है प्यारेलाल...तो प्यारेलाल ये तू हैं।' आगन्तुक की आवाज ने ठाकुर साहब के स्मृतिपटल पर उसकी पहचान कौंधा दी। 'प्यारेलाल, तू कितना बदल गया है रे। मैं कैसे पहचानता तुझे ? मैं तो हिनौतिया वाले प्यारेलाल को चीन्हता था—पर ये तो अब एक नया प्यारेलाल सामने खड़ा है, 'ठाकुर साहब कह रहे थे,' अरे ! सुनती हो मुन्नू की मां......देखो तो भला कौन आया है... जरा आओ, और पहचानो तो ?'

'अभी आई कहते हुए, हाथ पोंछते हुए ठकुराइन रसोईघर से निकलीं, और बैठकखाने में झांकते हुए क्षण भर तो ठिठकी, फिर तपाक से बोली,' लो जी पहचान लिया मैंने, ये प्यारेलाल है, अपना हिनौतिया वाला माली।'

'हां, ठकुराइन काकी आपका वही पुराना प्यारे, 'कहते हुए प्यारेलाल ठकुराइन के चरणों पर झुका और सुबकने लगा। ठकुराइन की आंखें गीली हो आयीं थी। रुंधे गले को साफ करते हुए ठाकुर साहब, 'बहुत बरसों बाद आया है रे ? कहां रहा इतने दिनों ?'

मुंडन-जनेउ-ब्याह बारात-दहेज के खर्चों और रईसी दिखाने वाले रहन-सहन ने ठाकुर विक्रमसिंह को विवश कर दिया कि साहूकारों का कर्ज चुकाने के लिए अपनी सारी जायदाद बेच दें। उन्होंने तय कर लिया कि ग्राम हिनौतिया की अपनी हवेली, खेती, पाती बाग-बगीचा, सभी कुछ दे कर सारे साहूकारों को आखिरी सलाम कर लेंगे, और रायसेन में जा बसेंगे। वकालत की सनद है ही, उससे एक सादा जिन्दगी बिताने लायक तो मिल ही जाएगा।

रईसी की फजूलखर्ची के साथ-साथ ठाकुर विक्रमसिंह के संस्कारों में सज्जनता और परोपकार का भी अच्छा पुट था। उनके हाली-मवालियों ने जब हिनौतिया छोड़ने का उनका फैसला सुना, तो फूट-फूट कर रोये। उनके बगीचे का माली, प्यारेलाल तो बहुत रोया। कहने लगा, 'मालिक, अब हम कहां जाएं ? कौन हमारी परवरिश करेगा ? आप जैसा मालिक हम कहां पायेंगे ? मालिक हमें भी साथ ले चलें।'

प्यारेलाल मेहनती, वफादार, ईमानदार और बहुत होशयार माली था। ठाकुर साहब का पूरा बगीचा अकेले दम संभालता था। एक क्षण विचार आया कि इसे साथ रायसेन ले चलें, सेवा-टहल करेगा, पर ठाकुर साहब ने निश्चय कर लिया था कि अब कोई नौकर-चाकर नहीं रखेंगे, अपना सारा काम-काज अपने हाथों करेंगे, घर के सभी लोग। अतएव शांत, संधे स्वर में बोले, 'प्यारेलाल अब मेरे पास कुछ नहीं है देने के लिए सिवाय आर्शीवाद के। यही आर्शीवाद तुम्हें देता हूं। खूब फूलो फलो-सुखी रहो।'

उस दिन के बाद प्यारेलाल आज दिखा है। चेहरे पर रौनक, सारे बदन में भराब, साफ-स्वच्छ लिबास। पहचान में आए भी तो कैसे ? हिनौतिया का गर्द भरे बालों और मैली धोती-बन्डी वाला माली प्यारेलाल अब अच्छा खासा बाबू प्यारेलाल नजर आ रहा था। ठाकुर साहब और ठकुराइन, दोनों के चेहरों पर खुशी की मुस्कराहट थी। ठकुराइन झट से चाय बना लाई। प्यारेलाल के आगे प्याला बढ़ाया, तो कहने लगा, 'काकी काहे को तकलीफ की... हम तो बस आपके चरणों में बैठने आए हैं।' ठाकुर साहब ने हंसते हुए टीप दी, 'अब ले भी लो प्यारेलाल। अब तो तुम बाबू प्यारेलाल हो गए हो—और बाबू लोगों का काम चाय के बगैर चलता नहीं।

प्यारेलाल ने सर नवा कर प्याला ले लिया। 'मालिक-भोपाल रह कर चाय तो हम पीने लगे हैं। मगर कपड़े चाहे जैसे पहनें, बाबू तो हम नहीं बन पाए हैं, तो हम अभी वही कछयाने वाले। कक्का आपने आर्शीवाद दिया था, सो

उसके सहारे थोड़ी बहुत बरक्कत पा ली है। दाल-रोटी लायक हो गए हैं, आपके नाती-पोतों को पाल-पढ़ा रहे हैं। 'अच्छा तो प्यारेलाल तुम भोपाल में जा बसे हो ? ये तो बहुत अच्छा रहा।' ठकुराइन बोली, भोपाल शहर में तो नहीं मालकिन, पर भोपाल से लगा हुआ गांव है शाहपुरा। वहीं सरकार ने दो एकड़ जमीन का एक टुकड़ा दे दिया है। उसी पर कछयाना बना लिया है। हर तरह की भाजी-तरकारी उगाते हैं, 'प्यारेलाल ने बताया।

ठाकुर साहब जैसे खुशी से उछल पड़े, 'वाह प्यारेलाल। अब तेरे पास अपनी खुद की जमीन हो गयी। ये तो बहुत अच्छा रहा। अब तू हुआ है सही माने में किसान।'

'कक्का सब आपके आशीर्वादों का फल है।' 'प्यारेलाल ने विनम्रता से कहा' हम तो सपने में भी सोच नहीं सकते थे कि कभी खुद की जमीन होगी। हिनौतिया में आपकी ड्योढ़ी छूटी तो मजूरी के लिए भोपाल पहुंचे। जैसे-तैसे कर के कुछ महीने काटे। मेहनत मजदूरी की और कुछ पैसे बचाए तथा कुछ जमीन खरीदी। खूब अच्छी खेती-बाड़ी की। ...मालिक आपको याद है पहले अपने हिनौतिया में घोड़ा अस्पताल वाले एक डाक्टर दौरे पर आया करते थे...वहीं जिसने अपनी भूरी भैंस को बचाया था...'

ठाकुर साहब ने याद करते हुए पूछा—' कौन ?' डाक्टर मेहरा ?'

'हां, हां वही। हमें पता लगा कि वो भी वहीं पर है। उन्होंने हमारी मदद की।

'फिर ? ठकुराइन ने पूछा।

बैंक से कर्ज लिया।

मूली-गाजर, पालक, धनियां, मैथी, भिण्डी, आलू भटे, गोभी, टमाटर और मन चाहे जैसी सब्जियों के उम्दा बीज मिले, अच्छे औजार मिले, खाद मिली। शहर की सब नाली-नालों के गन्दे पानी का बहाव जमाव शाहपुरा की तरफ था, सो सिंचाई का बन्दोबस्त भी बढ़िया हो गया। इधर हम सब किसानों ने डट के मेहनत की, और सरकारी अफसरों ने हमारी मदद की तो सब्जियों के ढेर लग गए। कक्का ये जानों कि मैं 6 महीने में ही निहाल हो गया। प्यारेलाल खुशी-खुशी बोलता जा रहा था।

'और कक्का, हमने फिर जो बैंक से कर्जे की किश्तें जो फटाफट चुकायीं तो बैंक वाले भी खुश।...कक्का, हमने एक बैल भी खरीद लिया था। जरसी नसल की एक बछिया भी हमें मिली जो अब ब्या गयी है और सात-आठ सेर दूध रोज मिल रहा है—फिर कुछ शरमाते हुए बोला, 'कक्का आप जो पहली नजर में अपने पुराने माली को पहचान नहीं पाए, तो शायद घर के इसी दूध-दही की करामात रही।'

ठकुराइन ने पूछा, 'प्यारेलाल, पर रहते तो तुम शहर में ही होगे ?'

'ना काकी' प्यारेलाल ने जवाब दिया' वहीं प्लाट पर एक घरोंदा बना लिया है। इसके लिए डेढ़ हजार रुपये का कर्जा मिल गया था बैंक से।'

'लेकिन प्यारेलाल, 'ठाकुर साहब ने गम्भीर होकर कहा' लगता है कर्जे बहुत होते जा रहे हैं।

'कक्का कर्जे हुए जरूर, पर हम पटा भी तो उतनी ही तेजी से रहे हैं। ब्याज भी बहुत मामूली है और किस्त आसान। इसलिए जरा भी बोझा नहीं मालूम पड़ता।'

'तब तो ठीक है।...और भई, तुम्हारे बाल-गोपालों के क्या हाल हैं ?' ठाकुर साहब ने पूछा।

'अब तो काकी बड़े हो गए होंगे ? ठकुराइन का सवाल था।

'हां काफी आप सब की दया है। खूब दूध-दही खाते हैं और स्कूल में पढ़ते हैं। फीस माफ है और किताबें भी मुफ्त में मिल जाती हैं।' प्यारेलाल के चेहरे पर अपनी संतान की भावी समृद्धि का सुख झलक आया था।

ठाकुर विक्रमसिंह और ठकुराइन भी अपने पुराने चाकर की सुख-भावना में हाथ बंटा रहे थे—उनके मुख मण्डल पर प्रसन्नता की छाप स्पष्ट थी। प्यारेलाल के चेहरे पर नजर जमाते हुए, उसके कन्धे पर हाथ रखते हुए ठाकुर विक्रमसिंह ने कहा: 'मुझे तुम पर गर्व है बेटे।'

प्यारेलाल इस आर्शीवाद पर खुशी से दोहरा हो गया। वह ठाकुर साहब के चरणों में झुक गया। उसे उठाते हुए ठाकुर साहब की नजर बगिया के नरगिस और भिण्डी के पीले फूलों पर पड़ी। उन्होंने सोचा कि क्या यह उचित है कि समृद्धि का बांस भिण्डी का फूल महज अलंकारिक नरगिस के फूल के चरणों पर गिरे।

सह सम्पादक,
दैनिक हितवाद,
भोपाल (म० प्र०)

मरुस्थलों में कलियां खिला रहे हम

कल्पनाओं को ऐसे लजाते हैं हम
अपनी धरती को सुन्दर बनाते हैं हम
आज तक हमने साहस न हारा कि अब
मरुस्थलों में भी कलियां खिलाते हैं हम
सत्य का हमने स्वागत किया है सदैव
हर बुराई को दर्पण दिखाते हैं हम
प्राप्त करने को खोई हुई सम्पदा
एक नव-चेतना मन में पाते है हम
कवि-कलम गीत लिखती है निर्माण के
एक स्वर में सभी लोग गाते हैं हम

—सलीम अश्क

पहला सुख निरोगी काया

आखों की सुरक्षा ★ सुमन विरमानो

आंखें शरीर का कोमल अंग हैं और शायद इसलिए इनकी सुरक्षा के लिए प्रकृति ने बहुत कुछ किया है। जब आंखों में कोई धूल का कण पड़ जाता है तो पलकें बहुत तेज़ी से बन्द हो जाती हैं। गैस धुआं या तिनका आंखों में गिरने से आंखें एक जलीय पदार्थ से भर जाती हैं जिन्हें हम अश्रु या आंसू कहते हैं। इसी स्राव के साथ धूल के कण या तिनका आदि बाहर निकल आते हैं। आंसू अश्रु ग्रंथियों से निकलते हैं।

आंख गेंद की तरह गोल होती है और हड्डियों से बनी गुहाओं में सुरक्षित रहती हैं। आंख की तीन परतें होती हैं। दृढ़ पटल, रक्तक पटल और दृष्टि पटल। इनमें दृष्टि पटल सबसे महत्वपूर्ण है जिसे रेटिना भी कहते हैं। आंख के बाहर दिखाई देने वाले भाग को कानिया कहते हैं और यह दृढ़ पटल का उभरा हुआ भाग होता है। रक्तक पटल आंख के सामने वाले भाग में परितारिका बनाती है। जिसमें खिड़की की तरह काले रंग की पुतली होती है। आंखों पर बहुत तेज़ प्रकाश पड़ने से पुतली सिकुड़ जाती है और बहुत अधिक प्रकाश को अन्दर नहीं जाने देती क्योंकि बहुत तेज प्रकाश रेटिना को नुकसान पहुंचाता है। जब प्रकाश की तीव्रता कम होती है तो पुतली फैल जाती है ताकि अधिक से अधिक प्रकाश रेटिना पर पड़े और आंख किसी वस्तु को अच्छी तरह देख सके।

पुतली के पीछे एक लेंस होता है जिसका नियंत्रण पेशियों द्वारा होता है। वस्तु की दूरी के हिसाब से लेंस की उत्तलता बदल जाती है जिसके कारण हम दूर और पास की वस्तुएं साफ देख सकते हैं। लेंस और कानिया के बीच नेत्रोद नामक पारदर्शी जलीय तरल होता है और लेंस के पीछे श्लेषी पदार्थ का द्रव होता है।

रेटिना संवेदनशील परत है और इसमें दो तरह की कोशिकाएं होती हैं :—दंड और शंकु। दंड कोशिकाएं प्रकाश के लिए संवेदनशील होती हैं और शंकु कोशिकाओं द्वारा हम रंगों का भेद कर सकते हैं।

कम रोशनी में पढ़ने से या बहुत देर तक लगातार पढ़ने से आंखों में विकार आ जाते हैं।

आजकल बच्चों में निकट दृष्टि दोष बहुतायत से पाया जाता है। इस दोष में हम पास की वस्तुएं साफ देख सकते हैं, लेकिन दूर की वस्तु सामान्य आंख वाले व्यक्ति की अपेक्षा हमें कम साफ दिखाई देती है। इस दोष के दो कारण हो सकते हैं :—नेत्र गोलक लम्बा हो गया हो या लेंस की उत्तलता बढ़ गई हो। इस दोष को सुधारने के लिए उचित अवतल लेंस वाला चश्मा पहनना चाहिए।

दूर दृष्टि दोष ठीक इसके विपरीत कारणों से होता है और इसमें हम पास की वस्तुएं उतनी दूरी से नहीं देख सकते जितनी दूरी से एक सामान्य आदमी देख सकता है। इस दृष्टि दोष को सुधारने के लिए उचित उत्तल लेंस वाला चश्मा प्रयोग में लाया जाता है।

एक और दोष ऐस्टिग्मैटिज्म लेंस या कानिया के विकृत होने से पैदा होता है और इसके लिए सिलिंडिराकार लेंस इस्तेमाल किया जाता है।

मोतियाबिंद में लेंस अपारदर्शी हो जाता है। इसके उपचार के लिए नेत्र विशेषज्ञ से सलाह लेनी चाहिए।

आंखों की देखभाल :—

1. बहुत कम या बहुत तेज रोशनी में नहीं पढ़ना चाहिए।

2. जब आंखें थक जाएं तो कुछ देर मूंद लें और हथेलियों को प्याले के आकार का बनाकर दो-तीन मिनट तक आंखों पर रखना चाहिए या कुछ क्षण के लिए बाहर दूर की ओर थकी आंखों को घुमाना चाहिए।

3. आंखों को दिन में दो-तीन बार ठंडे पानी से धोना चाहिए। त्रिफला और गुलाब जल आदि भी इस्तेमाल करना चाहिए।

4. यदि आंखों में कोई तकलीफ महसूस हो, तो चिकित्सक की सलाह लेनी चाहिए।

एल-41, मालवीय नगर,
नई दिल्ली-110017

साहित्य समीक्षा

लहरों के बीच : मू० ले०—सुनील गंगोपाध्याय, हिंदी भाषांतरकार सिद्धेश, प्रकाशक : सस्ता साहित्य मण्डल, नई दिल्ली, मू० : 8·00 रु०, पृष्ठ संख्या : 166

श्री सुनील गंगोपाध्याय बंगला के प्रसिद्ध उपन्यासकार हैं। उनके बंगला उपन्यास "जीवन जे रकम' का यह हिंदी रूपांतर है। इस उपन्यास में समाज के कई प्रकार के यथार्थ को उभारने की चेष्टा की गई है। इसके अधिकांश पात्र साधारण आदमियों से भिन्न है अपनी मान्यताओं तथा अंह के धनी। वे घिसे पिटे संकीर्ण ढ़ांचे में ढलने को तैयार नहीं और अपनी धुन के पक्के हैं। कथावस्तु तथा शैली भी कुछ नवीनता लिए हुए हैं।

दीपू को पिता की झूठी बीमारी का तार देकर बुलाया गया जिससे कि नौकरी के लिए वह इण्टरव्यू में जा सके परन्तु दीपू गलत ढंग से नौकरी प्राप्त करने के विरुद्ध है। पिता ने तर्क दिया जिस देश में सबको नौकरी नहीं मिलती, वहां इस तरह से ही नौकरी ढूंढनी पड़ती है। दीपू ने उत्तर दिया, 'मेरी निगाह में यह गुनाह है। अरूप उसका मित्र है, उसने अपने पिता से कह कर दीपू को असिस्टैंट मैंनेजर की जगह दिलवाने को राजी कर लिया और तनख्वा भी पांच सौ रुपए से कम नहीं, परंतु दीपू उसके लिए भी तैयार नहीं, वह कहता है जितना तुम्हें मिलेगा उतना ही मुझे देना होगा। तुम्हें मैंनेजर होते हुए भी मैं, 'तुम' ही कहूंगा ; बराबरी की तरह रहना चाहूंगा। एक आदमी को नौकरी से अलग कर उसकी जगह मालिक के लड़के के मित्र को नौकरी दी जाय, यह दूसरों को अच्छी नहीं लगेगी, वे हमेशा मुझे घृणा की दृष्टि से देखेंगे। 'मुझे नौकरी की जरूरत नहीं है, बस। 'मेरी ही उम्र के लाखों लोग नौकरी और बेकारी भत्ते की मांग का जलूस लेकर राइटर्स बिल्डिंग जाएंगे, मैं भी उस में जाऊंगा।'

अपर्णा का पति विदेश चला गया है। ससुराल में किसी ने कह दिया कि उसने वहां किसी मेम से शादी कर ली है। अब रनेन स्वदेश नहीं लौटेंगे। इस ढंग से कहा कि जैसे उसी का कसूर हो। इसी पर अपर्णा अपने पिता के घर चली आई। फिर इन पांच वर्षों से वहां नहीं गई। पिता घर रखना नहीं चाहते। दोनों परिवारों में मनमुटाव हो गया। स्वसुर अपनी पोती टुलटुल को तो अपने घर रखना चाहता था। परन्तु बहू के प्रति कोई लगाव नहीं रह गया था। अंत में तय हुआ कि दीपू टुलटुल को मास में एक बार दादी से मिला लाया करेगा।

भाषांतर कार ने शीर्षक बहुत उपयुक्त दिया है। सभी पात्र लहरों के बीच कैसे दिखाई पड़ते है। कागज, छपाई आवरण आदि अच्छे हैं परन्तु आठ रुपये मूल्य कुछ अधिक ही है जो सस्ता साहित्य मण्डल के गौरव के अनुकूल नहीं जंचता। हां विभिन्न क्षेत्रीय भाषाओं के साहित्य को हिंदी में प्रस्तुत करने के प्रयास में यह एक महत्वपूर्ण कड़ी अवश्य है।

—रामचन्द्र शर्मा
419 दीन दयालु शर्मा मार्ग,
तिमारपुर, दिल्ली-110007

हमारे प्रमुख तीर्थ : सम्पादक : यशपाल जैन, प्रकाशक : सस्ता साहित्य मण्डल कनाट सर्कस, नई दिल्ली-110001, मूल्य : 3 00 रु०, पृष्ठ : 401।

प्रस्तुत पुस्तक, में भारत के चार सर्वोच्च महत्व के तीर्थ बद्रीनाथ, द्वारिका, जगन्नाथपुरी और रामेश्वरम का वर्णन किया गया है और प्रत्येक तीर्थ के चप्पे-चप्पे का महत्व पौराणिक एवं ऐतिहासिक तथ्यों के आधार पर बताया गया है। जब हिन्दू धर्म जीर्णशीर्ण हो रहा था तो स्वामी शंकराचार्य ने अपनी प्रचार दुन्दुभि बजाई और देश के चारों कोनों पर चार मठ बनाये। पूरब में जगन्नाथपुरी, पश्चिम में द्वारिका, उत्तर में जोशी मठ और दक्षिण में श्रृंगेरी (रामेश्वरम्)

हिमालय पर नारायण पर्वत के नीचे लगभग 10,480 फुट ऊंचाई पर बद्रीनाथ का मन्दिर है जिसे नर और नारायण भगवान् के आदेश पर मुनियों ने बनाया। स्वामी शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार किया।

रणछोड़ (कृष्ण) जी का मन्दिर द्वारिका का सबसे अनुपम मंदिर है। चारों धामों में से द्वारिका एक है और 7 पुरियों में से एक पुरी। अरब सागर के किनारे बसी हुई यह नगरी अत्यंत सुन्दर है।

उड़ीसा की सबसे बड़ी नदी महानदी का रेल का पुल पार करने के बाद भुवनेश्वर तीर्थ स्थान होते हुए जगन्नाथ पुरी पहुंचते हैं जहां विशेष मंदिर जगन्नाथ जी का है, जिसमें स्वयं विश्वकर्मा के हाथ की बनाई हुई तीन अपूर्ण काष्ट मूर्तियां (जगन्नाथ, सुभद्रा और बलराम) की हैं। इन्हें राजा इन्द्रद्युम्न ने स्थापित कराया था।

मद्रास से सवा चार सौ मील दक्षिण पूरब में हिन्द महासागर और बंगाल की खाड़ी से घिरा हुआ हरा भरा शंख जैसी आकृति का रामेश्वम का टापू है। रामेश्वरम् शहर और रामनाथ जी का मदिर इस टापू के उत्तरी छोर पर है, दक्षिण में धनुष कोटि नाम तीर्थ है जिसे सेतुबन्ध कहते हैं।

पुस्तक में तीर्थों की विशेषताओं का वर्णन बड़े ही सुन्दर एवं रोचक ढंग से किया गया है। सूक्ष्म में ही सब कुछ बता दिया गया है। मार्ग में मिलने वाली नदियों, पहाड़ियों, घाटियों मठों तथा अन्य स्थानों का भौगोलिक वर्णन इतना रोचक है कि इन्हें पढ़ते समय पाठक को एक नवीन उत्साह की अनभूति होती

है। ऐतिहासिक एवं पौराणिक तथ्यों को बता कर पुस्तक को न केवल शिक्षाप्रद बनाया है बल्कि पाठकों के मन में तीर्थों के प्रति उनकी निष्ठा एवं रुचि को बढ़ाने की चेष्ठा की गई है। शैली सरल, स्पष्ट और व्याख्यात्मक है। कम पढ़े ग्रामीण भी इससे लाभ उठा सकते हैं। रंगीन आवरण पृष्ठ तथा चित्र पुस्तक को अधिक आकर्षक बना देते हैं। क्यों न इसे ग्राम-पंचायतों और पाठशालाओं में पहुंचाया जाय। इन तीर्थों का महत्व भारत के उन संतों की याद दिलाता है जिन्होंने समय-समय पर अपने उपदेश द्वारा संस्कृति की धारा को प्रवाहित करके भिन्न-भिन्न मतों के लोगों को मिलाने का प्रयास किया और अनेकता के बीच एकता पैदा की। पुस्तक में मुख्य-स्थानों तथा मंदिरों के 17 चित्र भी दिए हैं जो वर्णन को और भी सजीव बनाते हैं।

पुस्तक की साज-सज्जा सुन्दर है। प्रूफ की अशुद्धियां नगण्य हैं।

—

—चन्द्रपाल सिंह
4/26 **शांतिनिकेतन,**
नई दिल्ली-1100021

संपूर्ण गांधी वाङ्मय, खण्ड बासठ ; **प्रकाशन विभाग, भारत सरकार, मूल्य : साढ़े सात रुपए; पृ० 548।**

प्रस्तुत ग्रंथ में महात्मा गांधी द्वारा अक्टूबर, 1935 से मई, 1939 तक लिखित पत्रों तथा अन्य सम्बन्धित सामग्री का समावेश किया गया है। हर खण्ड कुछ नवीनता और ताजगी लिए होता है। सामान्य और असामान्य व्यक्तित्व में भारी अन्तर है। साधारण आदमी घिसी-पिटी थोड़ी सी ज्ञान की पूंजी लेकर सारी उम्र गाल बजाता है पर असाधारण व्यक्ति सामान्य में असामान्य खोज निकालता है और उसकी हर बात में नवीनता की झलक मिलती है। गांधी जी के प्रस्तुत पत्रों तथा संबन्धित सामग्री में हमें एक असाधारण व्यक्ति द्वारा साधारण बातों में असाधारण तथ्यों का उद्घाटन होता प्रतीत होता है।

पुस्तक में कहीं तो गांधी जी की मूल भाषा है और कहीं अनूदित। मूल भाषा के विषय में तो कुछ कहना असंगत है पर अनूदित भाषा अत्यन्त सहज, सरल और सुबोध है।

अब आइए सामग्री पर। पृ० 183 पर गांधी जी ने नेहरू की आत्मकथा पर अपनी राय व्यक्त की। उसे एक महान साहित्यिक कृति तो बताया पर साथ ही यह भी स्पष्ट किया कि मेरे और तुम्हारे (नेहरू के) चिंतन में अन्तर तो है पर आखिर हम हैं क्या-घटनाओं के प्रबल प्रवाह में बहते असहाय अभिनेता-मात्र ही तो? कुछ ऐसी ही बात गांधी जी के कालीन दूसरे महानतम वैज्ञानिक विचारक आइन्स्टीन ने कही थी कि और तो क्या, हम सोचने-तक में भी बेबस हैं। उन्होंने यह बात शोपनहावर का हवाला देते हुए कही। गांधी जी ने नेहरू जी की अन्तर्राष्ट्रीय सूझ बूझ को सराहा है जैसा कि पृष्ठ 41 पर कहा गया है।

गांधीजी अन्य दार्शनिकों से कुछ भिन्न मत रखते थे। वे मनुष्य के मूल रूप से भले होने में विश्वास रखते थे, क्योंकि उनकी मान्यता थी कि "गिरे से-गिरे मनुष्य के लिए भी मानवता के बुनियादी गुणों को अपने अन्दर पैदा कर सकना संभव है।" हम अब भी गांधी जी के आदर्शों को नहीं पहुंच पाए। दरअसल गांधी जी तो आदर्श व्यावहारिक मार्क्सवाद से भी एक कदम आगे है। ये शब्द विचारणीय हैं: सब के लिए शरीर-श्रम अनिवार्य है……एक डाक्टर या बैरिस्टर उतना ही वेतन ले जितना कि एक मज़दूर। "गांधी जी आज के अर्थशास्त्रियों से मतभेद रखते थे। उनका कहना था……सच्चा अर्थ-शास्त्र वही है जो नीति से चलेगा।" यन्त्र युग का लक्ष्य मनुष्यों को मशीनों में परिणत कर देना है……मेरा लक्ष्य है कि जो मनुष्य आज मशीन बन गया है, उसे फिर से उसकी मनुष्यता की स्थिति में पहुंचा दिया जाए।"—ये उद्बोधक शब्द अमर हैं और अगर आज नहीं तो कल अवश्य ये आदमी को झकझोर कर रख देगें। गांधी जी युग-पुरुष ही नहीं अपितु, युग-देवता थे। हरिजन में प्रकाशित उनके ये शब्द कितने समीचीन हैं, यदि एक भी बड़ी शक्ति बिना शर्त लगाए त्याग का रास्ता अपना ले, तो हम में से कितने ही लोग अपने जीवन काल में ही पृथ्वी पर शान्ति को साकार होता देख सकते हैं।"

गांधी जी का देवता-रूप और विचारक रूप तो पग-पग पर दिखाई देता है पर उनके काव्यात्मक रूप की झलक भी कहीं-कहीं मिलती है। देखिए पृष्ठ 212,……जीव के ध्वंस पर जीव का आस्तित्व कायम हैं। किन्तु युगों पूर्व इस कुहेलिका को भेद कर असली सत्य के दर्शन करने वाले किसी द्रष्टा ने कहा था……आदि" पृष्ठ 344 पर 'आप देखें कि हाड़-पिंजरों तक में बसने वाली मयुष्य की आत्मा किस निर्जीव सींग में और धातु में प्राण डाल सकती है।"

गांधी जी की सब धर्मों की पवित्रता में समान आस्था की एक झलक देखिए पृष्ठ 357 पर "……तो फिर मेरे लिए सब एक हैं। हम सब उसी परमात्मा की सन्तान हैं। संसार के सभी महान् धर्म शिक्षकों ने शब्दों के हेर-फेर के साथ यही बात कही है……आदि।"

गांधी जी विज्ञान के विरूद्ध नहीं थे। देखिए पृष्ठ 499 पर उनकी जिज्ञासा विज्ञान-संस्थान देखने की।

सब मिलाकर यह ग्रन्थ सुन्दर एवं पाठनीय है। कहीं-कहीं प्रूफ-रीडिंग की मामूली भूलें हैं।

—

राजीव उनियाल,
4/1037, **रा० कृ० पुरम**
नई दिल्ली-1100022

★★★

★ 'कुरूक्षेत्र' के बारे में पाठकों की राय ★

'कुरूक्षेत्र' हिन्दी का मार्च अंक देखा, पिछले अंकों की अपेक्षा यह अंक अधिक उपयोगी और आकर्षक था। यह पढ़कर प्रसन्नता हुई कि आप ग्राम विकास सम्बन्धी रिपोर्टस 'कुरुक्षेत्र' में प्रकाशित करने पर विचार कर रहे हैं। विकास की दृष्टि से यह एक उपयोगी कदम है। विकास सम्बंधी ऐसे लेख लोगों को प्रेरणा देकर उन्हें प्रोत्साहित कर सकेंगे। नई बनी सरकार ग्राम उद्योगों को बढ़ावा देकर देश से बेकारी दूर करने के लिए एक व्यापक योजना बना रही है। अतः आप ग्राम-उद्योगों से सम्बंधित अधिकाधिक जानकारी दें बल्कि इस उद्देश्य के लिए कुछ पृष्ठ निर्धारित कर दें। नये ग्रामीण उद्योग, मिलने वाली सुविधाएं, खपत और निर्यात की संभावनाएं आदि विषयों पर विशेषज्ञों के लेख तथा विज्ञापन प्रकाशित करें। ऐसे संस्थानों के पते भी प्रकाशित करें जो इस दिशा में ग्रामीणों की सहायता कर सकते हों।

वास्तव में इस देश का भविष्य केवल ग्रामीण उद्योगों से जुड़ा है। मेरा अनुभव है कि कृषि पर जैसे-जैसे जन-संख्या का दवाब कम होता जायेगा ग्रामीण निर्धनता, बेरोजगारी और ऋण-ग्रस्तता अपने आप कम होती जायेंगी। इस विषय में नई सरकार का दृष्टिकोण अत्यन्त व्यापक एवं रचनात्मक है। चूंकि 'कुरुक्षेत्र' का उद्देश्य ग्रामीण खुशहाली है, अतः इस विषय पर आपको भी पहल करनी चाहिए। अतः आप से निवेदन है कि आप नई सरकार की ग्रामीण उद्योगी-करण की नीतियों का व्यावाहारिक पक्ष इस पत्रिका के माध्यम से लोगों के सामने रखें ताकि देश को समृद्धि, खुश-हाली और आत्मनिर्भरता की दिशा मिल सके। वह दिशा जो 'कुरुक्षेत्र' का उद्देश्य हैं, जिसके लिए वह निरन्तर प्रयत्नशील है।

आपके मार्ग निर्देशन में विकासोन्मुख पत्रिका के लिए मेरी शुभकामनाएं।

चुन्नीलाल सलूजा
लेखक एवं पत्रकार
'मधुवन' न्यू ब्लाक
शिवपुरी (म० प्र०)

सपूत ★ इन्द्रराज सिंह

कितना सुन्दर
कितना सुकुमार
सृष्टि की सारी कृतियों का सार
फिर भी कलंक लग गया
कीचड़ में जो पला था।
प्रेम का, सौन्दर्य का उपहार
सत्यता का, स्वच्छता का साक्षात्कार
नियति का अनुपम उपहार।
नन्हा सा इठलाता सा
मधुर मुस्कान भरता था।
संसार ने फिर भी
नाक भौं सिकोड़ लीं,
राह बदल ली,
छाया से क्यों बचने लगे,
घृणा का आविष्कार कैसे हुआ ?
सोचता रह गया।
किस का कसूर था
सजा किसको मिली,
मजूर नहीं था,
सहन नहीं हो सका,
समझौता नहीं किया गया,
फूट निकली एक चीत्कार—
मेरा भी बाप है
मैं ईश्वर पुत्र हूं।
बाप का संदेश लेकर आया हूं,
संदेश देकर लौट जाऊंगा।
मैं रास्ते से भटका नहीं
रास्ता दिखलाने आया हूं।
कौन सुनने को तैयार होगा
सभी परीक्षा चाहते थे
होनी टाले से नहीं टलती
ईश्वर पुत्र परीक्षा देता ही।
उसे सूली पर चढ़ाया गया,
पैरों से कुचल दिया।
वह चूर-चूर हो गया
धूल में मिल गया
बाप का सच्चा पुत्र
परीक्षा दे दी और
बाप के पास लौट गया।
कितना कठोर सत्य था
तुम्हारा रास्ता ठीक नहीं है।

★ भारत हमारा देश है—आइए इसे समृद्ध और मजबूत बनाएं। ★

हमारे नए प्रकाशन

1. भूले बिसरे क्रांतिकारी

स्वाधीनता आंदोलन के ऐसे 19 अमर शहीदों की प्रेरक गाथा, जो अपेक्षतया अल्प-ज्ञात हैं किंतु जिनके बलिदान की अमरगाथा युग-युगों तक प्रेरणा देती रहेगी। सचित्र, पृष्ठ. 156; मूल्य : 3·00 रुपये।

2. भारत मेरा और तुम्हारा

किशोरों के लिए सरल भाषा में भारतीय जीवन की कहानी। देश और देशवासियों के प्रति श्रद्धा और भारत की महान परम्पराओं के प्रति जागरूकता पैदा करने वाली उपयोगी पुस्तक। पृष्ठ 120 सचित्र, दो रंग के ब्लाक, मूल्य : 6.00 रुपये।

3. भारत : वार्षिक संदर्भ ग्रंथ-1976

हमारे राष्ट्रीय जीवन के विभिन्न पहलुओं से सम्बंधित अधिकृत प्रामाणिक सूचनाओं का अद्वितीय संग्रह। वर्ष की महत्वपूर्ण घटनाओं और संसदीय अधिनियमों सहित सूचना और प्रसारण मंत्रालय के गवेषणा और संदर्भ विभाग द्वारा संकलित उपयोगी सामग्री। पृष्ठ संख्या : 564, सजिल्द, मूल्य : 10.00 रुपये।

4. जवाहर लाल नेहरू के भाषण (प्रथम खंड)

आधुनिक भारत के इतिहास के घटनापूर्ण युग में दिए गए नेहरूजी के भाषणों का अद्वितीय संग्रह। देश के विभाजन, संकटकाल से गुजरने और पंचवर्षीय योजनाओं से सम्बंधित महत्वपूर्ण भाषण जिससे उनके विश्वमानव, विचारक, राजनीतिक, राष्ट्र निर्माता और क्रांतिकारी स्वरूप की सही झांकी मिलती है। पृष्ठ-284, सचित्र, मूल्य : 12.00 रुपये।

पुस्तकालयों एवं विद्यालयों को विशेष रियायती दरें।

प्रकाशन विभाग
सूचना और प्रसारण मंत्रालय, भारत सरकार,
पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1

निदेशक, प्रकाशन विभाग, पटियाला हाउस, नई दिल्ली-1 द्वारा प्रकाशित और
केसर क्यारी इलेक्ट्रिक प्रेस, फरीदाबाद-121003 में मुद्रित।

Regd. No. D/(D)/98

सर्वोत्तम ग्राम सेविका

तमिलनाडु में जिला चिंगलपुट स्थित विकास खण्ड कांचीपुरम की ग्राम सेविका कुमारी एम० मनोचम को राष्ट्रीय स्तर की प्रतियोगिता में सर्वोत्तम ग्राम सेविका के प्रथम पुरस्कार 5000 रु० के लिए चुना गया है। कुमारी मनोचम साइकल पर गांव-गांव घूमती हैं और अपने क्षेत्र में अत्यन्त लोकप्रिय हैं

सफलता का जादू

बटुकेश्वर दत्त सिंह 'बटुक'

प्रतिज्ञा भीष्म की भगवान भी झुठला नहीं पाया,
प्रवक्ता क्यों न गीता का सुदर्शन पर अमादा हो।
सफलता स्वयं चल कर चूम लेती पांव प्रति पग पर,
कड़ी मेहनत करे इंसान और पक्का इरादा हो॥

× × ×

जिन्दगी का नाम अनुशासन नहीं तो और क्या है,
विना अनुशासन समर क्या जीत पाया कहीं कोई।
दूर दृष्टि सफलता का सवल सम्बल सर्वदा से,
है परिश्रम के अलावा दूसरा पथ नहीं कोई॥

× × ×

समय का पहिया निरन्तर चाक सा घूमा-फिरा है,
कार्यरत माटी सनेंगे हाथ तो निर्माण होगा।
कठिन श्रम, दृढ़ इरादा, सच्ची लगन
सच्चा अनुशासन, यही जादू तभी कल्याण होगा॥